हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 मार्च, 1997

खण्ड - 1, अंक - 12

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 20 मार्च, 1997

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(12)1
सदन के चार सदस्यों के निलंबन पर पुर्नविचार करने संबंधी मामला उठाना	(12)2
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(12)6
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(12)17
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(12)20
सदन के चार सदस्यों के निलंबन पर पुनर्विचार करने संबंधी मामला उठाना	(12)22
वाक आउट	(12)24
बिल्ज-	
(i) दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996	(12)24
स्थगन प्रस्ताव की सूचना	(12)25
वाक-आउट	(12)28
दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)	(12)28
बैठक का समय बढ़ाना	(12)58
दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)	(12)59
वाक आउट	(12)67

मूल्य : 99 00

दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)	(12)68
वाक आउट	(12)70
दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)	(12)70
(ii) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 1997	(12)72
बैठक का समय बढ़ाना	(12)72
दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 1997 (पुनरारम्भ)	(12)73
(iii) दि इंडियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1997	(12)74
(iv) दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997	(12)75
बैठक का समय बढ़ाना	(12)78
दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997 (पुनरारम्भ)	(12)78
वाक-आउट	(12)78
दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997 (पुनरारम्भ)	(12)79
(v) दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997	(12)80
(vi) दि पंजाब ऐक्साइज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1997	(12)82

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 20 मार्च, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1 चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Construction of Roads of Julana Constituency

***240. Shri Sat Narain Lather :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start the construction work of the following sanctioned roads of Julana constituenty :—

(i) Daihar to Bawana

(ii) Bawana to Igrah; and

(b) if so, the time by which the construction work is likely to be started/completed ?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) Work on these roads will be resumed during 1997-98 and efforts shall be made to complete the same by the end of 1998 subject to availability of funds.

श्री सत नारायण लाठर : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और इसके साथ साथ यह भी जानना चाहूंगा कि इनमें से एक सड़क पर मिट्टी डली हुई है और दूसरी सड़क पर मिट्टी डालने का काम बकाया है तो इन दोनों सड़कों को जल्दी से जल्दी कब तक बना दिया जाएगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों का इस साल के अन्त तक काम पूरा हो जाएगा।

श्री सत नारायण लाठर : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जून, 1996 में भारी बारिश के कारण महेन्द्रगढ़ जिले की जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं वे सड़कें कब तक रिपेयर करा दी जाएंगी?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की सभी सड़कों का सर्वे कराया जा रहा है बाढ़ के कारण जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी मरम्मत शीघ्रातिशीघ्र करा दी जाएगी।

Construction of New Road from Luhari to Bhandari

***234. Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new road from village Luhari to village Bhandari (District Panipat) by the Haryana State Agricultural marketing Board; and

(b) if so, the time by which the said road is likely to be completed ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मार्किटिंग बोर्ड द्वारा हर-एक-विधायक के क्षेत्र में दो-दो या तीन-तीन नई सड़कें बनाने का सरकार इरादा रखती है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सदन के चार सदस्यों के निलम्बन पर पुनर्विचार करने संबंधी मामला उठाना।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर साहब, समता पार्टी के माननीय सदस्यों ने विरोध प्रकट करने के लिए अपने-अपने मुंह पर पट्टी बांध रखी है। पट्टी इसलिए बांध रखी है क्योंकि इनको इस बात का डर है कि यदि ये बोलेंगे तो आप इनको नेम कर देंगे। आप इनको यह विश्वास दिलाएं कि यदि ये बोलें तो आप इनको नेम नहीं करेंगे ताकि ये मुंह के ऊपर से पट्टी खोल कर बोल सकें।

श्री अध्यक्ष : मैं समता पार्टी के माननीय सदस्यों को यह पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आज ये चार घंटे तक जितना मर्जी बोलें लेकिन अनपार्लियामैंट्री भाषा न बोलें।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर साहब, आप यह विश्वास दिलाएं कि आप इनको नेम नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं इनको नेम भी नहीं करूंगा चाहे ये दो बार नियमों का उल्लंघन भी कर दें। अब इनकी मर्जी है ये बोलें या न बोलें।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर साहब, जब इनका कोई सदस्य बोलता है तो आप उसको नेम कर देते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, क्वैश्चन आवर को चलते हुए पांच मिनट हो गए हैं। मैं इस पांच मिनट के अनुभव पर कह सकता हूं कि सदन और अध्यक्ष यह महसूस करें कि क्या विपक्ष के बगैर सदन पूरा हो सकता है। विपक्ष के बगैर सदन कभी पूरा नहीं हो सकता। ट्रेजरी बैंचिज को तो तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वह अपने स्वभाव से ज्यादा सवाल पूछना चाहे तो अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पट्टी इसलिए बांध रखी है कि इनके आनरेबल मैम्बर्ज को नेम किया गया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इनकी पट्टी उतरवाने के लिए आप इनको कहें।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : ये पट्टी सारी उम्र बांधे रहे, इससे इनकी बातें थोड़े ही छिप जायेंगी।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता से यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सदन के सदस्यों को नेम किया गया था उनका सदन की बाकी पूरी कार्यवाही के लिए निलंबन किया गया है, वह ठीक नहीं है। यह तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई विशेष बात कही जाये और आपके आदेश न माने जायें तो उन हालात में आप उन्हें गुस्से में या नियमों के अनुसार सदन की कार्यवाही से एक दिन के लिए तो निकाल सकते हैं लेकिन पूरी अवधि के लिए निकाल दें, यह अच्छा नहीं है। कल मैं बाहर खड़ा था तो हमारे एक साथी के बारे में कहने लगे कि तेरे लिए भी पेपर तैयार कर रखे हैं, यह कोई अच्छी रिवायत नहीं है।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर्ज तो यह कह रहे हैं कि समता पार्टी के सदस्य जो मर्जी बोले जाएं इनको बोलने दिया जाये इनके लिए कोई कानून-कायदा या सभ्यता नहीं होनी चाहिए। जिन दो नेताओं को निकाला गया है वे हर बात में चेयर पर ऐस्पर्शन करते रहे। ये चाहे सारी उम्र पट्टी बांधे रहे, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गाली दें, जो जी में आये कहते रहें, इनको नेम न किया जाये क्या यह कभी हो सकता है ? अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले सैशन में देखा होगा कि हरियाणा विधान सभा के रिकार्ड में ऐसी बात नहीं हुई होगी कि आपने इनके नेता को नेम किया हो। नेम करने के बाद वे हाउस से बाहर नहीं गए और आपको हाउस तीन बार ऐडजर्न करना पड़ा। उनको आपने तीन बार हाउस छोड़ कर चले जाने के लिए कहा। लेकिन वे नहीं गए। आखिर जब उनको निकाला गया तो वे जाते जाते मार्शल और स्टाफ के साथ धक्का मुक्की करते हुए घूंसे मारते गए। वाच एण्ड वार्ड वालों का खून भी निकल आया था। उन्हें ऐसा करने की हम इजाजत दे दें ? हम बिल्कुल नहीं देंगे। बेशक ये पट्टी बांधे रहें।

श्री अध्यक्ष : माननीय साथियों ने सदन के अन्दर मौन रखा है। गवर्नर एड्रैस से ले कर अब तक जो डिबेट हुई है उसके बारे में आंकड़े मैं सदन के अन्दर बता देता हूं। मुझे सिर्फ दो मिनट का समय लगेगा। सदन की इत्तलाह के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यह आज तक का रिकार्ड है कि गवर्नर एड्रैस पर 598 मिनट डिबेट हुई है जिसमें ट्रेजरी बैंचिज को 231 मिनट और अपोजिशन को 367 मिनट मिले। बजट पर 496 मिनट की बहस हुई है जिस पर ट्रेजरी बैंचिज वाले 195 मिनट और अपोजीशन वाले 301 मिनट बोले हैं। डिमाण्डज फार ग्रान्ट्स पर यह एक रिकार्ड है कि 226 मिनट की डिबेट हुई है For your information, from the inception of the State इतनी लम्बी डिबेट नहीं हुई ।ट्रेजरी बैंचिज वाले 14 मिनट और अपोजीशन वाले 212 मिनट बोले हैं। ऐप्रोप्रियेशन बिल्ज पर 104 मिनट की डिबेट हुई जिसमें से ट्रेजरी बैंचिज वाले 26 मिनट और अपोजीशन वाले 78 मिनट बोले हैं। मैं विपक्ष के चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को बताना चाहता हूं कि ये अपनी पार्टी के समय को भी देख लें, अपोजीशन को कभी भी इतना समय नहीं मिला था। न आपकी पार्टी के राज के समय में और न इनकी पार्टी के राज

[श्री अध्यक्ष]

के समय में क्या 1987-1991 तक कभी औपोजीशन को इतना अधिक समय मिला है ? ये साथी जो पट्टी बांधे बैठे हुए हैं इनके राज में 1987 से 1991 के दौरान अपोजीशन वालों का बोलना तो दूर अंदर आना भी मुश्किल था। फिर भी मैं माननीय साथियों से कहूंगा कि वे माननीय सदन के सदस्य हैं और अपने अपने हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं। वे सदन की डिबेट में हिस्सा लें, पार्लियामैंट्री भाषा बोलें if they will be un-ruly and unparliamentary then I will be pained to take the last resort which I don't want.

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, आपकी यह बात बिल्कुल ठीक है कि आपने बोलने के लिए पूरा टाईम दिया है लेकिन आपको पता है कि किस तरीके से चौधरी भजन लाल जी को हाउस में नेम किया गया है। मैं पार्लियामैंट के अन्दर 5 साल तक रहा हूं और काफी लम्बा समय इनका भी वहां पर रहा है, मुझे याद है कि इस 5 वर्ष के टाईम में पार्लियामैंट में किसी भी मैम्बर को नेम नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर जिस प्रकार से मोशन ले कर आए हैं वह अनप्रैसिडैंटिड है, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। इस सारे मामले को आप अपने लैवल पर टैकल कर सकते थे। अगर आपको लग रहा था कि उनका विहेवियर ठीक नहीं है या अनपार्लियामैंट्री लैंग्वेज का यूज हुआ है तो यह आपके जुरिस्डिक्शन में था यह आपकी परिधि में आता था जो हुआ है। This is most unfair and un-precedented . When there is some commotion then the Parliamentary Affairs Minister would come out with a resolution and because of brute majority he would get it passed. Sir, this should not be done because it curtails your powers. This is what I wanted to say, Sir.

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी कहते हैं कि पार्लियामैंट में कोई मैम्बर कभी नेम नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है नेम पार्लियामैंट में भी होते रहे हैं और यहां पर किस प्रकार से नेम होते रहे हैं यह भी हमने देखा है और आपने भी देखा है। बजट पर डिस्कशन चल रही थी। श्री ओम प्रकाश चौटाला बार-बार किताब ले कर खड़े हो जाते और कहने लगते कि इसमें किसानों की सबसिडी बन्द कर दी गई, बिजली के लिए पैसा नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, फाईनैंस मिनिस्टर की स्पीच के पेज 25 पर पूरी चीज एक्सप्लेन कर रखी है। पिछले साल कृषि के लिए 125 करोड़ रुपये रखे गए थे लेकिन इस बार 150 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके बावजूद भी बार-बार हाउस में खड़े हो जाना, किताब पढ़ने लग जाना और यह कहना कि सरकार हाउस को गुमराह कर रही है, क्या यह उचित है? अध्यक्ष महोदय, वे हाउस को खुद गुमराह करें और हाउस को गुमराह करने का दोष हमारे सिर मढ़ें हम इस बात को कैसे टौलरेट कर सकते हैं। इतना ज्यादा टाईम इनको मिला यह सारा मामला आपके सामने है। बोलने के लिए इनको इतना टाईम दिया गया लेकिन ये लोग हमें ही बोलने न दें यह कहां की पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी है? अध्यक्ष महोदय, अधिकार सब को है लेकिन किसी दूसरे के अधिकारों को रेनक्रोच करने का अधिकार किसी को नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा है कि यह अनप्रैसिडैंटिड है। मैं इनकी याददाश्त के लिए बताना चाहूंगा कि 1991 में कांग्रेस की सरकार बनकर आई थी और आप मंत्री थे। आज भी आप कांग्रेस में है। पिछली बार मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी के काल में पार्लियामैंटरी मिनिस्टर ने हमें यहां से कितनी बार और कैसे-कैसे निकाला यह आप भी जानते हैं। वैसे आप भी कुछ समय बाद हमारे पास ही बैठते थे।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) : अध्यक्ष महोदय, वीरेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं कि लोकसभा में कभी किसी को नेम नहीं किया। मैं इनको बताना चाहूंगा कि वहां पर एक मैम्बर बागड़ी होते थे उनको वहां से बाच एण्ड वाई स्टाफ ने उठाकर बाहर फैंका था। उनको तो अन्दर ही नहीं आने दिया जाता था और वे बाहर बैठे रहते थे।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को मैं यह बताना चाहूंगा कि जब भी सदन में गर्मा-गर्मी हुई उस वक्त ये शायद यहां पर मौजूद ही नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा था कि कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से श्री ओम प्रकाश चौटाला हमारी तरफ आंखे निकालते थे और धमकाने की कोशिश करते थे। वीरेन्द्र सिंह जी आपको पता है कि जब अध्यक्ष महोदय अपनी सीट पर खड़े हों तो सबको बैठ जाना चाहिए लेकिन चौधरी भजन लाल जी खड़े रहते और स्पीकर साहब को बातें कहते रहते। इसी तरह से जब राजकुमार जी ने बात कही तो उसको भी कहते बैठ जा तेरे को भी देख लूंगा। इस तरह धमकियां देते थे। यहां पर ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यहां पर इन्होंने एक प्रिविलेज मोशन शूगर मिल के बारे में मेरे खिलाफ दे दिया कि मैंने यहां पर पानीपत मिल बंद करने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह करते हैं। आप रिकार्ड देख लें मैंने अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं कही है। ये प्रैस के भाईयों के पास जाकर गलत बात करते हैं। हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो ये कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी बैठ जाएं मैं इसका जवाब जीरो आवर में दे दूंगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने ऐसी कोई गलत बात कही हो तो यह रिकार्ड में देख लिया जाए। अगर यह बात सत्य हुई तो मैं इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन में देखा होगा कि जब इनको अपनी बात बोलनी होती है वह तो ये सब बोल जाते हैं जब उस का जवाब सुनने की बारी आती है तो ये यहां से वाक-आउट कर जाते हैं। इन्होंने आज तक कोई भी जवाब नहीं सुना। मैं गवर्नर ऐड्रैस पर जवाब दे रहा था तो ये वाक आउट कर गए थे। ये गाली देना तो जानते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं सुन सकते। आज तक ये किसी भी बात का जवाब सुनने के लिए यहां पर बैठे हों तो बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय सिंह राणा : * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं, उसको रिकार्ड न किया जाए। राणा साहब, आप तीसरी बार चुनकर आए हैं और हर पार्टी से आपका संबंध भी रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसा न कहें और अब आप बैठें।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पार्टी का संबंध है मैं पहले दो बार आजाद चुनकर आया हूं और अब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर एम०एल०ए० चुनकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। अब अगला सवाल होगा।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Repair of Roads from Kheri-Sadh to Karor

***265. Shri Balwant Singh :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the road from village Kheri-Sadh to village Karor in Rohtak district; and

(b) if so, the time by which the said road is likely to be repaired ?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) The repair work on this road will be completed by 31-5-97 subject to availability of funds.

श्री सत नारायण लाठर : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पहले बाढ़ के कारण जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी थीं और जिन पर अब वाहन या रेढ़े चल नहीं सकते हैं, क्या ऐसी सड़कों की रिपेयर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि है तो कब तक इनकी मरम्मत हो जाएगी ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, हम ऐसी सभी सड़कों की रिपयेर शीघ्र ही शुरू करवाने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, पिछले कई दिनों से आपके विभाग से संबंधित कई प्रश्न यहां पर आए हैं। मेरा भी आपसे यही जानने का विचार है कि जो रोड्ज 1995 की बाढ़ में सारे प्रदेश में नष्ट हो गयी थीं और जिनकी आज तक भी मरम्मत नहीं हो पायी है इसलिए विपक्ष के और सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों को इस बात की लेकर गहरी चिंता है कि सारे प्रदेश में उनके हल्कों की सड़कों पर 1995 की बाढ़ के बाद से आज तक मरम्मत नहीं हो पायी। मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से इनकी मरम्मत नहीं हो पायी लेकिन यहां पर आपके विभाग से संबंधित रोजाना दो या चार प्रश्न इस बारे में जरूर आते हैं। आप भी इस बात को लेकर चिन्तनशील महसूस होते हैं और आपका इनके बारे में जवाब भी ठीक सा ही होता है। क्या आप सारे सदन को यह विश्वास दिलाएंगे कि जो रोड्ज 1995 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गयी थीं तथा जिनको उस समय की सरकार ठीक नहीं करवा सकी थी, उनको कब तक आप ठीक करवा देंगे ?

Shri Dharamvir Yadav : Mr. Speaker, Sir, on account of heavy rains, there was extensive damage of roads in District Rohtak and other parts of Haryana. अध्यक्ष महोदय, जितनी भी रोड्ज उस समय डैमेज हुई थीं उन सभी की हम एक सूची बनवा रहे हैं और बहुत शीघ्र ही उनकी रिपेयर शुरू की जाएगी। अप्रैल के पहले सप्ताह में यह काम शुरू हो जाएगा और मैं ऐसी आशा करता हूं कि 30 जून के पहले-पहले इन सभी रोड्ज की रिपेयर करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ रोड्ज बच जाएंगी तो उनकी भी हम सितम्बर के मध्य के पहले-पहले रिपेयर करवा देंगे।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, कुछ रोड्ज जो बहुत बड़ी हैं और कुछ लिंक रोड्ज हैं। पहले जब चौधरी बंसीलाल जी की सरकार होती थी, तब ही उन सड़कों के किनारे किनारे मिट्टी डलवायी गयी थी। लेकिन अब ऐसी सड़कों के किनारों पर दो-दो फुट गहरे गढ्ढे हो गये हैं लेकिन पिछली किसी भी सरकार ने इन गढ्ढों को भरने के लिए मिट्टी नहीं डलवायी। आज ऐक्सीडेंट का मेन कारण यही है कि अगर कोई गाड़ी साईड देती है तो वह सड़कों के नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से ऐक्सीडेंट हो जाते हैं। क्या मंत्री जी के नोटिस में ऐसी बात है अगर हाँ तो तब तक ऐसी सड़कों के किनारों पर मिट्टी डलवाए जाने की योजना है ?

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, हम सड़कों की मैटलिंग के साथ-साथ उनके अर्थवर्क के काम को भी पूरा करेंगे।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, सोनीपत से गोहाना जाने वाली सड़क एवं सोनीपत से रोहतक जाने वाली सड़क 1995 की बाढ़ की वजह से टूट गयी थीं। आज इन दोनों सड़कों की बहुत बुरी हालत है। क्या इन सड़कों को बनाने की भी इनकी कोई योजना है ? इसके अलावा मैं इनसे यह भी जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय जो सड़कों की रिपेयर होती थी उसमें एक रस्सी बिछाकर उसके लेवल तक एक-एक इंच तक रिपेयर कर दी जाती थी तो क्या अब भी सरकार इन सड़कों की ऐसी ही रिपेयर करेगी या इससे अच्छी रिपेयर करने का उसका प्रस्ताव है ?

श्री धर्मबीर यादव : स्पीकर सर, जिन सड़कों का ये जिक्र कर रहे हैं तो इन सड़कों पर अप्रैल में रिपेयर शुरू करवा दी जाएगी और 30 जून से पहले-पहले यह काम हो जाएगा। जहां तक इन्होंने कहा कि रिपेयर अच्छी होनी चाहिए तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि स्पैसिफिकेशन के मुताबिक ही रोड्ज की रिपेयर होगी। मैं आशा करता हूं कि हमारी रिपेयर की हुई सड़कें कम से कम पांच साल नहीं टूटेंगी।

Construction of New Anaj Mandi At Ambala Cantt.

***270. Shri Anil Vij :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new Anaj Mandi at Ambala Cantt.; and

(b) if so, the time by which the said Anaj Mandi is likely to be constructed ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) :

(क) जी हाँ

(ख) अनाज मण्डी की भूमि अभी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को स्थानान्तरण नहीं हुई है। अनाज मण्डी का निर्माण भूमि का कब्जा लेने के दो वर्ष के भीतर कर दिया जायेगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर 'हां' में दिया और साथ ही

[श्री अनिल विज]

यह आश्वासन भी दिया कि भूमि ट्रांस्फर के दो वर्ष के भीतर अनाज मंडी का निर्माण कर दिया जाएगा इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो भूमि ट्रांस्फर का मामला है इसमें पिछली गवर्नमैंट ने लोगों की जैनुयन डिमांड के प्रति भी जो एपैथैटिक एटीच्यूड रखा पिछले लगभग 5-6 साल से भूमि ट्रांस्फर का मामला सरकार से सरकार के बीच चल रहा है और एक म्यूनिसिपैलिटी ने जमीन देनी है और मार्किटिंग बोर्ड ने जमीन लेनी है उसमें इतनी दिक्कत की क्या बात है कि 5-6 साल से यह मामला लटका रहा। मैं जानना चाहूंगा कि इस जमीन के ट्रांस्फर के लिए क्या कोई समय सीमा मंत्री जी निश्चित करेंगे जिससे यह भूमि ट्रांस्फर हो जाए और अनाज मंडी बन सके।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं और ये स्वयं भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अम्बाला सदर में जमीन है वह वहां की नगरपालिका की जमीन है और सड़क से दूसरी जमीन का स्तर काफी नीचा है। कई दफा हमारे अधिकारियों ने और विज साहब ने भी सबने खूब प्रयास किये हैं और मैं इन्हें आपके माध्यम से आश्वासन देता हूं कि महीने-दो महीने में हम जमीन की तबदीली का मामला तय कर देंगे।

श्री कैलाश चंद्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, नांगल चौधरी में अनाज मंडी की जमीन ऐक्वायर हुए 4-5 साल हो गए हैं और दुकानों की नींव भी भर रखी है और पट्टे भी बांध रखे हैं लेकिन उसके बाद काम रुका हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें आगे ये क्या करने जा रहे हैं वे पट्टे ही बंधे रहेंगे या खोलकर आगे काम किया जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो नांगल चौधरी के बारे में जिक्र किया है इसके बारे में मैं जानकारी मंगा लेता हूं उसके बाद वहां पर क्या मामला है उसके बारे में माननीय सदस्य मुझसे कभी भी मिल लें मैं पूरी जानकारी दे दूंगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रिवाड़ी की जो अनाज मंडी है उसकी चारदीवारी का पैसा मंजूर हो चुका है। चारदीवारी न बन पाने की वजह से वहां काफी दिक्कत है पशु घुस आते हैं जिससे किसानों और व्यापारियों को काफी समस्या होती है क्या उस चारदीवारी को पूरा करने की कार्यवाही करायेंगे ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : माननीय कैप्टन अजय सिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके अपने शासन काल में कंस्ट्रक्शन में और दूसरे कामों में धांधली होती रही। जहां तक हमारे मार्किटिंग बोर्ड का सवाल है मैं रिवाड़ी की अनाज मंडी की चारदीवारी के बारे में पता करवा लेता हूं क्योंकि वहां इनकी अपनी सरकार के समय में काम नहीं हुआ। मैं पता करवा लेता हूं अगर कोई बात ठीक होगी तो हम करने की कोशिश करेंगे।

श्री दिलू राम : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के सीवन कस्बे में जो कि बहुत बड़ा तथा पुराना कस्बा है, लोगों की मण्डी की मांग काफी दिनों से चली आ रही है। यह अनाज मण्डी की मांग 1979 से आज 10.00 बजे तक चली आ रही है और अनाज मंडी के लिए 22 एकड़ जमीन भी ऐक्वायर हुई। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट में स्टे ले आये लेकिन स्टे केवल 4 एकड़ जमीन का ही है और 18 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। मुझे पता लगा है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से पैसा भी आ गया है मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वहां पर काम कब तक शुरू करवायेंगे ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जैसा इन्होंने कहा कि इस मण्डी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है जैसे ही कोर्ट का फैसला हो जायेगा उसके बाद हम विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह सब-ज्यूडिस केस है।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, बास (हिसार) की अनाज मंडी कई सालों से बनी पड़ी है और उसे चालू नहीं किया जा रहा है। दूसरे मेरे जिला जींद में पुरानी अनाज मंडी और रोहतक रोड पर नई अनाज मंडी है। किसानों को दोनों मंडियों में जाना पड़ता है। तो यह नई अनाज मंडी कब तक चालू करेंगे मंत्री जी कृपया जवाब दें ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि ये इस बारे में अलग से प्रश्न दे दें तो विस्तार से बता सकता हूं।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चरखी दादरी की सब्जी मण्डी जो कि शहर के बीच में है उसे शिफ्ट करके शहर से बाहर ले जाने का प्रोग्राम 8-10 साल से चल रहा है और सैक्शन चार का नोटिस भी जारी हो गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सब्जी मंडी को बाहर ले जाने का कब तक प्रोग्राम है क्योंकि इससे शहर में बड़ी गंदगी रहती है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सतपाल सांगवान जी ने बिल्कुल ठीक कहा है उनकी सलाह पर हम जल्दी ही कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री रामभजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, भिवानी सब्जी मण्डी में दो साल से शैड बने हुए हैं लेकिन वे सब्जी के रिटेल डीलरों को अलॉट नहीं किए गए हैं जिससे सरकार का 50-60 हजार रुपये महीने का नुक्सान हो रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये शैड सब्जी के रिटेल डीलर्ज को अलाट किये जायें। दूसरे, लोहा और लकड़ी मंडी बनाने का काम पहली अप्रैल से शुरू करना था लेकिन उनके प्लाट अभी तक अलॉट नहीं किये गये हैं, उसके बारे में बतायें ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने पिछली दफा भी सदन को बताया था कि प्लाट अलॉटमेंट करने की पिछली सरकार के समय में जो पौलिसी थी उसमें कोई कमी थी उसकी वजह से सारे हरियाणा के आढ़ती कचहरी या अदालत का सहारा ले लेते थे। हम बहुत जल्दी एक नई पौलिसी इस प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं जिससे सभी आढ़तियों और किसानों को फायदा होगा। रही बात लोहा और लकड़ी मंडी की, यह मंडी बोर्ड का विषय नहीं है।

श्री आनन्द कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बल्लबगढ़ अनाज मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट करने का कार्य काफी दिनों से चल रहा है लेकिन अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाई है। उसे कब तक शिफ्ट करायेंगे और क्या अनाज मंडी में अनाज के व्यापार के अलावा और काम भी हो सकता है क्योंकि वहां और भी दुकानें बनी हुई हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने दिक्कत बताई है वह बिल्कुल ठीक है। पिछली सरकार ने इस इलाके के साथ जानबूझ कर ज्यादतियां कीं और इस इलाके की समस्याओं को दूर नहीं किया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

बारे पौलिसी सरकार के विचाराधीन है और जल्दी ही कोई फैसला लेकर इनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे हल्के में गये थे तथा इन्होंने वहां पर गांव खामी में सब-यार्ड बनाने के लिए हां की थी, यह बात कहां तक अमल में लाई गई है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि मैं खामी गांव में गया था। यह जिला फरीदाबाद का सबसे बड़ा गांव है। इसके आसपास के गांवों के किसानों को अपनी उपज लेकर बहुत दूर जाना पड़ता था। वहां पर मैंने यह बात कही थी कि खामी के लोग हमें जमीन उपलब्ध करा दें, वहां पर हम मार्किट कमेटी का सब-यार्ड बना देंगे।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पानीपत अनाज मंडी का फर्श दो फुट ऊंचा है। वहां पर किसानों को अपना अनाज वगैरह डालने में काफी दिक्कतें आती हैं। क्या इस मामले में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि किसानों की समस्याएं दूर हो सकें ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में सारे प्रदेश में जहां कहीं भी नई या पुरानी अनाज मंडियां थीं और उनमें जो भी समस्याएं थीं चाहे फर्श ऊंचे होने की है, या फर्श नीचे होने की है, इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। जहां तक इनकी अपनी मंडी की बात है, अगर इनकी बात जायज होगी तो उसको ठीक कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : यह जो आप सब-यार्ड बनाते हैं और जो इससे भी छोटे यूनिट होते हैं, क्या उनको बनाने के लिए मार्किटिंग बोर्ड कोई सूओ मोटो सर्वे करता है ? लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सब-यार्ड या मंडी वगैरह का निर्माण किस आधार पर किया जाता है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग इस बात की जानकारी हासिल करता है कि सब-यार्ड कहां खोला जाना चाहिए, मार्किट कमेटी कहां खोली जानी चाहिए और परचेज़ सैंटर कहां खोला जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आवक उस सब-यार्ड की हो सकती है तथा जो उत्पादन उस गांव के सब-यार्ड के आसपास होता है, इन सब बातों का अनुमान लगाना होता है। अगर वह अनुमान ठीक आता है तो हरियाणा सरकार का राज्य विपणन बोर्ड वहां पर सब-यार्ड, परचेज़ सैंटर या मार्किट कमेटी खोलने पर विचार करता है।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि श्री जगदीश नैय्यर ने खामी गांव में सब-यार्ड खोलने की बात कही है, वह मेरा ही गांव है। मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर सब-यार्ड तो पहले से ही है जो कि 3 साल से चल रहा है। वहां पर जरूरत उसका फर्श पक्का करने की है। उसके लिए जमीन भी ले रखी है। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि उसका फर्श कब तक बना दिया जाएगा ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जब मैं वहां पर गया था तो वहां पर हुई जनसभा में यह बात नहीं आई थी कि वहां पर सब-यार्ड पहले ही बना हुआ है। उन्होंने तो सब-यार्ड की बात कही थी, जिसके लिए मैंने हां कही थी। अब जैसे कि श्री हर्ष कुमार जी ने उसके फर्श बनाने की बात कही है, इसके लिए मैं आश्वासन देता हूं कि वह हम बना देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 299

(माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे, इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Construction of Building of Anganwari Centre, Jasaur Kheri

***353. Shri Nafe Singh Rathee** : Will the Minister for Social Welfare be pleased to state the time by which the building of Anganwari Centre in village Jasaur Kheri (District Rohtak) is likely to be completed ?

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : श्रीमान् जी, गांव जासोर खेड़ी (रोहतक) में आंगनवाड़ी केन्द्र के भवन का निर्माण दिनांक 30-4-97 तक पूरा हो जाएगा।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो आंगनवाड़ी सैंटर गांवों में खोले गये हैं, उनके कर्मचारियों को बहुत ही थोड़ा वेतन दिया जाता है। क्या उनका वेतन बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि यह केन्द्र सरकार से स्पौंसर्ड स्कीम है और केन्द्र सरकार की ओर से इनका वेतन केवल 400 रुपये प्रति माह दिया जाता है। राज्य सरकार ने फिर भी इनके 200 रुपये बढ़ा दिये हैं। इससे ज्यादा इनका वेतन बढ़ाने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री कपूर चन्द शर्मा : स्पीकर साहब, मेरे क्षेत्र में ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें अभी तक कोई आंगनवाड़ी शिक्षा केन्द्र नहीं है। मेरे क्षेत्र में तीन-तीन चार-चार गांवों में एक आंगनवाड़ी बनाई हुई है इसलिए उन आंगनवाड़ी केन्द्रों में एक गांव से दूसरे गांव में महिलाओं और कन्याओं को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या हर गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर 116 ब्लॉक्स हैं और 13 लाख 533 आंगनवाड़ी सैंटर हैं। हर ब्लाक में हमने आंगनवाड़ी खोली हुई है। एक हजार की आबादी पर एक आंगनवाड़ी सैंटर खोला हुआ है। अगर माननीय सदस्य बताएंगे कि उनके क्षेत्र का कोई गांव आंगनवाड़ी सैंटर खोलने के नियम पूरे करता है तो वहां पर आंगनवाड़ी सैंटर खोल देंगे।

श्री हर्ष कुमार : स्पीकर साहब, मंत्री महोदया की यह बात ठीक है कि यह सैंट्रली स्पौंर्ड स्कीम है इसलिए उनको वेतन कम मिलता है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा प्रावधान करेगी कि जो आंगनवाड़ी वर्कर लगेगी वह उसी गांव की लगेगी। यह अलग बात है कि अगर उस गांव में मैट्रिक या आंठवीं कक्षा की महिला न हो या रिजर्व कोटे की महिला न हो तो दूसरे गांव की लगाई जा सकती है। हमारे यहां पचासियों गांव ऐसे हैं जिनमें मैट्रिक और आठवीं कक्षा तक पढ़ी हुई महिलाएं हैं और रिजर्व कोटे की भी हैं लेकिन उन गांवों में दूसरे गांवों या शहरों की वर्कर्ज लगाई हुई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में इन्कवायरी करा करके क्या उन गांवों की आंगनवाड़ी में उसी गांव की महिला लगाने की कोशिश की जाएगी ?

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि उन्होंने क्या नार्म्ज बनाए हुए थे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि जिस गांव में आंगनबाड़ी सैंटर हो उसमें उसी गांव की महिला यदि मैट्रिक पास हो तो उसको लगाया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर की एक छोटी सी नौकरी है। एक आंगनवाड़ी वर्कर को 400 रुपये सैंटर गवर्नमैंट की तरफ से दिये जाते हैं और 200 रुपये हम अपनी सरकार की तरफ से देते हैं। अगर माननीय सदस्य के हल्के के गांवों में कोई अनियमितता है तो वह मेरे नोटिस में लाएं हम उस पर विचार करेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर साहब, गोहाना समाज कल्याण विभाग के पास आंगनवाड़ी वर्कर्ज की 10 पोस्टें सैंक्शन हो कर गई हैं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि उन पोस्टों को कब तक फिलअप कर दिया जाएगा।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 20 आंगनवाड़ी सैंटर्ज पर एक सुपरवाइजर होती है और सुपरवाइजर के बाद एक प्रोग्राम औफिसर होती है वे दोनों आंगनवाड़ी वर्कर का इन्टरव्यू लेते हैं। हमारे पास जहां-जहां से वैकेन्सी आएगी उनका इन्टरव्यू ले कर उनको भर्ती किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, मेरा आपसे एक सुझाव है और परामर्श है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि उसी गांव की महिला को आंगनवाड़ी सैंटर में लगाया जाए क्योंकि उनको बहुत कम वेतन मिलता है इसलिए दूसरे गांव या शहर से कोई आंगनवाड़ी वर्कर आकर किसी दूसरे आंगनवाड़ी सैंटर में लगे तो यह बात जस्टिफाईज नहीं है। क्या आपका विभाग इस बारे में या आप खुद इस बारे में सुओमोटो इन्कवायरी कराएंगी कि किसी गांव की आंगनवाड़ी में किसी दूसरे गांव की या शहर की वर्कर कैसे लगी और क्यों लगी? क्या इस बारे में सुओमोटो इन्कवायरी करके कोई ऐक्शन लेने का आपका कोई विचार है ?

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी तक ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में नहीं आई है लेकिन अब मुझे कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में बताया है तो उस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

Mr. Speaker : There are so many cases like this.

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ठीक है इसकी छानबीन कर ली जाएगी। अब हमने मैरिट का क्राइटेरिया भी रखा हुआ है। कई बार किसी गांव में मैट्रिक पास वर्कर नहीं मिलती है, तो उस गांव में दूसरे गांव की वर्कर को लगाया जा सकता है।

श्री विजेन्द्र सिंह कादयान : स्पीकर साहब, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि एक आंगनवाड़ी सैंटर में बच्चों को किस रेशो पर खुराक दी जाती है। मुझे पता लगा है कि आंगनवाड़ी सैंटर के लिए जो खुराक जाती है वह सुपरवाइजर अपने घर में रख लेते हैं।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में आंगनवाड़ी सैंटर में एक बच्चे की खुराक के लिए 80 पैसे और महिला के लिए 95 पैसे फिक्स किए हुए थे। इस सरकार ने आने के बाद 95 पैसे एक बच्चे की खुराक के लिए और 115 पैसे एक गर्भवती महिला के लिए देने का प्रावधान किया है उस खुराक में विटामिन और कैलोरीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। मैं यह मानती हूं कि यह जो पैसा है, यह बहुत कम है। लेकिन मैं इनको बताना चाहती हूं कि सारा माल चैक होता है, लैबोरेटरी में टैस्ट होता है। टैस्ट होने के बाद उसको पावर परचेज कमेटी खरीदने की इजाजत देती है। उसके बाद ए०डी०सी०

के माध्यम से सारे सैन्टरों में उस सामान को भेजा जाता है। अगर कहीं पर कोई कमी इनको दिखाई देती हो तो ये हमारे नोटिस में लायेंगे तो उसकी जांच करवा लेंगे। वैसे विभाग की तरफ से समय समय पर चैकिंग होती रहती है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के वक्त में ही यह राशि प्रति बच्चा और गर्भवती महिला की बढ़ा दी गई थी। हमारे समय में ही हमने बच्चों पर खर्च की जाने वाली राशि को 80 पैसे से बढ़ा कर 93 पैसे और गर्भवती महिलाओं पर 93 पैसे की बजाये एक रुपया पांच पैसे कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : आप इनको वह स्पेसिफिक डेट बता दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं ठीक कह रहा हूं खुराक की यह राशि हमारे समय में बढ़ाई गई थी।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के आने के बाद हमने यह राशि 20-12-96 को बढ़ाई है। इनके समय में यह नहीं बढ़ी।

Diet

***329. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Diet centre in District Mohindergarh ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान्। महेन्द्रगढ़ जिले में महेन्द्रगढ़ में ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) पहले से ही स्थापित है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का रिवाड़ी जिले में रिवाड़ी के अन्दर डी०आई०ई०टी० सैन्टर खोलने का कोई विचार है ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह डी०आई०ई०टी० की योजना भारत सरकार की है। जिस समय हरियाणा के 12 जिले होते थे उन दिनों यह स्कीम 12 के 12 जिलों में होती थी चूंकि बाद में चार नए जिले और बन गए। इन चार नए जिलों के लिए अपनी तरफ से प्रस्ताव बनाकर हमने भारत सरकार को भेजा हुआ है। ये चार जिले हैं रिवाड़ी, कैथल, यमुनानगर और पानीपत। इस समय हम इन 12 स्थानों पर तो अध्यापकों को प्रशिक्षण दे ही रहे हैं साथ ही 10 जे०बी०टी० की संस्थाओं में प्रशिक्षण दे रहे हैं इसके अलावा 8 प्राईवेट संस्थाओं में भी हम अध्यापकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिनको सरकार ने उपयुक्त समझा है।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या फरीदाबाद में लड़कियों के लिए अलग से पौलिटैक्निक कालेज खोलने का विचार है क्योंकि इसके लिए 11 एकड़ जमीन भी ऐक्वायर की हुई है और बजट में भी इसके लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर कब तक काम शुरू हो जायेगा?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल टैक्नीकल एजूकेशन मंत्री श्री नारायण सिंह के विभाग से ताल्लुक रखता है लेकिन कुछ दिन पहले तक यह महकमा मेरे पास था, मुझे जो जानकारी है उसके आधार पर मैं इनको बताना चाहता हूं कि कुछ प्रक्रिया पूरी हो चुकी है परन्तु अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

राव नरेन्द्र सिंह : पिछले दिनों एजूकेशन मंत्री जी अटेली में हमारे संजय कालेज में पधारे थे और मंत्री जी ने उसको सरकार के नियंत्रण में लेने का आश्वासन दिया था। मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि क्या उस संजय कालेज का नाम बाबा खेतानाथ के नाम पर रखने का ये आश्वासन देंगे क्योंकि यह उस इलाके के लोगों की मांग है?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि चौधरी बंसी लाल जी की सरकार means every word is a letter of the word. भाई नरेन्द्र सिंह जी ने जो सप्लीमैंटरी पूछी है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि संजय कॉलेज इनके स्वर्गीय पिता श्री बंसी सिंह के प्रयासों से तथा वहां के इलाके के लोगों के सहयोग से बना है। उनकी कोशिश थी कि इस कालेज का सरकारी अधिग्रहण हो लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया है। एक-दो महीने में इस कॉलेज का सरकारी-करण करने की कोशिश करेंगे ताकि इस इलाके के लोगों का भला हो सके। नोगल चौधरी गांव के लोगों को भी मैंने अपनी तरफ से कहा है और प्रस्ताव रखा है कि इस कालेज का नाम बाबा खेता नाथ के नाम पर रख दिया जाए। अगर वहां के लोग यह चाहते हैं कि इस का नाम बाबा खेता नाथ के नाम पर रखा जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी तक इस तरह की कोई बात सरकार के पास नहीं आई है जैसे ही इस बारे में प्रस्ताव आएगा तो उस पर भी तुरन्त विचार करते हुए इसका नाम बाबा खेता नाथ के नाम पर रख दिया जाएगा।

श्री राज कुमार सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि अप्रैल मास से नई कक्षाएं स्कूलों में आरम्भ हो जाएंगी और शिक्षा मंत्री महोदय ने विभिन्न अवसरों पर कई स्कूलों को अपग्रेड करने का आश्वासन भी दिया है। मैं आप के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिन स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है क्या उन स्कूलों को अप्रैल से पहले अपग्रेड करने बारे सरकार विचार करेगी ताकि वहां पर नई कक्षाएं समय पर शुरू हो सकें ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज कुमार सैनी जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जब से यह सरकार सत्ता में आई है तभी से हर हल्के से हर क्षेत्र से विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने की मांग आ रही है। इस बारे में सरकार ने पहले ही सर्वे करवाया है और हम प्रयास करेंगे जो स्कूल इस बार अपग्रेड होने हैं उन के मामलों को मई के पहले सप्ताह तक टेकअप करके फाईनल कर लिया जाए ताकि इसी सत्र में वहां पर क्लासिज़ शुरू की जा सकें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जे०बी०टी० ट्रेनिंग के लिए जो सीटस बच्चों को अलाट की जाती हैं उनका स्थान निर्धारित करने का क्राईटेरिया क्या है ? आमतौर पर देखा गया है कि रिवाड़ी के बच्चों को सिरसा में दाखिला दिया जाता है और सिरसा के बच्चों को कहीं और ऐडमिशन दे दिया जाता है। क्या वे इस बात पर विचार करेंगे कि जिस क्षेत्र का बच्चा हो, ऐडमिशन के वक्त उसको जो सीट अलाट की जाए वह उसके घर के नजदीक हो, क्या इस बारे में लड़कियों के मामलों में विशेष रूप से ध्यान देने के बारे में सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जे०बी०टी० के लिए एक ऐण्टरैंस टैस्ट होता है और इस बार करीब 30 हज़ार बच्चों ने जे०बी०टी० ऐण्टरैंस टैस्ट में हिस्सा लिया। ऐण्टरैंस टैस्ट के रिजल्ट को पूरी तरह से कम्पयूटराईज्ड करवा कर बच्चों को दाखिला दिया गया है। दाखिले के समय जो फार्म लेते हैं उनमें बच्चों से 3 प्रॉयोरिटीज़ लेते हैं कि पहले नम्बर पर किस स्थान पर, दूसरे नम्बर पर किस स्थान पर और तीसरे नम्बर पर किस स्थान पर वे एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके हिसाब से ही उनको स्थान देने का प्रयास करते हैं। छात्रों की दिक्कत को ध्यान में रखा जाता है और उनकी दी गई प्रायोरिटी को देखा जाता है। लड़कियों के मामलों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है और अगर कोई सीट खाली हो तो माईग्रेशन दे कर भी उनको वांछित स्थान पर भेजा जाता है।

Opening of Girls High School, Chimni, District Rohtak

***374. Dr. Virender Pal Ahlawat :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government High School for girls in village Chimini, District Rohtak.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : वर्तमान में विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, कई दिनों से मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान होडल कॉलेज की ओर दिलाना चाहूंगा। इस कॉलेज में मैं स्वयं भी करीब 5 वर्ष पढ़ा हूं। जब वहां पर ऐडमिशन होता है तो काफी लम्बे-चौड़े खर्च की लिस्ट छात्र को पकड़ा दी जाती है जो कि करीब 1750 रुपये तक की होती है। ऐडमिशन के लिए यह राशि काफी ज्यादा हो जाती है। इसके साथ ही एक दूसरा तथ्य भी मैं शिक्षा मन्त्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि वहां पर डी०पी०ई० की सुविधा नहीं है लेकिन फिर भी छात्रों से इसकी फीस ले ली जाती है और अच्छी खासी रकम सिक्योरिटी के रूप में भी ले ली जाती है जो छात्रों के साथ अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या छात्रों के साथ इसी प्रकार से अन्याय होता रहेगा या सरकार इस अन्याय को दूर करने के बारे में कोई विचार करेगी ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि अन्याय के बाद न्याय मिले इसलिए ही लोगों ने यह सरकार बनाई है। इन्होंने जो अन्याय वाली बात कही है वहां पर उन स्टूडैंट्स को उस अन्याय से राहत दी जाएगी।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में बगाड़खेड़ा गांव है वहां पर एक स्कूल में 18 कमरे हैं और उसकी जमीन भी 5 एकड़ है तो क्या ये वहां पर उस स्कूल का दर्जा बढ़ाएंगे ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर यह स्कूल मानदंड पूरे करता होगा तो इस बारे में हम विचार करेंगे।

Extension of Jind By-Pass

***350. Shri Birender Singh :** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the existing Jind by-pass from Gohana road to Patiala road ?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) : Proposal for extension of existing Jind by-pass from Gohana road to Patiala road is under consideration.

Shri Birender Singh : Sir, as usual the Minister has replied that the proposal is under consideration. I would like to know whether the funds are available and secondly .....

Mr. Speaker : There is slight change in the reply.

Shri Birender Singh : Sir, I would like to know what be means by 'consideration'. Whether it is that the work would be taken up in the current financial year or it could be taken up after 1st April, 1997 ? Whether the work would be completed within the next financial year ? Furthermore, I want to know whether there is proposal to have this by-pass in four lanes ?

Shri Dharamvir Yadav : Sir, the proposal for construction of this bye-pass was sent to the Government on 5th November, 1996 and the same was received back from the Government with a direction that the proposal will be considered in the next year i.e. in 1997-98. The proposal was again sent to the Government for consideration and roughly a period of 2 years will be taken for completion of this work.

Shri Birender Singh : Sir, the next part of my question remains unanswered. In the second part of my question, I have asked whether there is proposal to have this by-pass in 4 lanes ?

Shri Dharamvir Yadav : At the moment, it is 2 lanes and not 4 lanes.

Shri Birender Singh : Whether there is any proposal to start the acquisition proceedings of the land for this purpose and whether the alignment work has already been started and whether there is also proposal to construct bridge over the Chinting canal which passes through Jind City. What is the progress in regard to the matter of acquisition of land and alignment of this by-pass ?

Shri Dharamvir Yadav : The proceedings for the acquisition of the land will be started as and when approval from the government comes and it would take roughly two years to complete this work. So far as culverts and bridge are concerned, those will be constructed according to the requirement.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी एक इन्डस्ट्रियल बैल्ट है और वहां से काफी ट्रैफिक जयपुर और अलवर जाता है जिससे वहां पर ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। क्या इनके पास वहां पर कोई बाई-पास बनाने का प्रपोजल विचाराधीन है जिससे वहां पर ट्रैफिक जाम न हो ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रपोजल विचाराधीन नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या ये इस बारे में विचार करेंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, ये इस बारे में हमें लिखकर भेज दें। हम इस बारे में सहानुभूति के तौर पर विचार अवश्य कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज़ पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Repair of Government Hospital Ellenabad

***388. Shri Bhagi Ram** : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair/reconstruct the building of Government Hospital, Ellenabad; and

(b) if so, the time by which the construction work of the said building is likely to be started/completed ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) :

(क) तथा (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की विशेष मुरम्मत 1994-95 में की जा चुकी है। भवन का पुनः निर्माण करने की बजाए नए स्थान पर एक 30 बिस्तरों वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है जो कि 3 वर्ष में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

Augmentation of Water Supply Schemes

***432. Shri Ram Phal Kundu** : Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to augment the water supply schemes of villages Muana, Rod, Malikpur and Danauli (Safidon Constituency) as the existing water supply scheme is not sufficient to meet out the requirement of above said villages ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) : जी नहीं।

Abolition of Octroi in the State

***439. Shri Mani Ram** : Will the Minister for Local Government be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish octroi in the State ?

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : जी, नहीं।

Bringing of New Colonies in Municipal Limits, Panipat

***407. Shri Om Parkash Jain :** Will the Minister for Local Government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to bring the colonies adjacent to Panipat City within its Municipal limits ?

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Alleged Irregularity committed in the purchase of Road Rollers

***384. Shri Ramji Lal :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the number of road rollers purchased, if any, by the Haryana State Agricultural Marketing Board during the year 1995-96; and

(b) whether any irregularity committed in the said purchase has come to the notice of Government; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) :

(क) व (ख) 1995-96 में हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल के अनुरोध पर निदेशक सप्लाईज़ एण्ड डिस्पोज़ल द्वारा बोई के लिए 14 रोड रोलरों की खरीद का आर्डर दिया गया। इस आर्डर के तहत 8 रोड रोलर नवम्बर 1996 में प्राप्त हुए। बाकी 6 रोड रोलरों का आर्डर रद्द करने हेतु निदेशक सप्लाईज़ एण्ड डिस्पोज़ल को अनुरोध किया गया है। रोड रोलरों का आर्डर बिना बजट प्रावधान एवं बिना रोड रोलर चालकों के पदों के सृजन के दिया गया। साथ ही उस समय बोर्ड में उपलब्ध रोड रोलरों का भी पूर्णतया उपयोग नहीं हो रहा था।

Accounts of H.S.A.M.B.

***427. Shri Satvinder Singh Rana :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether it is a fact that the accounts of Haryana State Agricultural Marketing Board have not been audited since November 1991; if so, the reasons thereof togetherwith names of officers/officials responsible for the said lapse ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : नहीं, श्रीमान् जी।

Separation of Joint Ward Medical College, Rohtak

***446. Shri Randeep Singh Surjewala :** Will the Minister of State for Medical Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to have separate wards for children and Tuberculosis patients at Medical College, Rohtak;

(b) whether it is a fact that the old building of children ward, Tuberculosis ward and old Intensive care unit of Medical College, Rohtak has fallen/collapsed; and

(c) if so, the time by which the buildings referred to in part (a) above are likely to be reconstructed ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार मद्दिया) :

(क) शिशु रोग एवं क्षय रोग तथा छाती रोग के लिए अलग वार्ड अक्तूबर, 1974 से ही कार्य कर रहें हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) विशेष मुरम्मत का कार्य चल रहा है और जून, 1997 तक पूरा होने की संभावना है। इसी बीच इन वार्डों को मुख्य भवन में बदला गया है जहाँ वे कार्य कर रहे हैं।

Construction of Grain Market

***437. Shri Ram Phal Kundu :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the time by which the construction work of new Grain market, Safidon is likely to be started/completed ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : नई अनाज मण्डी की चारदीवारी बन चुकी है। नई अनाज मण्डी सफीदों में अन्य विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मण्डी बोर्ड के विचाराधीन है और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान होने के बाद इन विकास कार्यों को पूरा करने में लगभग दो वर्षों का समय लगेगा।

Fifth Pay Commission Report

***402. Shri Ram Pal Majra :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether the State Government has received a copy of the 5th Pay Commission Report set up by the Central Governenment; if so, the details thereof together with the time by which the said Report is likely to be implemented by the State ?

वित्त मंत्री (श्री चरण दास) : जी नहीं, अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

Rate of Sugarcane

***394. Shri Jai Singh Rana :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the rate fixed by the Government for supplying sugarcane to the Sugar Mills is not being paid to the cane growers in the State ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : राज्य में चालू सभी 13 चीनी मिलें चालू पिराई सीज़न के दौरान खरीदे गए गन्ने का हरियाणा राज्य गन्ना नियन्त्रण बोर्ड द्वारा सुझाया गया मूल्य देने के लिए सहमत हो गई हैं।

अतांराकित प्रश्न एवं उत्तर

Shortage of Electricity

32. Shri Dev Raj Dewan : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of electricity in the State at present;

(b) if so, the steps so far taken or proposed to be taken to over-come the said shortage; and

(c) the time by which the 220 KV Grid Sub-station at Sonepat is likely to be commissioned.

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क) शरद ऋतु में वर्षा न होने के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र की बिजली की मांग बढ़ रही है। वर्तमान समय में एक दिन में लगभग 60-70 लाख यूनिट बिजली की कमी का अनुभव किया जा रहा है। फरवरी, 1996 में 316 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन प्राप्ति की तुलना में फरवरी, 1997 के दौरान राज्य ने औसतन 306 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन प्राप्त की है। क्षेत्र के सभी बिजली बोर्डों द्वारा बिजली की बढ़ी मांग के कारण ग्रिड पर सभी की पूर्ण मांग पूरा करने के लिए अतिरिक्त बिजली उपलब्ध नहीं है।

(ख) हरियाणा बिजली बोर्ड ने राज्य में कृषि क्षेत्र को 6 से 8 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों तथा अन्य उपभोक्ताओं पर भारी बिजली कटौती लगाकर बिजली उपलब्धि को नियमित करने के लिए तात्कालिक उपाय किए हैं। विभिन्न स्रोतों से बिजली क्रय करके बिजली आपूर्ति की भरपाई करने के प्रयत्न भी किए गए हैं। जिसके परिणामस्वरूप जनवरी, 1997 में प्राप्त औसतन 285 लाख यूनिट बिजली की अपेक्षा दिनांक 7-3-1997 से प्रतिदिन 340 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध है। मध्यकालीन उपायों के रूप में बोर्ड अपनी निजी बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की योजना भी बना रहा है।

(ग) 220 के० वी० उपमण्डल सोनीपत में कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य वर्ष, 1998-99 के दौरान पूरा होना सम्भावित है।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, कल मेरे एक अजीज साथी श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला बड़े अच्छे ढंग से किसानों की बातें बता रहे थे लेकिन जब इनकी सरकार होती है तो ये किसानों की सारी बातें भूल जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी भजनलाल जी का राज था उस समय निरिंग में किसानों को मारा गया, टोहाना में किसानों का कत्ल हुआ, नारनौंद में किसानों का कत्ल किया गया, कादमाँ में

किसानों को सरेआम गोलियों से मारा गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी भजनलाल जी की सरकार होती है तब रणदीप सुर्जेवाला के पिता चौधरी शमशेर सिंह सुर्जेवाला, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी के साथ मिलकर चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ हो जाते हैं और अब ये ऐसी बातें करते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, निसिंग की फायरिंग के बाद मैं और सुर्जेवाला जी सबसे पहले एक राजनैतिक दल के रूप में वहां गये थे और हमने उस फायरिंग को कंडैम भी किया था।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, जब इनके राज में कोई किसानों की बात आती है तो ये किसानों पर गोलियां चलवाते हैं। जबकि आज मेरे अजीज साथी किसानों की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज किसानों की बातें वे करते हैं जो कभी खेत में गये नहीं। जिन्होंने कभी खेत का ढेला नहीं देखा और उनके खानदान तक को नहीं पता कि किसान क्या होता है ? अगर मेरे जैसा किसान का बेटा ऐसी बात करे तब तो ठीक है या अगर चौधरी बंसीलाल जैसा आदमी जिन्होंने खुद खेत में हल चलाया है, ऐसी बातें करे तब शोभा देता है। अध्यक्ष महोदय, ये किसानों से हमदर्दी दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर किसानों के साथ इनकी हमदर्दी होती तो जो पहले इनके 60 विधायक होते थे, आज वे 60 विधायकों से घटकर सिर्फ 9 विधायक न होते। यह किसानों की ही, मजदूरों की ही न हमदर्दी का नतीजा है। आज ये विकास की बात करते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी विकास नहीं करवा रहे हैं लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर इस हरियाणा प्रदेश में किसी ने विकास किया है तो वह बंसीलाल जी ने ही किया है। आज से 25 साल या 26 साल पहले जो भी विकास किया है उन्होंने ही किया है चाहे वह सड़कों की बात हो। (विघ्न) यह सब बंसीलाल जी का ही विकास दिख रहा है।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : स्पीकर सर, हमको भी जीरो ऑवर में बोलने का समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपको भी बोलने का समय दिया जाएगा। अभी लाठर जी को अपनी बात कह लेने दें।

श्री सतनारायण लाठर : स्पीकर सर, जितनी गुंडागर्दी, जितना भ्रष्टाचार चौधरी भजन लाल जी के राज में था उतना कभी नहीं हुआ। इतिहास इस बात का गवाह है कि एक नवम्बर, 1966 से जब से हरियाणा बना है इतना भ्रष्टाचार एवं गुंडागर्दी कभी नहीं हुई जितनी भजन लाल जी के समय में हुई है। जबकि ये आज गुंडागर्दी की बात करते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों को बताना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिए। Let him complete. मैंने पहले ही आपको एक आश्वासन दिया है कि आप जितना भी बोलेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा। अभी आप बैठिए। Please have patience. Mr. Lather, please complete within a minute.

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, अब आप इनके विहेवियर को देख ही रहे हैं। अभी कुछ देर पहले तो ये पट्टी बांध रहे थे जिस पर लिखा था कि बोलना घातक है लेकिन अब ये किस तरह से बोल रहे हैं। ये अब प्रेस को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

सदन के चार सदस्यों के निलम्बन पर पुनर्विचार करने संबंधी मामला उठाना

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, पिछले चार दिन से इस महान सदन के अंदर हमारे विपक्ष के लीडर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री धीरपाल सिंह, साथी रमेश खटक व कांग्रेस पार्टी के चौधरी भजन लाल जी को सदन की शेष अवधि के लिए निकाला गया। कल भी हमारी पार्टी के साथी श्री राम पाल माजरा और श्री बलवंत सिंह मायना ने आपसे और सदन के नेता से अपील की थी कि अगर विपक्ष सत्तापक्ष के सामने नहीं बैठा होगा तो फिर सदन के कोई मायने नहीं रहते, सदन की गरिमा नहीं रहती। सरकार कुछ कहे उसको कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई जवाब देने वाला नहीं होता। आज इसके विरोध स्वरूप हमने अपने मुंह पर पट्टी बांधी ताकि सरकार को पता लगे कि विपक्ष के क्या मायने होते हैं और उसका नतीजा आपने आज देखा कि विपक्ष की ओर से कोई बोलने वाला नहीं था तो सत्तापक्ष की ओर से भी केवल दो सदस्यों ने सवाल पूछे। कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। (विघ्न) जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि विपक्ष को गालियां देनी आती हैं गालियां सुननी नहीं आती तो आज तो हम आपको सुन रहे हैं। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि गालियां देते हैं और जवाब सुनना नहीं जानते।

श्री अशोक कुमार : गालियां कहा था।

श्री अध्यक्ष : अशोक कुमार जी, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं आप कंट्रोवर्सी को अवाइड करें।

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन में हुआ है इस तरह से कहीं नहीं हुआ। लोकसभा में 13 दिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद को चलने नहीं दिया लेकिन 13 दिन में किसी भी संसद सदस्य को सदन से निकाला नहीं गया। जैसे आज कई महत्वपूर्ण बिल आए हैं जैसे लोकपाल बिल है, और बिल हैं उन पर विपक्ष सामने बैठकर चर्चा नहीं करेगा तो कोई मायना नहीं होगा इसलिए मेरा आपसे व सदन के नेता से अनुरोध है कि जिन सदस्यों को निलंबित किया है उन्हें वापस बुलाया जाए।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री अशोक जी ने जो आपसे अनुरोध किया है उससे कम से कम you can draw inference that the Leader of the Opposition, the member and the leader of the Congress Legislature Party, who have been suspended from the rest of the session want to participate in the Legislative business of this august House. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा, अगर इनकी बात की सही इन्टरप्रिटेशन की जाए कि ये बोल कर चले जाते हैं और इनकी बात सुनने के लिए नहीं रुकते हैं तो मुख्य मंत्री जी भी चाहते हैं कि विपक्ष यहां बैठकर इनकी बात सुने। दलाल साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं। हरद्वारी लाल जी ने आपको एम०बी०ए० में ऐडमीशन दिलवाया। दूसरा तो शायद ही कोई इस हाउस में एम०बी०ए० पास हो आप कम से कम उस डिग्री की तो शर्म रखो। आप कम से कम इतना जरूर करो कि आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में विधान सभा का सत्र चल रहा है वहां जो कांग्रेस विपक्ष में बैठती है सारी की सारी कांग्रेस को रैस्ट आफ दि सिटिंग (विघ्न) के लिए निकाला है।

श्री बंसी लाल : हमने मारे नहीं निकाले हमने तो पढ़े लिखे आदमी रख रखे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर से प्रार्थना करूंगा और बंसीलाल जी तो इस बात को मान ही जायेंगे क्योंकि ये लीडर ऑफ दी हाउस हैं कि the hon'ble members, who are interested to participate in the Legislative work of the Vidhan Sabha their suspension must be revoked. (Interruptions). स्पीकर महोदय, मेरा आपसे तथा सारे सदन से अनुरोध है कि उन आनरेबल मैम्बर्ज को इस सदन की कार्यवाही में शामिल किया जाये क्योंकि लोकपाल विधेयक के बारे में विचार होना है जिसका दूरगामी असर पड़ेगा। यह विधेयक सारे राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए लाया गया है। इसलिए मैं दोबारा आपसे गुजारिश करूंगा और जैसा कि हमारे आनरेबल मैम्बर श्री अशोक कुमार ने कहा उस पर विचार करें और उन आनरेबल मैम्बर्ज का सस्पैंशन रिवोक करें।

श्री भागीराम : अध्यक्ष महोदय, 3-4 दिन से हमें ऐसी घटना देखने को मिली कि हमारे ओपोजीशन पार्टी के चौधरी ओमप्रकाश चौटाला, चौधरी धीरपाल सिंह, खटक साहब और कांग्रेस के चौधरी भजनलाल जी को इस सदन की शेष अवधि तक इस हाउस से सस्पैंड कर दिया और अध्यक्ष महोदय, कल आपने हमारी पार्टी के श्री कृष्ण लाल पंवार को भी नेम कर दिया अध्यक्ष महोदय, हम चेयर की बड़ी कद्र करते हैं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मेरी आपसे विनती है कि मैंने सस्पैंड नहीं किया हाउस ने किया है। (विघ्न)

श्री भागीराम : नेम तो आपने ही किया।

श्री अध्यक्ष : हां नेम मैंने ही किया था। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : नेम तो आपने ही किया वह भी सदन के सम्मानित सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, आप तो बैठे रहें आप तीसरी बार चुनकर आये हैं (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो नेम करने की बात कही है कि वह भी सदन के सम्मानित सदस्य हैं।

श्री भागी राम : हम यह मान सकते हैं कि ऐसी परम्परा रहती है। परन्तु जब दलाल साहब रैजोल्यूशन पढ़ रहे थे तो उस रैजोल्यूशन की फोटोस्टेट कापी आपके हाथ में भी थी। दलाल साहब उस रैजोल्यूशन को पढ़ कर बैठे भी नहीं थे कि आपने झट से उन मैम्बर्ज को नेम कर दिया । अध्यक्ष महोदय, 1977 से आज तक कभी किसी सदस्य को हमने ऐसे नेम और सस्पैंड होते नहीं देखा। मैम्बर एक बार बाहर जाते हैं और 10 मिनट या आधा घंटा में दोबारा हाउस में बुला लिये जाते हैं। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कृष्ण पाल को आपने नेम ही किया। आपने नेम करते ही मार्शल की तरफ इशारा किया। अध्यक्ष महोदय, हम कुर्सी की बड़ी कदर करते हैं। लाखों लोगों ने हमें चुनकर भेजा है (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार चेयर पर ऐसपर्शन कास्ट करते हैं। इन्होंने कोई बात नहीं करनी वही रवैया रखना है जो पिछले सैशन में और इस सैशन में रखा है। अब ये वाक आउट करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। मेरा आपसे प्रार्थना है कि सदन की कार्यवाही चालू की जाये (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भागीराम जी आप अपनी बात पूरी करिये।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, आपके मुंह से जब "नेम" शब्द निकला तो उसी समय आपने मार्शल की तरफ इशारा किया कि इनको बाहर निकालो। इस बारे में क्या पता है कि पहले से कोई प्लानिंग बना रखी हो। आपके मुंह से "नेम" शब्द निकलने की देर थी, पुलिस के आदमी हाउस के अंदर कूद-कूदकर आ गए थे (शोर)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात बिल्कुल निराधार है। इस में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। (शोर)

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, पुलिस के आदमी कूद-कूदकर अंदर आ गये थे (शोर)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप सभी बैठ जाईये। (शोर) डा० वीरेन्द्र पाल जी, आप तो बहुत पढ़े-लिखे आदमी है। आपको इतनी असत्य बात नहीं कहनी चाहिए कि पुलिस के आदमी कूद-कूदकर अंदर आ गए थे। (शोर)

वाक आउट

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं कि वे कूद-कूदकर हाउस के अंदर आ गए थे। (शोर) अध्यक्ष महोदय, अभी शून्य काल चल रहा है और आप हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाकआउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित समता पार्टी के सभी सदस्य वाकआउट कर गये)

बिल्ज़

(i) दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will move that the Haryana Lokpal Bill, 1996, as reported by the Select Committee, be taken into consideration at once.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Speaker, Sir, our Government has taken bold initiative for establishment of the institution of the Lokpal to bring about greater accountability and responsiveness on the part of highly placed functionaries. Widespread corruption, inefficiency and unresponsiveness on the part of important public servants is a malady which has affected our society very badly. In a democratic polity like ours, there cannot be two opinions that every action by all the public servants should be taken only in furtherance of the principles enshrined in the Constitution of India and for the welfare of the common masses.

In order to ensure highest standard of efficiency and integrity in the public service and for making administration responsive to the people, our Government proposed to enact the Haryana Lokpal Act, 1997. Several other States of the country have already established this institution.

Therefore, I beg to move—

That the Haryana Lokpal Bill, 1996, as resported by the Select Committee, be taken into consideration at once.

(At this stage several members rose to speak)

Mr. Speaker : I request all the members to take their seats. I also request them to have patience.

Shri Birender Singh : Sir, I wanted to say something during zero hour.

Mr. Speaker : Please take your seat. Zero hour is over.

Shri Birender Singh : Sir, please listen to me. I have given a notice of adjournment motion and I want to know the fate of my that adjournment motion.

Mr. Speaker : Birender Singh ji, please take your seat. That adjournment motion is under consideration.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Lokpal Bill, 1996, as reported by the Select committee,be taken into consideration at once.

स्थगन प्रस्ताव की सूचना

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय लीडर ऑफ दि अपोजिशन और दूसरे माननीय सदस्य रैस्ट ऑफ दि सैशन के लिए सस्पैंड कर दिये गये हम उनको वापिस बुलाने के लिए आपसे रिक्वैस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप हमें बोलने के लिए समय ही नहीं दे रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप बैठ जाएं। लोकपाल बिल एक अहम बिल है और यह मूव हो चुका है इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो माननीय सदस्य इस बिल के बारे में बोलना चाहें वह इस बिल पर बोल सकते हैं। You are all invited to speak.

आवाजें : हम आपसे सस्पैंड किए गए सदस्यों को हाउस में बुलाने के लिए रिक्वैस्ट कर रहे हैं आप उन्हें हाउस में आने की इजाजत दें। (शोर)

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैंने आपके सचिवालय में एक काम रोको प्रस्ताव दिया है।

Mr. Speaker : That is under consideration. पहले आप इस लोकपाल बिल पर बोलें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, पंजाब और हरियाणा के मुख्य-मंत्रियों को भारत के प्रधान मंत्री ने बुलाया है। आज पंजाब और हरियाणा का किसान 415 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भारत सरकार की किसी भी एजेंसी को अपना गेहूं नहीं बेचेगा।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको इसका जवाब दे देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को बताना चाहूंगा कि मैंने प्रधान मंत्री जी को इस बारे में एक लैटर लिखा है। इसके साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि परसों कैबिनेट सैक्रेटरी ने पंजाब और हरियाणा के चीफ सैक्रेट्रीज को बुलाया था। मैंने प्रधान मंत्री जी को जो पत्र लिखा है उसमें हमने यह मांग की है कि अगर आपने गेहूं का भाव 550 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नहीं किया तो किसान मंडियों में अपनी गेहूं नहीं लाएंगे क्योंकि जो व्यापारी लोग हैं वे उनके खेतों में खड़ी गेहूं को खरीदेंगे और मंहगे भाव में बेचेंगे। मंडियों में किसान 415 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान अपनी गेहूं नहीं बेचना चाहेंगे इसलिए आप गेहूं का भाव 550 रुपये प्रति क्विंटल का करें। अध्यक्ष महोदय, अखबारों में यह छपा है कि पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्ज से प्रधान मंत्री जी बात करेंगे लेकिन अभी तक हमारे पास इस बारे में उनकी तरफ से कोई इनवीटेशन नहीं आया है। उनकी तरफ से इनवीटेशन आते ही हम वहां जाएंगे। आज फाइनैंस मिनिस्टर चिदम्बरम जी ने जो स्टेटमैंट दी है कि हम इसी भाव को कायम रखने के लिए गेहूं इम्पोर्ट करेंगे। मैं समझता हूं कि उनकी यह स्टेटमैंट बड़ी अनफार्चूनेट है। अगर वे दूसरी कंट्रीज से गेहूं लाते हैं तो वह रुपया समुद्र में जाएगा और हमारी फारेन एक्सचेंज जाएगी। यदि वह पैसा हमारे किसानों को देंगे तो वह पैसा हमारे देश में ही रहेगा इसलिए हमारे किसानों को यह पैसा मिलना चाहिए तो हम इस चीज पर फर्म है। हम इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : इसीलिए स्पीकर साहब, मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है। इस देश का अरबों रुपया दूसरी कंट्रीज में चला जाएगा। केन्द्र के वित्त मंत्री ने यह ब्रैट किया है कि इसी भाव को मेनटेन करने के लिए हम गेहूं आयात करेंगे। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी जब वहां पर बात करने के लिए जाएंगे, उससे पहले सारे हाउस को कांफीडैंस में ले कर जाएं। ये वहां पर गेहूं के भाव के बारे में किसानों के हितों पर विस्तार से चर्चा करें।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपोजिशन के लीडर्ज से भी इस बारे में बात कर लूंगा और जो ये कहेंगे वही बात मैं मान लूंगा क्योंकि किसानों के भले में ये भी हैं और हम भी हैं। (थम्पिंग) अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार गेहूं इम्पोर्ट करने के लिए बाहर की कंट्रीज को जो पैसा देगी वह पैसा हमारे किसानों को मिलना चाहिए ताकि वह पैसा हमारे काम आए। यदि बाहर की कंट्रीज को वह पैसा जाएगा तो वह समुद्र में जाएगा। जहां से भारत सरकार गेहूं मांग रही है उस देश से वह गेहूं सस्ता नहीं पड़ेगा। भारत सरकार जो फारेन एक्सचेंज खर्च करना चाहती है वह हमारे किसानों को सबसिडी दे दे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया से सवा पांच सौ रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूं मांग रही है जबकि यहां के किसान से 415 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लेना चाहती है। इससे बड़ी ज्यादती किसानों के साथ और क्या हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष : वीरेन्द्र सिंह जी आपका एडजर्नमेंट मोशन मेरे पास 9 बजे आया है तथा that is under consideration. The Chief Minister has assured the House about it.

Shri Birender Singh : That is right, Sir. But I want to know whether this would be considered finally tomorrow.

Mr. Speaker : I cann't say. This is under consideration.

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं कि यह एडजर्नमेंट मोशन बनता नहीं क्योंकि यह भारत सरकार और पंजाब सरकार के बीच की बात है। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं

कि इस बारे में मैं अपोजिशन से बात करूंगा और बादल साहब से भी बात करूंगा। हम किसानों के हकों की पूरी रक्षा करेंगे। हम हरियाणा और पंजाब के किसानों को लुटवाना नहीं चाहते। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी पिछले दिनों एस०वाई०एल० के मामले में, पानी के मामले में और चण्डीगढ़ के मामले में एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया और जिसका हम सभी ने समर्थन किया उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे इस एडजर्नमेंट मोशन पर बहस हो ताकि मुख्यमंत्री जी को ऐम्पावर्ड करके, इनको शक्ति देकर के हम भेजें इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा शुरू की जाये।

श्री बंसी लाल : वैसे हमने सारी बात क्लीयर कर दी। हम बहस के लिए तैयार हैं, इसमें ऐतराज की कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने आपके सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : आप हमारी इस मोशन पर बहस करवा लें।

श्री अध्यक्ष : देखिए, सदन के अन्दर लीडर आफ दी हाउस ने यह आश्वासन दिया है कि वह इस मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं से बातचीत करेंगे। (विघ्न)

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप विपक्ष के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भजन लाल, धीरपाल जी व रमेश खटक को बुला लें क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण बिल पर बहस होनी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गेहूं के मूल्य पर बातचीत के लिए सी०एम०साहब ने कह दिया है कि वे इस पर अपोजिशन के नेताओं से बातचीत करेंगे। इसके लिए उनको हाउस में बुलाने की बात नहीं है। I request you to have patience.

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, आप चौटाला साहब, भजन लाल जी, धीरपाल जी व रमेश खटक को तो वापस बुला लें। (शोर)

Mr. Speaker : Please take your seat. I warn you.

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से कहना चाहता हूं कि हमने तो यमुना-गंगा के किनारों को शक्ति दे दी है। यू०पी० में हमने अपनी शक्ति दिखा दी है। जरा मेरी इनसे रिक्वैस्ट है कि ये कुछ ताकत सीता राम केसरी में भी पैदा करें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : देखिए, इस लोकपाल विधेयक पर सबसे पहले मैं समता पार्टी के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यदि वे इस पर बोलना चाहते हैं तो बोलें। भागी राम जी आप बोलें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप पहले भजनलाल, धीरपाल जी व चौटाला साहब व रमेश जी को तो वापस बुलायें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। (शोर एवं विघ्न)

11.00 बजे **श्री जसविन्द्र सिंह संधु :** हमारी पार्टी के सीनियर नेता चौधरी धीरपाल सिंह जी चौथी बार विधायक बन कर आए हैं। इसी प्रकार पूर्व मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी तथा हमारी पार्टी के युवा विधायक श्री रमेश चन्द्र जी खटक जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अपोजिशन नहीं होगी तो इस बिल पर चर्चा का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और दूसरे साथियों को हाउस में आने की इजाजत देने की कृपा करें, यह मेरी सबमिशन है (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : भागी राम जी, अगर आप इस बिल पर योजना चाहते हैं तो आप बोलिये मैं आपको बोलने का मौका देता हूं (विघ्न) मैं सभी को बोलने का मौका दूंगा इसलिए आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें (विघ्न एवं शोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह सबमिशन करना चाहूंगा कि अगर विपक्ष के नेता और दूसरे निलम्बित साथियों को हाउस में बुलाए बिना इस पर डिस्कशन करते हैं तो यह बिल्कुल अनडैमोक्रेटिक बात होगी और इस बिल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा।

Sh. Bansi Lal : We are not going to be dictated by them. (Interruptions) Let me assure that we are not going to be dictated by them.

Mr. Speaker : No Interruptions please. Take your seat please.

कैप्टन अजय सिंह यादव : जब तक निलम्बित लोगों को हाउस में बुलाया नहीं जाता मैं इस बिल पर बोलने का इच्छुक नहीं हूं। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने सबसे पहले समता पार्टी के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है लोक पाल बिल पर अगर वे बोलने के इच्छुक हैं तो बोलें। अगर वे इस पर बोलना नहीं चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे मैम्बर को बोलने के लिए कहूंगा। (विघ्न एवं शोर)

वाक आउट

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि हमारी पार्टी के नेता तथा विपक्ष के नेता तथा अन्य निलम्बित सदस्यों को हाउस में इस बिल पर डिबेट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाए (विघ्न एवं शोर) निलम्बित सदस्यों को हाउस में न बुलाने के विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं। (विघ्न एवं शोर)

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य वाक आउट कर गए)

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर इस बिल पर बहस में हिस्सा लेने के लिए विपक्ष के नेता तथा दूसरे निलम्बित सदस्यों को हाउस में नहीं बुलाया जाता तो हम भी इसके विरोध में वाक आउट करते हैं। (विघ्न एवं शोर)

(इस समय समता पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य वाक आउट कर गए)

दि हरियाणा लोक पाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, लोक पाल की नियुक्ति का जो बिल लाया गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि इस बिल पर बहस प्रारम्भ करने से पहले लीडर ऑफ दि ओपोजीशन तथा हमारी पार्टी के नेता तथा श्री धीरपाल सिंह जी को हाउस में बुलाया जाता क्योंकि वे बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं। (विघ्न) वे बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं चौधरी भजन लाल करीब 12 साल तक मुख्य मंत्री के पद पर रहे हैं। लीडर ऑफ दि अपोजिशन अगर हाउस में न हों और इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो तो उसके कोई मायने नहीं रह जाते इसलिए उनकी भी मौजूदगी हाउस में होनी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर ऑफ दि हाउस से कहूंगा कि वे इस बारे में एक बार फिर से पुनर्विचार करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय,

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, आमतौर पर यह देखा गया है जो लोग पावर में होते हैं वे पावर के नशे में पूरे सिस्टम को स्पॉयल कर डालते हैं उन लोगों पर चैक रखने के लिए यह बिल लाया गया है। पहले जो लोग राजनीति में आया करते थे वे सोशल सर्विस के लिए राजनीति में आते थे। मैंने अपने ही घर में अपने पिता जी को भी देखा है उनके अन्दर प्रिंसिपल्ज़ की बातें थीं। हमने कभी भी नहीं देखा कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल्ज के साथ समझौता किया हो लेकिन धीरे-धीरे कुछ ऐसे लोग राजनीति में आने लगे जिनकी बैकग्राऊंड क्रिमिनल रही है जिसकी वजह से समाज सेवा के रूप में इल्लीगल और क्रिमिनल माफिया राजनीति में आ गया है। यह आपने यू०पी० के अन्दर भी देखा कि फूलन देवी जीत कर आई और दूसरे भी ऐसे सदस्य हैं जो सेडिड बैकग्राउन्ड के हैं। वे भी यहां पर आ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछली बार जब हाउस में ये लोक पाल बिल आया था तो इसे सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया गया था। उस वक्त लीडर ऑफ दि हाउस ने आश्वासन दिया था कि इसका जो पीरियड होगा वह तब से होगा, जब से हरियाणा बना है लेकिन अब इसमें 20 साल का पीरियड रखा है।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो सब पार्टियों के मैम्बर्ज थे और जो उन्होंने हमें लिखकर भेजा है हमने उसे मान लिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने ये कहा था कि जब से हरियाणा बना था उस वक्त से आज तक के सभी लोगों को इसके दायरे में लिया जाएगा। लेकिन अब इसमें पिछले 20 वर्ष के पीरियड को ही दायरे में लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब इस कमेटी में आपकी पार्टी के धर्मबीर गाबा भी थे, खुर्शीद अहमद भी आपकी पार्टी में ही हैं वे भी सिलैक्ट कमेटी में मैम्बर थे। यह तो यूनानिमस रिपोर्ट आई है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के रिकार्ड की बात कर रहा हूं जो लीडर ऑफ दि हाउस ने कहा था उस बारे में बता रहा हूं। इस बारे में चाहें तो लीडर ऑफ दि हाउस ही बता दें। आज जिस तरह से डिफैक्शन करवाया जाता है। आप रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। आज ये हालात हो गए हैं कि चाहे म्यूनिसिपल कौंसिल हो, एम०पी० हो या एम०एल०ए० हो उनकी खरीद फरोख्त होती है।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब जो बात कह रहे हैं ऐसी बात कहने से पहले इनको अपनी अन्तरात्मा में झांकना चाहिए उसको झखझोरना चाहिए इनके जो सुझाव हैं वह बहुत ही अच्छे हैं और हम सुझावों से सहमत भी हैं लेकिन जो यह भ्रष्टाचार शुरू हुआ वह इनकी पार्टी के नेता चौधरी भजन लाल ने किया। क्या इस बारे में बोलने से पहले इन्होंने अपनी अन्तरात्मा को झखझोरा था।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये जो बात कह रहे हैं उसका इससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने समता पार्टी के दो मैम्बर्ज का डिफैक्शन करवाया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये इस तरह से मुझे बीच में इन्टरवीन न करें।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों बैठ जाएं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि लोकपाल बिल बहुत ही अहम बिल है आप सब कंट्रोवर्शियल बातों में जाए बिना इस पर अपने विचार रखें। I request the Members to avoid any type of controversy in the discussion on this Bill.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब हम लोकपाल बिल सदन में लाए थे तो उस वक्त चौधरी भजन लाल और ओम प्रकाश चौटाला भी सदन में थे। इसके अलावा सभी मैम्बर्ज ने यह कहा था कि इस बिल में सभी धाराएं विस्तृत नहीं है। हमने उनके कहने पर इसको डैफर कर दिया था और इस सदन की एक सिलैक्ट कमेटी बनाई। डिप्टी स्पीकर जी की अध्यक्षता में इसमें विपक्ष के मैम्बर्ज और रूलिंग पार्टी के मैम्बर्ज शामिल थे। सबने मिलकर इस पर विचार किया। इसमें बहुत ही अच्छे पार्लियामैंटेरियन खुर्शीद अहमद और धर्मवीर गाबा जी भी थे सब ने मिल कर इस बारे में विचार विमर्श किया है। यह विपक्ष-पक्ष की बात नहीं है यहां पर लोकपाल विधेयक की सब ने मांग की है।सभी पोलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने घोषणा पत्र में इसके बारे में दिया था और सभी विधायकों की मांग इस बारे में रही है। किसी एक पार्टी से संबंधित यह मामला नहीं है। यह सबकी सामूहिक मांग है कि पूरी राजनैतिक व्यवस्था को ठीक किया जाए। इसलिए इस बिल पर चर्चा करते समय कोई कंट्रोवर्सी तो आती ही नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। जो हमारा राजनैतिक ढांचा है उसको कैसे भविष्य में सुव्यवस्थित किया जाए, कैसे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी लायी जाए ? इस बिल को लाने का मुख्य मकसद यही है। सभी पार्टीज की सहमति के बाद हम इस बिल को लेकर आए हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए उन सभी सदस्यों के नाम आपको पढ़कर सुना देता हूं जो सिलैक्ट कमेटी में थे। सभी पार्टीज के मैम्बर इस सिलैक्ट कमेटी में थे और इसमें किसी ने भी कोई डायसैंटिंग रिमार्क नहीं दिया है। इस कमेटी में मैम्बर थे-श्री फकीरचन्द्र अग्रवाल, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, श्री कर्ण सिंह दलाल, श्री कंवल सिंह, श्री हरमिन्द्र सिंह, श्री शशि पाल मेहता, श्री खुर्शीद अहमद, श्री बलवन्त सिंह मायना, श्री मनीराम, श्री चन्द्र मोहन, श्री हर्ष कुमार, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री जसवन्त सिंह, श्री सतपाल सांगवान, श्री नरेन्द्र शर्मा एवं श्री कपूर चन्द्र। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस सिलैक्ट कमेटी में सभी पार्टीज के मैम्बर्ज थे और सभी व्यक्तियों ने एक राय से इस बिल के बारे में कहा है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, इस बिल में एक कमी है जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। जो यह बिल हमारे सामने आया है-हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 as reported by the Select Committee. सर, बिल में सबसे महत्वपूर्ण उसके आब्जैक्ट्स एंड रीजन होते हैं that is missing. We cannot go into the depth of the Bill until and unless copy of the objects and reasons are provided to us. But there is no statement of objects and reasons in the original Bill.

श्री अध्यक्ष : मैं आप सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह बिल पिछले सत्र में सभी माननीय सदस्यों को मिल गया था और उसमें आब्जैक्ट्स एंड रीजंस एवं अन्य सारी चीजें थीं। वह डैफर किया गया था। यह बिल पहले ही सबको दिया जा चुका है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैंने आपकी बात तो मान ली लेकिन जब सिलैक्ट कमेटी ने इस बिल को रि-ड्राफ्ट कर दिया है तो उसमें अमैंडमैन्ट्स होते हैं। जब तक आब्जैक्ट्स एंड रीजंस हमारे सामने नहीं होंगे How we can speak on the Bill.

श्री अध्यक्ष : सिलैक्ट कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उसने आब्जैक्ट्स एंड रीजंस नहीं दिए।

Shri Birender Singh : We should get a full copy of the Bill otherwise there is no use.

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सबमिशन करना चाहूंगा कि यह जो बिल है, उसमें जो सिलैक्ट कमेटी ने अमैंडमैंट्स बताएं हैं, वहीं हैं। पहले भी यह बिल सब मैम्बर्ज को सर्कुलेट कर दिया गया था। बिल में आबजैक्ट्स एंड रीजंस दिए हुए हैं। मैं यह बिल बीरेन्द्र सिंह को पढ़कर सुना सकता हूं। मैं इनको स्टेटमैंट ऑफ औबजैक्ट्स एंड रीजंस और फायनेंशियल मैमोरेण्डा इन दोनों की एक-एक फोटो स्टेट कॉपी करवाकर भिजवा दूंगा। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर सर, मैं भी आपको इस बिल के बारे में जो सिलैक्ट कमेटी में अमैन्ड हुआ है जानकारी देना चाहूंगा। सर, दो बार पहले जब इस कमेटी की मीटिंग बुलायी गयी तो दोनों ही बार इसका कोरम पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद फिर इसमें और मैम्बर्ज नौमिनेट किए गए थे। जब तीसरी बार इसकी मीटिंग हुई तो इस बारे में चर्चा चली कि इस बिल का दायरा कब से रखना है। जब से हरियाणा बना है तब से इसको लागू किया जाए या फिर पिछले बीस साल से लागू किया जाए। उस समय मैंने कहा था कि इसको पिछले बीस साल से लागू करने की बात मेरी समझ में नहीं आयी। तब से लागू करने का इसका क्या फायदा है। तो मेरे एक साथी कहने लगे कि आप बहुत बाद में बोले नहीं तो यह बात तय हो जाती। इसके अलावा लोक पाल की नियुक्ति करने के बारे मैंने यह कहा था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मायना साहब, जब आप इस पर बोलेंगे तब यह बातें आप कहना। आप बैठ जाइए। कमेटी में क्या डिस्कस होता है क्या नहीं होता है that is not to be discussed in the House because Committee is a House in miniature.

विकास मंत्री (श्री कंवल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री बनने से पहले मैं भी सिलैक्ट कमेटी का सदस्य था। (विघ्न)

Mr. Speaker : Now there should be no discussion about the working of the Committee. The Committee is a house in miniature.

श्री कंवल सिंह : सम्मानित सदस्य बलवंत सिंह जी वहां बैठे थे और इन्होंने खुद कहा कि 20 साल रखो। (विघ्न) हमने यह कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरु से कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह : कंवल सिंह जी, आप ऐसी बात न कहो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने यह नहीं कहा।

श्री कंवल सिंह : मैंने यह कहा था कि जब से हरियाणा बना है तब से मानो। उसके बाद इन्होंने कैलकुलेशन की और उसमें ये फंस गए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कमेटी की रिपोर्ट यूनैनिमसली होती है committee is a house in miniature.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें सैक्शन-3 के तहत, जो कि लोकपाल की अपौइन्टमैंट के बारे में है, इसमें मेरा सुझाव है कि उस पर चर्चा में अपोजीशन शामिल हो, लीडर ऑफ दि अपोजीशन शामिल हो और पार्टी के जितने भी लीडर हैं उनको भी इसमें शामिल रहना चाहिए। लोकपाल को नियुक्त किया जाता है तो अपोजीशन को भी उस कमेटी में रखा जाता है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि लोकपाल मल्टी मैम्बर होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि इलैक्शन कमिश्नर के मामले में भी अमैंडमैंट करके उसे मल्टी मैम्बर बनाया है। मैं चाहूंगा कि लोकपाल के मल्टी मैम्बर होने के बारे में भी सरकार विचार करे। अध्यक्ष महोदय, एक इसमें क्लॉज दी हुई है। कि "if he is connected

कैप्टन अजय सिंह यादव

with any political party, severe his connection with it' जो इस लोकपाल के अंदर व्यक्ति लिया जाए वह किसी भी पौलिटिकल पार्टी से नहीं होना चाहिए। ऐसा किया जाएगा तो वह व्यक्ति किसी एक विचारधारा का होगा तो एक विचारधारा का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सैक्शन-6 के तहत इसमें 70 वर्ष की एज का दे रखा है मेरा सुझाव है कि एज 68 साल होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें यह बात भी है कि उसको सैकेण्ड टर्म भी दिया जा सकता है तो मेरा सुझाव है कि सैकेण्ड टर्म नहीं दी जानी चाहिए। इसमें केवल एक टर्म दी जाए। सैकेण्ड टर्म का इसमें प्रौविजन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक इसमें क्लाज 7(2) के तहत बात कही गई है-

"The procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misconduct or incapacity of the Lokpal under sub-section (1) shall be provided in the Judges (Inquiry) Act, 1968....."

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

मिसकंडक्ट की बात लोकपाल के मामले में विशेष महत्वपूर्ण है। लोकपाल के तहत बाकायदा यह होना चाहिये कि मिसकंडक्ट के मामले में क्या कार्यवाही की जाये। जब यह सिलैक्ट कमेटी बनाई गयी थी उनको यह देखना चाहिये था कि लोकपाल की नियुक्ति एक महत्वपर्ण कदम है अगर उसमें मिसकंडक्ट है तो इसके बारे में जरूर इस बिल में कोई न कोई बात होनी चाहिए। दूसरा मैंने जैसा कि पहले बताया कि लोकपाल के तहत जब से हरियाणा बना है उस की अवधि होनी चाहिए। क्लाज 10 (2) में दिया हुआ है-

"(2) Every Complaint involving an allegation or grievance shall be made in such form, and in such manner and shall be accompanied by such affidavit as may be prescribed. However, the Lokpal may dispense with such affidavit in any appropriate case."

उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में कहना चाहूंगा कि अगर एफिडेविट के बगैर कोई चीज ली जायेगी तो यह आम बात बन जायेगी और कोई कार्यवाही नहीं हो पायेगी। एफिडेविट होना बहुत जरूरी है और यह मेनडेटरी होना चाहिए कि अगर यह एफिडेविट फाल्स पाया गया तो जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी क्योंकि इस तरीके से तो राजनैतिक तौर से कोई भी व्यक्ति चिट्ठी लिखकर भेज देगा। दूसरा मैं क्लाज 10(4) के बारे में कहना चाहूंगा कि इसमें फाईन केवल दस हजार रुपये रखा है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री , मंत्री और दूसरे लोग हैं कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ कंप्लेंट दे दे और यह पता लग जाये कि यह फाल्स कंप्लेंट है तो फाईन दस हजार की बजाये कम से कम 25 हजार रुपये होना चाहिए और तीन साल की सजा की बजाये कम से कम पांच साल की सजा होनी चाहिए। इसके अलावा क्लाज-12 में जो प्रोसीजर in respect of inquiry उसमें यह सुझाव है कि इंक्वायरी कैमरे में नहीं होनी चाहिए। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो भी लोकपाल की इंक्वायरी हो वह बाकायदा पब्लिश होनी चाहिए तथा लोकपाल की रिपोर्ट को गर्वनर महोदय के पास न देकर हाउस के अन्दर रखना चाहिये क्योंकि गवर्नर महोदय के पास न तो लोकपाल है और कई बार गवर्नर रिपोर्ट को अपने पास रख लेते है। जो भी लोकपाल की रिपोर्ट हो उसे इन टोटो हाउस के सामने और पब्लिक के सामने रखना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 16 (1) (a) में यह लिखा है कि—

"That no allegation or grievance has been substantiated either wholly or partly, he shall close the case and intimate the competent authority concerned, accordingly."

अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ सीरियस कंप्लेंट करता है और सीरियस एलीगेशन है और वे बाद में फाल्स पाये जाते हैं तो उस कंप्लेंट को क्लोज करने की बात नहीं है उस पर ऐसा होना चाहिये कि जिस व्यक्ति की कोई गलत कंप्लेंट होती है और वह फाल्स पाई जाती है तो जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की है उसके खिलाफ मानहानि का दावा करने की बात होनी चाहिए। इसके अलावा अपॉइन्टमेंट ऑफ स्टाफ के बारे में लिखा है-

"The Lok Pal may appoint in consultation with the State Government, such officers and staff, as he may consider appropriate for the discharge function under this Act."

कंसल्टेशन से हो जाये और सरकार लोकपाल को स्टाफ का पैनल दे दे लेकिन लोकपाल को स्टाफ का चयन करने में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये ताकि लोकपाल चौइस के पढ़े लिखे आदमियों को चुन सके। इसमें यह एक खास बात है। Now I would like to refer clause 20 of this bill in which it is mentioned.—

"No suit, proscecution or other legal proceedings shall lie against the Lokpal or against any officer or employee, agency or person acting on his behalf in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act."

उपाध्यक्ष महोदय, यह "गुड फेथ" वाली बात समझ में नहीं आई है। इस क्लाज के तहत तो कोई भी आदमी कंप्लेंट कर देगा तथा कह देगा कि "गुड फेथ" में की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बिल आप पास करने वाले हैं, इसमें जो खामियां मैंने बताई हैं, उनको दूर किया जाए। इस समय हमारे नेता चौधरी भजन लाल जी तथा विपक्ष के नेता हाउस में मौजूद नहीं हैं और भी कई सदस्य मौजूद नहीं है। इसलिए जितने भी सदस्य इस समय हाउस में नहीं हैं, उनका इस समय उपस्थित होना बहुत जरूरी था। यह बिल बहुत ही अच्छा बिल है क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि पिछली सरकारों के समय में जब से यह देश बना है, किसी भी बात पर या किसी भी मुद्दे पर कोई ट्रांपेरेंसी नहीं होती थी, चाहे कोई टैंडर की बात हो या कोई और बात हो। हर चीज को सीक्रेट रखा जाता था, फाइलों में बंद करके रखा जाता था। कहीं पर भी अकांउटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इसलिए यह जो लोकपाल बिल लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि इस बिल को एक अस्त्र न बनाया जाए तथा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इसको इस्तेमाल न किया जाए। इसको वाकायदा इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि पब्लिक लाईफ के अंदर हमारे जो लोग हैं, उनकी छवि बिल्कुल साफ रहे तथा इससे उनके ऊपर एक प्रैशर बना रहे। इस लोकपाल बिल से राजनीतिक लोगों में एक डर बनेगा जो कि आज के समय में खत्म होता जा रहा है। ये लोग आज अपने कर्त्तव्यों को भूले बैठे हैं तथा मनमाने तौर पर कार्य कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आई०ए०एस० तथा आई०पी०एस० अधिकारीगण जिनके बारे में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा दी गई है, के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है जो कि होना चाहिए था।

श्री बंसी लाल : इस बारे में इस बिल में जिक्र किया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों एवं सुझावों के साथ मैं इस लोकपाल बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सदन के नेता चौधरी बंसी लाल जी ने जो हरियाणा लोकपाल बिल इंट्रोड्यूज़ किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुख्यमंत्री जी को मैं सारे सदन की तरफ से इस साहसिक कार्य के लिए बधाई देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाने के बारे में सोचा तो उनके सामने पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी और नॉन डैमोक्रेसी दोनों विषय थे, जिन पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की कि हमें कौन सा सिस्टम ऐडोप्ट करना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान की मौजूदा परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए हमें कौन से तरीके अपनाने चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डा० अम्बेदकर जी ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रैजीडैंशियल फोरम ऑफ डैमोक्रेसी जैसी की युनाईटिड स्टेट्स में है और पार्लियामैंट्री सिस्टम ऑफ डैमोक्रेसी जैसे कि इंग्लैंड में है, जिसको कि उन्होंने बेहतर माना, ऐसे ही हमारे देश में भी होना चाहिए। उन्होंने इसको अंगीकार किया, स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इसमें सत्ता का चैक एंड बैलेंसिज समय-समय पर किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो संविधान कोई सत्ता प्राप्ति का साधन मात्र नहीं था कि उससे सत्ता प्राप्त की जाए और सरकारें बनाई जाएं। सरकारें बना कर देश में राज किया जाए लेकिन उनका मकसद यह था कि वह इसको चैकस एंड बैलेंसिज करना चाहते थे। पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी में दो प्रकार की चैकस एंड बैलेंसिज मौजूद हैं। पहला चैक है सदन में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका का होना लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो पिछले 50 साल से हमारे देश की राजनीति चली आ रही है उसमें हमने देखा है कि विपक्ष हमारे देश में सकारात्मक भूमिका निभाने में सफल नहीं हुआ।

Shri Randeep Singh Surjewala : I think this discussion is on the Lokpal bill not on the Constitution.

श्री उपाध्यक्ष : ये तो पहले इसकी भूमिका बना रहे हैं।

Shri Anil Vij : I am coming on that उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की धाराओं में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि यह लोकपाल बिल सिलैक्ट कमेटी को रैफर किया गया था। सिलैक्ट कमेटी की मीटिंग में सभी पार्टीज के माननीय सदस्यों ने अपना विचार विमर्श करके इसको फाइनल किया है। मैं इस बिल की बेसिक बातों पर अपनी बात कहना चाहूंगा। मैं यह भी चाहूंगा कि माननीय सदस्य मुझे बीच में मत टोकें। जब उनको अपनी बात कहने का मौका मिले उस समय वे अपनी बात कहें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे देश में विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। हमारे देश में विपक्ष का उद्देश्य कोई रचनात्मक चर्चा करने का नहीं रहा जोकि हम पिछले दो तीन सैशंज से देखते आ रहे हैं। जिस प्रकार से विपक्ष के सीनियर नेता सदन में जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं उससे सदन का वातावरण बहुत खराब हो जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा चैकस एंड बैलेंसिज जो संविधान में मौजूद है वह यह है कि हर चार पांच साल के बाद हर राजनीतिक पार्टी हर राजनेता को जनता की अदालत के बीच में जाना पड़ता है। वहां पर उसको तराजू ले कर तोला जाएगा और देखा जाएगा कि उसने किस प्रकार का कार्य किया है। लेकिन अगर हम अपने देश की राजनीति को देखें तो उसके अनुसार हमारे देश की विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है क्योंकि हमारी राजनीति केवल गुण और दोष के आधार पर निर्भर नहीं है। हमारे देश की राजनीति में बहुत सारे अन्य फैक्टर्ज भी हैं। भाषा का फैक्टर्ज है। जातपात का फैक्टर है और जात बिरादरी का फैक्टर है।

उन फैक्टर्ज की वजह से संविधान के निर्माता जो प्रोपर चैक्स एंड बैलैंसिज हमारे डैमोक्रेटिक सिस्टम पर लगाना चहाते थे वह नहीं लगा पाए जबकि हमारे संविधान के निर्माताओं ने कुछ अन्य औटोनोमस संस्थाएं भी स्थापित की। जैसे सी०ए०जी०, अटौर्नी जनरल, फाइनैंस कमिशन ऑफ इंडिया to preserve the democratic system and to preserve the purity of the democracy. ऐसी संस्थाएं भी आई लेकिन उसके बावजूद आज देश में जो राजनैतिक स्थिति है उसका हनन हुआ है। आज हमारे देश की राजनैतिक स्थिति एक आम आदमी की नजरों में सबसे ज्यादा गिरी हुई है वह सबसे घटिया मानी जाती है। वह इसलिए मानी जाती है क्योंकि हमारे राजनेताओं ने संविधान का दुरुपयोग किया इसीलिए हमारे देश की राजनीति में गिरावट आई और वह आम आदमी की नजरों में घटिया मानी जाने लगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस एरोजन के भी अन्य कई कारण हैं। डिफैक्शन के बारे में बात की जाती थी जो डिफैक्शन को रोकने के लिए एन्टी डिफैक्शन बिल लाया गया लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं। इसको और अधिक सुधारने की आवश्यकता है। उससे भी हमारी पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी का एरोजन हुआ है। (बिघ्न) अभी बात की जा रही थी भजन लाल जी की। मैं समझता हूं कि थोक स्केल में डिफैक्शन के जनक आज के दिन वे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि यह डिस्कशन लोकपाल बिल पर है न कि एन्टी डिफैक्शन एक्ट पर है। न संविधान की धाराओं पर है इनको बोलते हुए तो 15 मिनट हो गए हैं। इनको इस पर कोई ठोस बात कहनी चाहिए।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, इनको भी ठोस बात कहने का अवसर मिलेगा। ये वकील हैं। यहां पर अपनी वकालत दिखाएंगे। मैंने जो कहना है वह जरूर कहूंगा। मैं इसकी उपयोगिता की बात कर रहा हूं। मैं इसके महत्व पर बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने यह बिल पेश करके एक साहसिक कार्य किया है। इससे पहले इन्होंने शराब बंदी का बिल लाकर साहसिक कार्य किया। आज लोकपाल बिल लाने का साहसिक कार्य किया। मैं इस पर अपनी बात कह रहा हूं। (बिघ्न) आपको अवसर मिलेगा। आप उस समय अपनी बात कह लें। उपाध्यक्ष महोदय इस पार्लियामेन्ट्री डैमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा अहम पहलू है वह पोलिटिकल करप्शन है। उस करप्शन की वजह से (बिघ्न) आज राजनीतिज्ञों का जो मान सम्मान है वह सबको मालूम है (बिघ्न) .....।इन्होंने बड़ी देर बाद पट्टी खोली है। इनको जब समय मिलेगा तो उस वक्त बात कर लें। (बिघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब, आप बिल पर अपने सुझाव दीजिए।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, पोलिटिकल करप्शन जिससे सारे देश का पतन हुआ है, आज सारे देश में, यानि सारा देश तरह तरह के कांडों से मशहूर है। मैं किसी फंक्शन में छोटे बच्चों के स्कूल में गया था। उस कार्यक्रम में उन बच्चों ने हवाला कांड पर अपने वक्तव्य दिये। बोफोर्स कांड पर अपने भाषण दिये। झारखण्ड मुक्ति मोर्चे पर भाषण दिए। हमारा देश जो ऋषि मुनियों का देश माना जाता था जो त्यागी और तपस्वियों का देश माना जाता था आज की राजनीति ने उस देश को एक ऐसे स्थान पर ला कर खड़ा कर दिया है कि * * * * गरीबों का देश माना जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक बढ़ा है और यह एक-दम अभी शुरू हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। यह शुरू के दिनों से ही शुरू हुआ है। यह जवाहर लाल नेहरू के समय में भी था। अगर आप इसे देखें तो उनके समय में प्रताप सिंह कैरों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड न किया जाए।

श्री धर्मवीर गाबा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मोहतबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि इनको कोई हक नहीं पड़ता कि वन टू आल सारे पोलिटिशियनज को बेईमान कहें। उसमें इनके आनरेबल चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं। किसी को इन्होंने बख्शा नहीं। इतने बड़े नेता ये नहीं हैं। इन्होंने जवाहर लाल नेहरू को भी ले लिया। ये थोड़ा या सैंस में रहकर बात करें तो कोई बात नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब आपको बोलते हुए 13-14 मिनट हो गये हैं। आप इस पर कोई सुझाव देना चाहें तो दीजिए।

श्रीमती करतार देवी : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सारे देश के लिए कहा है कि आज हमारा देश बेईमान है। मैं इनको कहना चाहती हूं कि इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि आज भी इस देश में अच्छे आदमी है। कृपया सारे देश का जो नाम लिया है वह कार्यवाही से निकाल दीजिए।

श्री अनिल विज : आज हमारे सारे देश के समाचार इस प्रकार के समाचारों से भरे रहते हैं और दूरदर्शन पर भी ऐसे समाचारों का उल्लेख होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसी बात को खत्म करने के लिए यह बिल लाने की आवश्यकता महसूस की गई। क्योंकि सत्ता पक्ष वाले काफी समय से एक बेलगाम घोड़े के समान बन कर रह गए हैं। (विघ्न)

श्री बलवंत सिंह : ये पूरे देश को, पूरे हिन्दुस्तान को बेईमान नहीं कह सकते, कुछ व्यक्ति विशेष हो सकते हैं। इसलिए भारतवर्ष का जो नाम लिया गया है उसको एक्सपंज कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, इसको एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री अनिल विज : आज के नेता अपने कर्तव्यों से विमुख हुए हैं और उन्होंने अपने क्रियाकलापों से इस प्रकार का वातावरण पैदा किया है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार आज पूरे देश में सर्वत्र चर्चा का विषय हो गया है। इस राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी जो लोक पाल बिल ले कर आये हुए हैं, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और सभी सदस्यों से यह आग्रह भी करूंगा कि हम सभी को इस बिल का आदर और सम्मान करना चाहिए और इस का स्वागत करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं तथा आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती करतार देवी (कलानौर, अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह बिल जो सदन के नेता सदन के सामने ले कर आए हैं इसी प्रकार का बिल हरियाणा प्रदेश के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में तथा देश की दूसरी स्टेट्स में भी लाया जा रहा है तथा ऐसा ही बिल पार्लियामैंट के सामने लाया जा रहा है। इस प्रकार का बिल चाहे वह किसी भी स्टेट में या किसी भी कारण से लाया गया है। किसी भी राजनेता या किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह लोकपाल विधेयक का लाया जाना कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है यह हम सब की आत्मा को झिंझोड़ने वाली बात है। इस से पूर्व राजनीति देश की महान् सेवा हुआ करती थी और उसमें लोगों की सेवा तथा त्याग की भावना सर्वोच्च मानी जाती थी। भ्रष्टाचार और पक्षपात की भावना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लोग उन व्यक्तियों का धन्यवाद किया करते थे जो कि राजनीति में आ कर लोगों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार होते थे। जनता उनको पूरा सम्मान इसलिए देती थी कि वे हमारा नेतृत्व स्वीकार करेंगे। लोग कभी यह सोच भी नहीं सकते थे कि उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या पक्षपात की कोई भावना पनपेगी। कोई द्वेष की

भावना या इस प्रकार की कोई बात उनमें आएगी जिससे उन पर कोई आक्षेप लगेगा। हर पब्लिक सर्वेंट हर काम को अपनी डयूटी समझ कर करने के लिए आता है तो उसकी ओथ सैरेमनी होती है और जो ओथ ली जाती है वह संविधान की मर्यादा को मद्देनज़र रख कर ली जाती है कि वह अपनी डयूटी का निर्वहन करते हुए देश सेवा और समाज सेवा को अपने सामने रखेगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार का जो बिल इण्ट्रोड्यूस हो रहा है यह कोई अच्छी बात नहीं है यह हैल्दी डैमोक्रेसी का साईन नहीं है। सरकार का कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति इससे शक के दायरे में आ जाएगा, राजनीतिज्ञों के जीवन में आने वाले भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए यह बिल लाया गया है ताकि उनमें यह भय रहे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस बात को देखते हुए यह लोक पाल बिल लाया गया है। मैंने पहले भी यह गुजारिश की थी कि मैं इससे सहमत हूं। मैं इस बिल पर अपनी भावना व्यक्त करना चाहती हूं तथा साथ ही साथ अपने कुछ सुझाव भी देना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल सिलैक्ट कमेटी को भेजा गया था ताकि सिलैक्ट कमेटी इस को कंसीडर करके इसमें आवश्यक अमैंडमैंट कर सके लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जब कभी भी हमारे पास किसी मीटिंग की चिट्ठी आती है हम उसे सीरियसली देखते ही नहीं, सरसरी तौर पर उसको देख कर रख देते हैं। जो मीटिंग का एजैंडा होता है उसको भी हम सही तौर पर नहीं देखते हैं और इस प्रकार एक फैसले या कमिटमैंट की जो भावना है वह धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। इस बिल में भी सिलैक्ट कमेटी से कोई विशेष अमैंडमैंट नहीं आई है। ये दोनों ही प्रारूप मेरे सामने हैं। इसमें माईन्यूटली एक-एक बात को देखा जाना चाहिए था और उसके बाद ही सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में आनी चाहिए थी। उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों की जो भावनाएं और सुझाव हैं उनका हम समर्थन करते हैं लेकिन 2-3 बातें जो कैप्टन अजय सिंह ने इस बिल के बारे में आपके सामने रखी हैं। लोक सेवा को-आपरेटिव सोसाईटीज़ के अध्यक्ष और बोर्ड के निर्देशक की बात इसमें शामिल की गई है।लेकिन उनका इलाज करने के लिए आपके पास पहले ही प्रावधान है। अगर यह सारा इसमें शामिल कर देंगे तो लोकपाल एक ऐजेन्सी बनकर रह जाएगा। उसके पास ढेरों केस पड़े रहेंगे। वह किसी भी केस का फैसला नहीं कर पाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एक से लेकर नौ तक की कैटेगरी है इन में से कुछ को इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह नहीं कहती कि इन कैटेगरीज में भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं यह नहीं कहती कि इस पर यह लागू नहीं होगा। मैं यह इस दृष्टि से कह रही हूं कि इससे लोकपाल का काम बहुत बढ़ जाएगा। आपके पास कितनी शिकायतें आने लगेंगी। पंचायती राज के पास और जिला परिषद् के पास अगर फंड नहीं है तो थोड़ा बहुत काम होने की बजाय एक दूसरे की शिकायतों में टाईम जाएगा। इसके साथ ही मैं लोकपाल की नियुक्त के बारे में सुझाव देना चाहती हूं कि यह नियुक्ति राजनैतिक आधार पर नहीं होनी चाहिए। लोकपाल की नियुक्ति सब की सहमति से होनी चाहिए ताकि वह मुख्य मंत्री की बात भी मान ले और विपक्ष की बात भी मान ले। अगर विपक्ष को साथ लेकर सर्व-सम्मति से उसकी नियुक्ति हो तो यह बहुत ही अच्छा होगा। अगर उसके पास इसी तरह का काम होगा जो इसमें बताया होगा तो वह काम कैसे करेगा ? कभी वह कहेगा कि मेरे पास स्टाफ नहीं है मेरे पास फलानी चीज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि अगर मेरे पास मेरी पसन्द का, बिश्वास का स्टैनो नहीं होगा तो मैं उसको एक शब्द भी नहीं लिखा पाऊंगी। यह सरकार असला निर्धारित कर सकती है कि वह कहां से लेंगे। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि वह सरकार की मर्जी से लिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने अपनी मर्जी से ही स्टाफ देना है तो इनके पास पुलिस विभाग है और भी कई विभाग हैं उनसे ये अपने काम करवा सकते हैं अलग से स्टाफ की कोई जरूरत ही नहीं है। लोकपाल जो आने वाला है उसके पास अपना स्टाफ हो तो मेरी ओर से यह मामूली सी अमैंडमैंट है

श्रीमति करतार देवी

इस बारे में सदन के नेता विचार करें। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ये कब तक के मामले लेंगे यह इस बिल में स्पष्ट नहीं होता है लेकिन लगता है कि यह 20 साल पुराने हैं। मेरी छोटी सी बुद्धि के मुताबिक जब भी कोई संस्था काम करने लगती है तो वह तब से ही काम करने लगती है जब से वह बनती है। जब कोई पैदा ही नहीं हुआ तो आप पैदा होने से पहले का काम कैसे निपटाएंगे। मुख्यमंत्री जी अगर आप पिछले 20 साल पहले का करना चाहते हैं तो 20 साल से पहले का क्यों नहीं करते, जब से हरियाणा बना है। मेरा सदन के नेता से अनुरोध है कि जब से हरियाणा बना है तब से ही कर दें। इसमें अगर कोई लीगली प्रोब्लम आएगी तो वह कोर्ट डिसाइड कर देगा। वैसे नियम है कि जब से लोकपाल बनेगा तब से ही काम करेगा। सत्ता पक्ष के लीडर यहां पर बैठे हुए हैं मैं उनसे यह कहना चाहती हूं कि कल को हरियाणा की जनता इस कुर्सी पर किसी और को बिठा सकती है यह कोई स्थाई चीज नहीं है। कोई भी आने वाला सत्ता पक्ष का मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन यह लोकपाल संस्था ऐसी बननी चाहिए कि हमेशा लोगों को ऐसा लगे कि चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व में जो यह संस्था बनायी गयी थी, वह बिल्कुल निष्पक्ष और भेदभाव की भावना के बगैर बनायी गयी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इन छोटी-2 अमैंडमैंट्स को आप जरूर स्वीकार करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धांतः कुछ अमैंडमैंट्स के साथ हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

श्री रामपाल माजरा (पाई) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि लोकहित के बहुत ही अहम मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का समय दिया। सर, आज भ्रष्टाचार एक आम बात बन चुकी है और कोई भी प्रौजैक्ट या कोई प्लान भ्रष्टाचार के कारण आज पूरा ही नहीं हो पाता। पूरा होने से पहले ही उसमें गड़बड़ हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब बाड़ ही खेत को खाने लगे और जब दरिया के किनारे ही खुद पानी चूसने लग जाए तो क्या होगा ? जब अपनी अपनी सुविधानुसार कानून बनने लगे तब क्या होगा ? अगर ऐसा होने लगे तब यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इस बिल का कुछ अमैंडमैंट्स के साथ समर्थन करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि power corrupts a man. More power corrupts more. ऐसी संस्थाएं दूसरे देशों में भी काम कर रही हैं। सर्वप्रथम स्वीडन में 1809 में यह संस्था हार्वर कमीशन के नाम से काम करने लगी। इसी तरह से कनाडा में, इगलैंड में और आस्ट्रेलिया में भी आज ये संस्थाएं सफलतापूर्वक चल रही है। यू० एस० ए० में गलैस्को कमीशन, आस्ट्रेलिया में कांस कमीशन है। इसके अलावा भारतवर्ष में भी 1966 में ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्मज के नाम से यह संस्था काम करने लगी। सबसे पहले जिसके चेयरमैन मोसर जी देसाई को बनाया गया था लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको बदल दिया गया था। इसके अलावा कुछ स्टेट्स में भी यह संस्थाएं बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। महाराष्ट्र में इस संस्था को 61 हजार केसिज मिल पाए, आंध्र प्रदेश में 33 हजार, कर्नाटक में 16 हजार और राजस्थान में आठ हजार केसिज का निपटारा इन संस्थाओं ने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का जिस प्रकार का प्रारूप पेश किया गया है उससे लगता है कि यह सत्ताधारी के हाथ में एक कठपुतली के समान होगा क्योंकि अगर सत्ताधारियों की बात उन पर आंख तरेरने वाले लोग नहीं मानेंगे तो वे उन लोगों पर विपक्ष के लोगों पर इसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए मैं सत्ता पक्ष में बैठे बंसी लाल जी से निवेदन करूंगा कि सत्ताएं तो बदलती रहती हैं। इस कुर्सी पर कभी राव बीरेन्द्र सिंह बैठे, कभी पं० भगवत दयाल शर्मा बैठे, कभी आप खुद बैठे, कभी चौधरी देवीलाल बैठे, कभी ओम प्रकाश चौटाला साहब बैठे, कभी हुक्म सिंह बैठे, कभी बनारसी दास गुप्ता बैठे, कभी भजनलाल जी बैठे थानी ये तो बदलते ही रहते हैं। आज हरियाणा की जनता लोकपाल की नियुक्ति चाहती है। सारा विपक्ष भी यही चाहता है। परन्तु लोग चाहते हैं कि लोकपाल

जिसको भी नियुक्ति किया जाए, वह वायबल होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में यह कहूंगा कि मैंने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश तथा भारत वर्ष ने जो अपने अपने यहां लोकपाल इंट्रोडयूस किए हैं, के बारे में पढ़ा है। अभी रामबिलास जी कह रहे थे कि इस बिल में हमने सैंट्रल बिल के भी कुछ कंटैक्सट लिए हैं। लेकिन अगर सैंट्रल बिल के कंटैक्सट को देखा जाए तो आपको पता लगेगा कि लोकपाल की अप्वायंटमैंट के मामले में उन्होंने एक कमेटी बनायी और इस कमेटी की सिफारिश के बाद ही उन्होंने लोकपाल नियुक्त किया। मैं इसका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा कि इस कमेटी में किस-किस को शामिल किया गया। लेकिन विशेष रूप से इसमें लीडर ऑफ दि अपोजीशन को शामिल किया गया है। अगर कहीं पर मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं हैं तो भी स्पीकर के निर्देशानुसार उनको शामिल किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर यहां पर लीडर ऑफ दि अपोजीशन को शामिल नहीं किया गया या फिर वैसी ही कोई कमेटी नहीं बनायी गयी तो यह बिल केवल सत्ता पक्ष के लोगों के हाथ में एक कठपुतली बनकर रह जाएगा। जिस प्रकार से हमारे पड़ौसी सूबे में पहले तीन टायर और चार टायर बनाने की कोशिश की गयी थी वह इसलिए की गयी थी ताकि वे उनकी सुविधा के मुताबिक काम कर सकें इसलिए उसमें इस तरह के लोगों को शामिल करने की कोशिश की गयी। इसलिए मैं बंसीलाल जी से निवेदन करूंगा कि वे अगर लोकपाल बिल को पास करवाना चाहते हैं तो इसको इमपार्शियल बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए, इसको निष्पक्ष रखने के लिए एवं लोगों में इसकी इमेज बनाने के लिए आपको इसमें कुछ अमैंडमैंट्स करने चाहिएं। यह बहुत ही कारगर होगा। इसमें आप लीडर ऑफ दि अपोजीशन को शामिल करके एक कमेटी बनाएं तथा उस कमेटी की रिकमैंडेशन पर अपॉइन्ट करने का प्रावधान करें तब यह कारगर हो सकता है। जहां तक इसकी रि-अपॉइन्टमैंट का सवाल है तो यह साफ जाहिर है कि रि-अपॉइन्टमैंट लेने के लिए उसका सत्ता पक्ष के लोगों के प्रति नरम रवैया होगा तभी उसे रि-अपॉइन्टमैंट मिल सकती है।

श्री बंसी लाल : राम पाल जी, रि-अपॉइन्टमैंट का सवाल ही पैदा नहीं होगा। जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा तो एक कार्यकाल पूरा करने के बाद वह 70 साल का हो जाएगा और उसके बाद रि-अपॉइन्टमैंट की बात ही नहीं आएगी।

श्री रामपाल माजरा : आजकल के जमाने में यह जरूरी नहीं कि जज भी दूध के धुले हुए हों। मैं उन पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि रि-अपॉइन्टमैंट का शब्द उसमें से निकाल दें। आखिर वे भी मनुष्य हैं उनके भी राजनेताओं, व्यापारियों आदि से संबंध होंगे और रि-अपॉइन्टमैंट लेने के लिए वह सत्तापक्ष के लोगों को खुश करने की कोशिश करेगा उसके लिए कुछ न कुछ आकर्षक काम करेगा या नर्म रवैया रखेगा इसलिए रि-अपॉइन्टमैंट का शब्द इसमें से निकाल दिया जाए। इसके अलावा इसमें एक बहुत जरूरी मामला है। चौधरी बंसी लाल जी ने ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कहा था कि जब से हरियाणा बना है उस दिन से सारी की सारी कंपलेन्ट लेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अब इसमें तरमीम की गई है। सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई तो इसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ एक बात के सिवाय कि उसमें 20 साल लिख दिया। चौधरी साहब के वक्त को इसमें शामिल नहीं किया गया।

श्री बंसी लाल : मेरे ऊपर तो आने वाले कल से भी लागू हो तो भी लागू होता है।

श्री उपाध्यक्ष : यूनैनिमसली यह निर्णय लिया गया है।

श्री रामपाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि 20 साल का शब्द इसमें से निकालकर "जब से हरियाणा बना है" यह शब्द इसमें जोड़ने का काष्ट करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और पता लग जाए कि कौन ठीक है कौन गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक यह जिक्र

[श्री राम पाल माजरा]

भी किया गया है कि लोकपाल जब से नियुक्त हो जाएगा तो उसे पार्लियामैंट का अगर सदस्य होगा तो वहां से या बिजनेस से इस्तीफा देना पड़ेगा तो इससे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी से होगा और यदि पार्लियामैंट से इस्तीफा भी दे देगा तो भी उस पार्टी की आइडियोलौजी में वह विश्वास रखता है। लोकपाल नियुक्त हो जाता है तो भले ही वह पार्लियामैंट से इस्तीफा दे दे तो भी उस पार्टी के प्रति उसकी थोड़ी बहुत श्रद्धा रह जाती है। तो इस प्रकार का व्यक्ति लोकपाल बने जिसकी थ्रू-आउट एक इमेज हो और वह इजियली ऐप्रोचेबल भी न हो और लोगों के लिए आदर्श हो। उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि हरियाणा में एक रिवायत है। इसको तो पहले से ही लोग आया राम और गया राम के नाम से जानते हैं। अनिल विज जी पौलिटिकल करप्शन की बात कह रहे थे। (विघ्न)

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : इस बिल में अगर 40 साल तक का समय ले लिया जाये तो 12.00 बजे आपके नेता चौधरी देवी लाल जी और मैं दोनों आ जायेंगे (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : जब पांच सदस्य चौधरी बंसीलाल जी को छोड़कर गये थे तो इनकी आत्मा को बड़ी ठेस पहुंची थी कि कहीं हरियाणा प्रदेश के इतिहास पर बट्टा न लगवा दें। पोलिटीकल करप्शन को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। करप्शन को चैक करने के लिए इस बिल को डिफैंसिब और वाईड करना चाहिए ताकि और गहराई से जांच हो सके (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी बंसी लाल जी से निवेदन करूंगा कि इस बिल को अमैंड करके पारित किया जाये। अन्यथा इस किस्से के बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता चौधरी बंसी लाल पर उंगलियां उठायेगी। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : सभी को रोटेशन में समय देंगे। विपक्ष की तरफ से दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं अब सत्ता पक्ष की तरफ से बोलने दें। राजकुमार जी आप बोलिये।

श्री राज कुमार सैनी (नारायणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लोकपाल बिल पर बोलने का समय दिया इसके लिये आपका धन्यवाद। हमारे लोक नायक नेता के नेतृत्व में इस अहम बिल लोकपाल बिल 1996 पर इस सदन में चर्चा हो रही है। आज हमारी सरकार इस लोकपाल बिल पर चर्चा कराकर जहां भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है वहीं पर पिछली सरकार के बहुत सारे साथी आज भ्रष्टाचार की चपेट में फंसे हुये हैं। वे नहीं चाहते कि कहीं यह बिल पास होने से उनको करप्शन की बेड़ियों मे फंसा दिया जाए। उनके कई नेता करप्शन के केसों में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं वे कब चाहेंगे कि उन पर कोई अंकुश लगायें, पावों में बेड़ियां लगायें इसलिये वे इस बिल को पास नहीं करना चाहते लेकिन जैसा इंसान खुद होता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। ये वही लोग हैं इन में से 50 प्रतिशत तो कहीं न कहीं घपले में फंसे हुये हैं चाहे वह हवाला कांड हो, चाहे वह चीनी का घोटाला हो, चाहे कोई और घोटाला हो। वर्ष 1996 के स्टार्ट होने से पहले अखबारों में हम देखते थे और ऐसा नजरिया हो गया था कि आज पता नहीं कौन फंसा होगा। इनकी नजर तो अखबारों में ही उलझी रहती थी। ये ऐसी जमात को तो लोकपाल बिल के लिए अपने नेताओं को बुलाना चाहते हैं कि वे भी इसमें भाग लें। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य भाई कैप्टन अजय सिंह ने यह बात कही कि हमारे विपक्ष के नेता यहां पर नहीं हैं वे भी यदि इस लोक पाल बिल की चर्चा में हिस्सा लेते तो अच्छा होता। हमारे सम्मानित सदस्य जो यहां मौजूद हैं क्या वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों का कांड चला हुआ है उसमें फंसे हुए हैं। दूसरे, जिसके ऊपर अपार संपत्ति अर्जित करने के लिए दूसरे विपक्ष के भाई ने दावा दायर किया हुआ है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, ये कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हैं, इनको आप रोकिए। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बैठिए।

श्री राज कुमार सैनी : इसलिए जो लोग खुद भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं, वे लोकपाल बिल के बारे में हमें क्या मार्गदर्शन देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसे-ऐसे व्यक्ति भी इस बिल की चर्चा में भाग लेंगे तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। (विघ्न)

श्रीमती करतार देवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगी कि इस अहम बिल को माननीय सदस्य इस तरह की आलोचना का विषय न बनाएं क्योंकि अगर किसी भी पार्टी के सदस्य अथवा नेता के लिए कोई आलोचनात्मक शब्द कहे जाएंगे तो वह सदस्य भी उसका जवाब देना चाहेगा। इससे बदमजगी ही पैदा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमें बोलने के लिए समय नहीं दिया जाता है तो हमें दुःखी होकर के वाकआउट करना पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि माननीय सदस्यों को निर्देश दें कि वे रैलेवैंट बात ही बोलें, वे कोई भी सुझाव अमैंडमैंट वगैरह के लिए दें, लेकिन ऐसी बातें न कहें।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि इस बिल पर अपोजीशन के ही ज्यादा सदस्य बोलें।

श्री राज कुमार सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, यह लोकपाल बिल एक ऐसी कुनीन साबित होगी जो कि भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को किसी भी रूप में पनपने नहीं देगी। यह जो लोकपाल बिल आज सदन में पेश किया गया, इसके लिए हमें चौधरी बंसी लाल जी पर पूरा नाज है। जैसे वे खुद भी पाक दामन के हैं और बिना किसी संकोच के उन्होंने यह भी बात कही कि हमें हर हालत में यह बिल पास होने की उम्मीद है। हम इस बिल को पास करना चाहते हैं बशर्ते कि इसके लिए हमारे विपक्ष के भाई भी हमारा साथ दें। चंद बातें जो कि बहिन करतार देवी जी ने कही उनके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि इस बिल में जितनी भी लोक सेवक संस्थाएं दर्शाई गई हैं, उनका काम बहुत बढ़ जाएगा। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) परन्तु किसी भी संस्था के बढ़ने या घटने से किसी अन्याय पर कोई असर नहीं पड़ता, बशर्ते कि उस संस्था की पब्लिक के प्रति, समाज-सेवकों के प्रति, इस संविधान के प्रति और इस सदन के प्रति कितनी जिम्मेवारी है। मैं आज अपने विचारों सहित लोक पाल बिल के समर्थन में आशा करता हूं कि इसे तुरंत पास किया जाना चाहिए। जो बातें बहिन करतार देवी जी ने कही हैं, उनको भी अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। अतः मैं चाहता हूं कि यह बिल अवश्य पास किया जाए। धन्यवाद।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना) : अध्यक्ष महोदय, हमेशा ही मैं बड़ा डरता-डरता आपसे बोलने के लिए समय मांगता हूं क्योंकि मैं एक बार समय मांगने का दण्ड भुगत चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : आप यह डर अपने मन से निकाल दें। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपसे यही अश्योरैंस चाहता था कि आज आपकी तरफ से मुझे उस दिन जैसा दण्ड नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यह लोकपाल विधेयक आज की सरकार इस सदन में ले कर आई है। लोकपाल बिल बनाने के पीछे जो ब्रीफ ऑब्जैक्टस हैं वह इस बिल में लिखे हैं जो इस प्रकार हैं। ''लोक सेवकों के विरूद्ध अभिकथनों, शिकायतों तथा उनसे समबद्ध मामलों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति तथा कृत्यों का उपबंध करने के लिए विधेयक'' स्पीकर साहब, किसी भी लोकपाल को अगर सही मायनों में इस इंस्टीच्यूशन को डिवैल्प

[श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला]

करना है तो उसकी मुख्य तौर पर ये रिक्वायरमैंटस हैं कि लोकपाल निर्भीक, निडर और स्वतंत्र हो। जो लोकपाल बिल आज की सरकार इस सदन के समक्ष लेकर आई है इसकी विभिन्न धाराओं को पढ़ने के बाद कोई भी रिजनेवल आदमी इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि इस बिल के द्वारा सरकार एक जेबी लोकपाल की नियुक्ति करना चाहती है। The Government wants to make Lokpal a pocket burrow. एक जेबी लोकपाल की एप्वायंटमैंट करने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। This Bill is against the provisions of the Constitution. This Bill is neither legally feasible nor constitutionally feasible. अध्यक्ष महोदय, इस बिल की हर धारा में बड़ी भारी खामियां हैं। वह मैं आपके द्वारा सदन के नेता को बताना चाहूंगा हालांकि इस समय सदन के नेता सदन में मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारे माननीय मंत्री गोदारा साहब सदन में बैठे हैं। मैं उनके नोटिस में यह बात लाना चाहूंगा। इस बिल की सैक्शन-2 (बी) में कम्पीटैंट अथोरिटी डिस्क्राइब की गई है। स्पीकर साहब, आप स्वयं एक शिक्षाविद हैं और आप कानूनी तौर पर बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इस बिल में विशेष तौर पर जो महत्वपूर्ण खामी है, उसने लोकपाल की स्वतंत्रता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार एक जेबी लोकपाल लगाना चाहती है। कम्पीटैंट अथोरिटी के बारे में इस क्लाज़ में जो लाईन लिखी गई है, वह मैं आपके समक्ष पढ़ देता हूं। इसमें यह कहा गया है कि:—

(b) "Competent authority in relation to a complaint against the public servant means the Governor."

स्पीकर साहब, आपको यह मालूम है कि संविधान के आर्टिकल 163 के तहत गवर्नर महोदय का प्रारूप सरकार है। जो सरकार चाहेगी, गवर्नर महोदय को वह करना पड़ेगा। Governor is a figure. It is the government which decides matters. इसका मतलब यह है कि कम्पीटैंट अथोरिटी धारा-2 (बी) के अनुसार मौजूदा सरकार होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता को यह सुझाव देना चाहूंगा कि कम्पीटैंट अथोरिटी गवर्नर की बजाय इस प्रकार की की जाए कि मुख्य मंत्री के लिए और जो विधान सभा के आज के सदस्य हैं, उनके लिए और जो पूर्व सदस्य हैं, उनके लिए कम्पीटैंट अथोरिटी विधान सभा की एक सिलैक्ट कमेटी होनी चाहिए। उस सिलैक्ट कमेटी के चेयरमैन जो भी मुख्य मंत्री हों वह हों, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन हों, जिस ग्रुप का कौरम बनता है एक नेता उसका हो और उसमें स्वयं विधान सभा के स्पीकर भी हों। इस तरह की एक चार मैम्बरी सिलैक्ट कमेटी होनी चाहिए ताकि कोई अनैसेसरी प्रौसिक्यूशन न कर सके। जो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्ज है, उसके लिए कम्पीटैंट अथोरिटी गवर्नर भी हो सकता है और चीफ मिनिस्टर स्वयं हो सकता है। बाकी जो सब लोग है, उनके लिए गवर्नर का प्रावधान कर सकते हैं। विशेष तौर से, विधान सभा के पूर्व सदस्य हैं या स्वयं मुख्य मंत्री है, उनके लिए अगर कम्पीटैंट अथोरिटी स्वंय मुख्य मंत्री खुद होंगे तो it would tantamount to appointing somebody as a judge in his own cause. Which is not permissible. I think that is a law. यह शायद जान-बूझ कर नहीं किया गया। यह शायद किसी ने ब्वायंट आउट नहीं किया। इस वजह से रह गया होगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार यह अमैंडमैंट लाकर इसको ठीक करेगी। सर, इसी प्रकार से मैं आपका ध्यान इस बिल की धारा-2 एफ की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसमें ग्रीवैन्स को डिफाइन किया गया है:—

"grievance" means the claim by a person that a right to which he is entitled to is denied to him or is unreasonably delayed by the act of omission or commission of a public servant:

यह इतनी स्वीपिंग पावर है जिसका कोई अन्त नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। जब भी इस तरह का कोई प्रावधान करें, चाहे हिमाचल प्रदेश के लोक पाल बिल में हो, चाहे हिन्दुस्तान के लोकपाल बिल में हो इनके पैरामीटर्ज को डिटरमिन करना पड़ेगा जिसके बियोन्ड आप जा नहीं सकते। Other wise, it would amount to a witch-hunt and subjective satisfaction. मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने आपकी गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष महोदय से दर्खास्त की कि मुझे बोलने का समय दिया क्योंकि स्पीकर साहब कह कर गए हैं। उन्होंने मुझे समय नहीं दिया this can be my grievance तो क्या मैं इसके लिए लोकपाल के पास जाऊंगा। अगर धारा 2 एफ ठीक है, धारा-2 एफ की लैंग्वेज ठीक है, तो मैं इस बात के लिए भी लोकपाल के पास जा सकता हूं। इसलिए यह बात भी ओवर लुक हो गयी है। सरकार से मुझे उम्मीद है कि यह जान बूझकर तो नहीं की होगी इसलिए इसकी लैंग्वेज को इस प्रकार रखने की बजाये पैरामीटर्ज डिटरमिन करायें ताकि उससे फैसला हो सके कि what is the nature of grievance for which a person can go to a Lokpal. अदरवाईज सारे माननीय सदस्य स्पीकर के खिलाफ लोकपाल के पास चले जाएंगे। (विघ्न) मैं नहीं समझता, कानून में व्यक्तिगत विचार कुछ भी हों कानून की लैंग्वेज तो आपको इस प्रकार की बनानी ही पड़ेगी कि उसको समझने वाला ठीक प्रकार से समझे। यह मेरा आपके समक्ष प्रस्ताव है, सरकार की मर्जी है मानने की, न मानने की। मैं यह कह रहा हूं वरना यह बिच हंट हो जायेगा और उसका नतीजा यह निकलेगा कि इस इन्स्टीच्यूशन , जिसकी मैं ताईद करता हूं, जिसका समर्थन करने के लिए आज मैं इस सदन में खड़ा हूं, अगर उसका कोई परपज ही नहीं रहेगा तो फिर उस बिल का क्या फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बिल की धारा-3 की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जिसमें एम्पावरमैंट ऑफ लोकपाल की चर्चा की गई है जिसके बारे में हमारे साथी कैप्टन अजय सिंह और रामपाल माजरा ने चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, इसमें अगर हम इसकी लैंग्वेज पढ़ें तो इसमें यह कहा गया है—

"For the purpose of conducting investigations in accordance with the provisions of this Act, the governor shall, by warrant under his hand and seal, appoint a person to be known as the Lokpal :

Provided that the Lokpal shall be appointed on the advice of the Chief Minister who shall consult the Speaker of the Haryana Legislative Assembly and the Chief Justice of India in a case of appointment of a person who is or has been a Jedge of the Supreme Court or Chief Justice of High Court and Chief Justice of concerned High Court in case of appointment of a person who is or has been a Judge of a High Court." अगर वह सुप्रीमकोर्ट के जज रहे हैं या हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और अगर वह किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं या रहे हैं तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस बारे में मुख्य मंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष विचार-विमर्श करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इसको वाकई में इण्डीपैंडेंट लोकपाल बनाना है तो एक कमेटी का प्रावधान करना चाहिए। आज जो हिन्दुस्तान की संसद में लोकपाल बिल लाया गया है उसमें इसका प्रावधान है। इसको आप कहें तो मैं पढ़कर सुनाऊं। इसमें आप कमेटी बनायें और इसमें 4 तरह के व्यक्ति रखिये। मुख्यमंत्री उस कमेटी के चेयरमैन हों और विधान सभा के स्पीकर उसके मैम्बर हों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, जिससे उनको एप्वायंट किया जाना चाहिए जिसके वे रिटायर्ड जज है, उसके मैम्बर हों। चीफ जस्टिस आफ सुप्रीमकोर्ट भी हों और जो मुख्य बात है, लीडर आप अपोजीशन जरूर उसका मैम्बर हो और उसके साथ-साथ हर वह ग्रुप या वह पार्टी जिसका विधानसभा में मैम्बर है और जो चुनाव आयोग

[श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला]

द्वारा रिकोगनाईज्ड पार्टी है—Be it a National Party or be it a State Party. इसके लीडर को भी उस कमेटी के अन्दर रखा जाए इस प्रकार यह छः मैम्बरी कमेटी बन जाती है यही हिन्दुस्तान के अन्दर संसदीय प्रावधान है तभी आप सही, निर्भीक और निडर लोकपाल लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं जो बात कहना चाहता था वह यह है कि इस सरकार ने कहा है कि वह चाहे तो सीधे ही जज आफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लोकपाल लगा सकती है। अध्यक्ष महोदय, ठक्कर कमीशन के सामने यह सवाल आया था उस में हिन्दुस्तान के हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ़ फैसलों के अन्दर निर्णय दिया है—— A Judge is only the judge. You cannot take away that constitutional duty from him by a legislation. आप कानून बना कर जज की ड्यूटी उनसे नहीं ले सकते हैं चाहे हाई कोर्ट का चाहे सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज को बनाएं तब तो ठीक है अगर आप ऐसा करेंगे that would tantamount the breach of the basic structure. वह व्यक्ति जो सिटिंग जज है अगर उसको आप लोक पाल लगाएंगे तो वह अपनी उस ड्यूटी को, जिसके लिए उसे लगाया गया था और जिसकी उसने संविधान में ओथ ली थी, यह मुमकिन नहीं है वह उसे पूरा कर पाएगा। इसलिए यह वैध नहीं है उसके लिए यह पॉसिबल नहीं होगा इसलिए सरकार इसकी जांच करवा ले। एक सिटिंग जज अगर लगेगा then he can no longer be a High Court or a supreme Court Judge. He cannot discharge his functions as such. और अगर ऐसा हुआ जो कमेटी के बेसिक स्ट्रक्चर की वायलेशन परमिसिबल नहीं है इसमें लैजिस्लेशन द्वारा संविधान की बेसिक वॉयलेशन होगी। इसलिए मैं यह कहूंगा कि इसकी दोबारा से सरकार जांच कर ले क्योंकि यह पहलू सरकार ने ज्यादा कंसीडर नहीं किया है और न ही सिलैक्ट कमेटी के सामने इसे रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि ऑल इण्डिया बिल इसमें सैक्शन 6.1 है और अपने प्रदेश का पड़ौसी प्रदेश हिमाचल प्रदेश है इसमें भी इस प्रकार की बात का ख्याल रखा हुआ है। उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज का प्रावधान नहीं किया गया है।

Clause 6.1 says :—

"Every person appointed as the Lokpal shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till the age of 70 years, whichever is earlier. He would be eligible for re-appointment at the discretion of the State Government, for another term of five years or less, as the case may be"—

इसके बाद लोकपाल को 5 साल से ज्यादा के लिए अगर लगाना है और उसके बाद उसका टैन्योर बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए इस बारे में सदन के नेता ने भी श्री राम पाल जी की आपत्ति का जवाब देते हुए यहां पर बताया है कि ऐसे व्यक्ति को वे लगाएंगे जिसकी एक्सटैंशन की जरूरत न पड़े। अगर सरकार की मंशा इस प्रकार की है तो हमें इस पर शक है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को ही लगाना है तो फिर एक्सटैंशन देने के प्रोविजन की क्या जरूरत है। हमें ऐसी शंका है कि किसी व्यक्ति विशेष को लगाने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है और किसी व्यक्ति को लगाने के लिए सरकार पहले से ही फैसला कर चुकी है। यह प्रावधान इनैक्ट किया गया है। 70 साल की उम्र पूरे हिन्दुस्तान में किसी भी पद के लिए नहीं है संविधान के किसी ऐक्ट में नहीं है। जज की एज भी 65 साल ही रखी गई है। उम्र में जो यह 65 से 70 साल का रखा गया है इसमें भी यह लगता है कि किसी विशेष व्यक्ति को लगाना चाहते हैं वरना ऐक्सटैंशन का प्रावधान रखते ही नहीं because he would be eligible for reappoint-

ment at the discretion of the State Government for another five years or less. इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति निर्भीक, लोकपाल, निडर लोकपाल, स्वतन्त्र लोकपाल हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी नज़र अगले 5 साल की टैन्योर लेने पर लगी रहेगी तथा वह स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसा प्रोविज़न मेनटेन करके सरकार ने एक ड्रैकोनियन प्रोविज़न रखा है। सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि इसे एबोलिश कर दिया जाए। इसी प्रकार से इस बिल की धारा-8 की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिसमें आपने प्रावधान किया है कि वे कौन से मामले हैं जिनकी तफतीश लोकपाल करेगा। वे मामले अगर सरकार उसके पास भेजे और उसको सूओमोटो करेगी तो इसका कोई फायदा नहीं है। लोकपाल को इस बात की स्वतन्त्रता नहीं दी गई है कि वह अपने मामले खुद देखे। जिसकी कम्पलेंट है वह अपनी कम्पलेंट सीधा लोकपाल के पास लेकर जा सके इससे तो यह सरकार की मर्जी होनी चाहिए कि वह जिस की चाहे उस की कम्पलेंट रैफर करे जिसकी न चाहे उसकी कम्पलेंट रैफर न करे। यह तो लोकपाल की मर्जी होनी चाहिए कि वह किसी की कम्पलेंट एन्टरटेन करें या न करे। अध्यक्ष महोदय, आप तो शिक्षा विद हैं, No grievance can be rejected without consideration. अगर कम्पलेंट करने वाले की कम्पलेंट सरकार के माध्यम से जानी है तो वह लोकपाल जेबी लोकपाल बन कर रह जाएगा। अगर ऐसा होगा तो लोकपाल का परपज हल नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, असल में जो कम्पलेंट है वह ही असल में अपनी कम्पलेंट लोकपाल के पास भेजें। यह लोकपाल की मर्जी है कि वह उसे कंसीडर करे या न करे। उस कम्पलेंट को वह उचित समझे तो देखे अगर उचित नहीं समझता तो रिजैक्ट कर दे। यह इस बारे में सरकार की मर्जी नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह जो धारा-8 है इसमें इम्प्रूवमैंट होनी चाहिए यह जो शब्द 'of a reference from Government' है इसको डिलीट करने का मेरा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब धारा-9 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिसमें यह चर्चा की गई है कि लोकपाल पिछले 20 सालों के मामलों की तफतीश करेगा। इस बारे में मेरे से पहले बोलते हुए कई मैम्बर्ज ने यह बात उठाई थी और मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मुझे कोई एतराज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने 22-11-96 की प्रोसिडिंग का अंश पढ़ कर सुना देता हूं।

> "**श्री भजन लाल :** यह बहुत ही अहम बिल है। चौधरी बंसी लाल जी ने यह बिल पेश करते हुए कहा है कि इस बिल को 5 साल पहले की तारीख से लागू करने जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें क्या नजर आता है। 5 साल पहले तो भजन लाल जी मुख्य मंत्री था और कोई दूसरा नहीं था। इसलिए ये किसी से कोई झूठी सच्ची कम्पलेंट दिलवा देंगे और मुझे फंसा देंगे ऐसा कुछ मोटिव इसमें नजर आता है * * * * * या तो इसको उस तारीख से लागू करें जिस तारीख से यह बिल पास हो या फिर उस तिथि से जब से हरियाणा बना है क्योंकि इस दौरान 3 दफा मैं और दो दफा बंसी लाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं * * * * *
>
> **श्री बंसी लाल :** अध्यक्ष महोदय, इनका यह सुझाव हम मान लेंगे कि जब से हरियाणा बना है, तब से इसको लागू करेंगे।"

अध्यक्ष महोदय, तो इस बारे में इनसे निवेदन है कि यह लोकपाल अपना काम तब से करे जब से यह बिल पारित हो या जब से हरियाणा बना है तब से अपना काम करे। यही मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है। It is a solemn promise made by the Leader of the House on the floor of the House to the people of Haryana and to Members of this Legislative Assembly. The Govt. cannot now back out from this solemn promise.

Mr. Speaker : The matter as per the will of the House was referred to the Select Committee. The members of the different parties were nominated as members of this Committee. Your party members were also present in the meeting. यह मैटर सिलैक्ट कमेटी में अच्छी तरह से डिसकस हुआ है। इस कमेटी में आपके भी मैम्बर्ज थे। यह किसी एक का फैसला नहीं है बल्कि यह पूरी सिलैक्ट कमेटी का फैसला है। अगर उस समय आपके नुमाइंदे चौधरी खुर्शीद अहमद एवं चन्द्र मोहन जी ने यह प्वायंट रेज किया हो या उन्होंने कोई अपना डायसैंटिंग नोट दिया हो तो आप बताएं। Mr. Surjewala, the Select Committee is also a House in miniature. Now, you cannot discuss the matter as already decided by the Committee.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : सर, मै आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यह बताया लेकिन मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहूंगा और एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि उस समय पूरे हाउस ने इस बारे में फैसला लिया था और सदन के नेता ने कहा था।

Mr. Speaker : Whatever the Select Committee decides that is accepted by the House.

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर, सुर्जेवाला साहब ने इस बिल के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। सर, ये एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं। लेकिन जब सिलैक्ट कमेटी ने इस बारे में फैसला ले लिया है तो अब ये उस बारे में क्यों कह रहे हैं ? उस कमेटी में इनके भी दो मैम्बर यानी खुर्शीद अहमद एवं चन्द्रमोहन थे लेकिन उस समय तो किसी ने भी कोई ऑब्जैक्शन नहीं किया। आज ये बड़े ठाठ से अंग्रेजी पढ़कर सुना रहे हैं। हमें भी अंग्रेजी आती है। सर, हाउस ने ही वह सिलैक्ट कमेटी बनायी थी इसलिए उसके ऊपर इनका कमेंट करना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सुर्जेवाला जी, आप जल्दी ही कंक्लूड करें।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, मैं तो हिन्दी में ही पढ़ रहा था परन्तु मुझे नहीं पता कि वह इनको अंग्रेजी कैसे लग गयी।

श्री अध्यक्ष : इनको तो हिन्दी से अनुराग है He knows English very well.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : सर, यह बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और हम इनकी काबलियत पर शक नहीं करते। इसीलिए कर्ण सिंह दलाल ने इनको उकसा रखा है और तभी ये हमें बोलने नहीं देते। तो स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान इस बिल की धारा-9 की तरफ दिला रहा था और कह रहा था।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कंक्लूड करिए।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जब आप गुस्सा होते हैं तो मुझे तो डर लग जाता है। सांगवान साहब से भी मुझे डर लगता है।

श्री अध्यक्ष : आप ये डर अपने मन से निकाल दें।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, मुझे नहीं पता कि ये मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मुझे सांगवान साहब ने डरा रखा है लेकिन मैंने इनको कैसे डरा रखा है। चौटाला साहब और कैप्टन साहब भी ऐसे ही कह रहे थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, आप सुर्जेवाला जी की तरफ न देखें बल्कि आप मेरी तरफ ही देखें क्योंकि ये आपसे डरते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : सर, मैं आपका ध्यान इस बिल की धारा दस की तरफ दिलाना चाहूंगा। इस धारा दस में जो शिकायतें हैं, उनका प्रोविजन किया गया है। जैसे मेरे से पहले बोलते हुए कांग्रेस के हमारे एक साथी ने कहा कि इस बिल की धारा दस के अंदर कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत होगी तो वह लोकपाल के समक्ष इस धारा के तहत अपनी शिकायतें प्रस्तुत करेगा, अपनी प्रिवैसिज प्रस्तुत करेगा तथा उसको इस बारे में अपना सपोर्टेड एफेडेविट भी देना होगा। परन्तु उन्होंने एक एक्सैपशन क्लॉज भी रख दी। सर, मैं आपको पेज पांच की आखिरी लाईन पढ़कर सुनाना चाहूंगा क्योंकि आप इस बिल को ध्यान से देख रहे हैं।-In this Bill, it is mentioned-

"However, the Lokpal may dispense with such affidavit in any appropriate case."

सर, अगर आप इस बिल की धारा-तीन देखें तो वे सारे ऐप्रोप्रियेट केसिज इस धारा तीन के अंदर पहले ही प्रैसक्राइब हैं। लेकिन अगर सारे ऐप्रोप्रियेट केसिज पहले ही आपने धारा 10 (3) के अंदर बता दिये हैं तो फिर धारा 10 (2) में ऐक्सैप्शन की क्या जरुरत है। मैं आपको धारा 10 (3) पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

> "(3) Notwiththstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, any letter written to the Lokpal by a person in police custody or in a Jail or in any asylum or any other custodial place, shall be forwarded to the Lokpal unopened and without delay by the police officer of the person incharge of such jail, asylum or any other custodial place. If the Lokpal is satisfied, that it is necessary to do so, treat such letter as a complaint made in accordance with the provisions of sub-section (2)"

यह तो ठीक है यह बात तो समझ में आती है परन्तु इसके अलावा और ऐसा कौन सा केस है जहां ऐफीडेविट शिकायत के साथ न दें। उससे लोकपाल बिल की स्पीरिट टूटती है। वह व्यक्ति जिसने शिकायत की है अगर उसकी शिकायत झूठी पाई जाए तो उसके लिए प्रौसीक्यूशन का प्रोविजन है जो कि आई०पी०सी० में भी हो सकता है और लोकपाल के उसमें भी हो सकता है। जिस व्यक्ति ने एफीडेविट नहीं दिया उसके प्रौसीक्यूशन में दिक्कत आएगी। यह हिन्दुस्तान का संविधान कहता है, यही सदन की मर्यादा कहती है, यही आम आदमी का मानना है कि जो भी व्यक्ति अपनी कोई बात कहे वह जिम्मेदारी के साथ कहे। ऐफीडेविट एक ऐसी चीज है जो आदमी को जिम्मेदार बनाती है तो किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करनी है तो ऐफीडेविट का प्रावधान क्यों न हो। इसके साथ ही मैं यह बात कहना चाहता हूं कि डिसपैंसडविद करने की पावर लोकपाल को न दी जाए यह मेरी सलाह है। इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान धारा-10 की ओर दिलाना चाहता हूं उसमें एक प्रावधान है जो आज संसद के लोकपाल बिल है उसकी धारा 11(2) में किया गया है उसमें इस प्रकार की कोई ऐक्सैप्शन नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लोकपाल बिल की भी मैंने स्टडी की है उसकी धारा में भी इस प्रकार का कोई अपवाद नहीं बनाया गया है। It would be an abuse subsequently and it would frustrate the purpose of the Act. It is definitely capable of abuse. It may on some stage fall on the people who are sitting on the Treasury Benches also. इसलिए उन्हें अपने आगे की भी सुरक्षा करनी

[श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला]

चाहिए। यह बात ऐसी है कि जिसमें सरकार अमैंडमैंट करेगी। यह मेरी प्रार्थना है। अब मैं आपका ध्यान धारा-13 की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसमें पॉवर टू सम्मन रिकार्ड की लोकपाल को पावर होती है इसके साथ भी अपवाद जोड़ दिया जिसमें यह कह दिया कि सरकार जो चाहे वह रिकार्ड लोकपाल को दे या न दे। तो इसमें सरकार की मर्जी है कि क्या रिकार्ड दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। सरकार को अगर इस प्रकार का प्रावधान इस बिल में करना है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इसमें ऐसा नहीं है। यह क्लाज पढ़िए।

Shri Randeep Singh Surjewala : proviso to clause 13 says—

"Provided that the State Government may withhold the production of any record or document on grounds of security or in public interest in accordance with the provisions of the Indian Evidence Act, 1872 or the Indian Official Secrets Act, 1923"

सर, मेरा आपको कहना है कि अगर लोकपाल को पारदर्शी बनाना है, अगर लोकपाल को तह तक जाने की ताकत देनी है तो उसे रिकार्ड दिखाना चाहिए। रिकार्ड देने से कोई ऐसा तो है नहीं कि यह नैशनल सिक्योरिटी का मैटर है भारत की सुरक्षा का मामला है कि लोकपाल को दिखा दिया तो भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ऐसी बात तो है नहीं तो लोकपाल को तह तक जाने की पावर होनी चाहिए। Where is the justification by curving out an exception without public interest under which you will not permit the Lokpal to examine the record. मेरी आपसे प्रार्थना है कि लोकपाल को सारा रिकार्ड साफ दिखाएं। सरकार के पास कोई बात छिपाने के लिए नहीं है अगर लोकपाल को इस बात की इजाजत देनी है तो ऐक्सैप्शन कर्व आउट करने की क्या जरूरत है इसलिए यह इसमें से डिलीट करना चाहिए। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो आल इंडिया लोकपाल बिल की क्लाज 15 (3) (ए) और (बी) है उसमें (विघ्न)

Mr. Speaker : How much time would you take ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I would take 10 minutes more subject to your permission.

Mr. Speaker : All right, I request you to please conclude within 5 minutes.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : सर, मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार का प्रावधान आल इंडिया लोकपाल बिल की धारा 15 (3) (ए) और (बी) में भी दिया हुआ है और उस बिल पर संसद में आजकल बहस चल रही है उस बिल में भी यह पूरा अधिकार दिया हुआ है कि जिसे हिन्दुस्तान की संसद बनाने जा रही है उसमें यह पूरा अधिकार दिया हुआ है कि लोकपाल सारे सरकारी रिकार्ड को देख सकता है उसमें चाहे नेशनल सिक्योरिटी का मैटर भी हो इसलिए लोकपाल को यह पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह सारे सरकारी रिकार्ड की तह में जाकर ना-इंसाफी की बात कह सके और अपना फैसला कर सके। मैं आपका ध्यान लोकपाल बिल की धारा 15 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें power & authority in respect of contempt of it self उस आर्टिकल पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। मेरे व्यक्तिगत विचार में यह संविधान के आर्टिकल-215 के वायलेशन में है this particular clause is liable to be quashed. सर, मैं आपके पैरुजल के लिए संविधान की धारा-215 को पढ़ना चाहूंगा इसमें साफ तौर पर इस प्रकार का प्रावधान किया है—

"Every High Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself."

इस प्रकार से कन्टैम्प्ट ऑफ कोर्ट की धारा 10 और 11 में यह प्रावधान है कि हाई कोर्ट न सिर्फ अपने सबोर्डीनेट कोर्टस बल्कि ट्रिब्यूनल कोर्टस, जुडिशियल कोर्टस, क्वासी जुडिशियल अथोरिटी जो कि हाईकोर्ट के जुरीसडिक्शन में आती हैं उसकी कंटैम्पट को हाईकोर्ट इंटरटेन कर सकता है There fore, this bill is in conflict with this provision of the contempt of Court Act and also of the provision of the Constitution and this power may not survive. यह ऐसी बात है जिस पर दोबारा से चर्चा करनी चाहिये और एक्सपर्ट को दिखाना चाहिये। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस सदन के सामने कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट पेश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले बोलते हुए तो इन्होंने कहा कि लोकपाल के अधिकार में राज्य सरकार द्वारा कोई डोक्यूमेंट या कागज या सबूत नहीं देंगे। अब ये लोक पाल को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि लोकपाल के आफिस की कहीं अवमानना होती है तो लोकपाल उस संस्था के खिलाफ कंटैम्प्ट का नोटिस ले सकता है। सरकार तो लोकपाल जैसी संस्था को मजबूत बनाने जा रही है और ये उसको कमजोर करने की बात कर रहे हैं। ये वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, संसदीय प्रणाली को अच्छी तरह से जानते हैं और फिर ऐसी बात कहें तो अच्छा नहीं लगता । मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसी बात कहें जिससे पूरे प्रदेश की जनता का हित हो, फायदा हो।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर सुर्जेवाला, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बता पायेंगे कि क्या किसी स्टेट का लैजिस्लेचर ऐसा ऐक्ट बना सकता है which is contrary to the article of the Constitution.

Shri Randeep Singh Surjewala : No, Sir, no Act of any Legislature of a State or Parliament of India can over-ride the constitution. The State or Centre cannot enact any legislation which is directly in conflict with the provision of the Constitution.

Mr. Speaker : So, therefore, your statement is also confused. Please read it carefully and do not try to mis-guide the House.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : सर, मैंने बड़ा क्लीयर जवाब दिया है शायद मंत्री महोदय समझ न पाये हों I am very clear.

Mr. Speaker : Mr. Surjewala, I am also very clear about it.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I am also quite clear. मैंने यह कभी नहीं कहा कंटैप्ट ऑफ कोर्ट का जो ऐक्ट है जो हिन्दुस्तान की संसद ने बनाया है। मंत्री जी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ये समझेंगे कि हरियाणा सरकार ने बनाया है यह पूरे हिन्दुस्तान में लागू है। इसमें इस बात का प्रावधान है कि हाईकोर्ट की जुरिसडिक्शन के अन्दर सारे ट्रिब्यूनल, सारे कोर्टस, सभी सुबोर्डीनेट कोर्टस, क्वासी जुडीशियल अथोरिटी, जुडीशियल अथोरिटी हैं। इसको देखने के लिए सैक्शन 10 और 11 को आपको पढ़ना चाहिये। इसमें यह वर्णन है कि अगर कोई कोर्ट की अवमानना करेगा तो जिम्मेवारी हाई कोर्ट की है। इसलिए संविधान के अंदर आर्टिकल 226 व 227 है और इसी प्रकार से आर्टिकल 215 के अंदर कम्बाइंड पावर दी ही हैं। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह बात ठीक नहीं है। न ही यह बात लोकपाल बिल के हित में है। मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की किसी भी कोर्ट को अपनी कोर्ट की अवमानना के खिलाफ ऐक्शन लेने का हक है जैसे कि सैक्शन 9, 10 कंटैप्ट ऑफ कोर्ट ऐक्ट है। हर कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर उसके आदेश की अवमानना हो तो, उसका वह कोर्ट नोटिस ले सकती है। इसमें इनको शक नहीं होना चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, सैक्शन-10 में इनको पढ़ना चाहिए। इसी बात का ख्याल रखते हुए लोकपाल को हिन्दुस्तान की संसद ने कंटैप्ट पावर नहीं दी। मेरे ख्याल से मंत्री महोदय, ने शायद यह बिल पढ़ा नहीं है। धारा-21 में एक भिन्न प्रकार का प्रोविजन रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति लोकपाल की अवमानना करे In addition to the contempt jurisdiction, the Lokpal himself can take action. इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। मैं सरकार को यही सुझाव देने वाला था कि अगर आपने लोकपाल की अवमानना के लिए लोकपाल को ही कोई अख्तियार देना है तो इस प्रकार का अख्तियार न दीजिए कि कल को * * * * * मिले । लेकिन इस तरह का अख्तियार दीजिए कि वह अपनी रक्षा खुद कर सके।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, श्री सुर्जेवाला जी ने जो लोकपाल के बारे में जो शब्द कहा है यह शब्द सदन की कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए। Surjewala ji, I request you to please take your seat.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहा था कि आपको 5 मिनट बोलने के लिए मिलेंगे। जिन में से 4 मिनट तो माननीय मंत्री जी ले चुके हैं। I am not saying anything against the Govt. I am saying something which is meaningful. I am not criticising the govt. इस बिल में जो डिफैक्टस हैं, मैं उन्हीं को प्वाएंट आउट कर रहा हूं। आपने तो कहा था कि बोलने के लिए खुला समय दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह लोकपाल बिल एक ऐसा बिल है, जो कि आम नागरिक के हितों से जुड़ा हुआ है। मैं सरकार को मीनिंगफुल सुझाव देना चाहता हूं लेकिन मुझे बोलने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपका सुझाव बड़ा मीनिंगफुल था। You are most welcome. लेकिन जब आप यह कहते हैं that it is contrary to the Articles of the Constitution, then either establish your fact or withdraw your words.

Shri Randeep Singh Surjewala : I would not withdraw my words. It is a correct fact that this Bill is not based on the provisions of the Constitution.

Mr. Speaker : Then tell the House how it is contrary to the Articles of the Constitution.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने की इजाजत ही नहीं दे रहे हैं। मेरी आवाज को दबाया जा रहा है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, श्री सुर्जेवाला जी बहुत पढ़े-लिखे हैं, जवान हैं। राजनीतिक तौर पर उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इस सदन में प्रवेश किया है। मैं बताना चाहता हूं

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

कि हमारी पार्टी ने जो वायदा किया था कि हरियाणा में भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। जो अनाप-शनाप तरीकों से राजनीतिक लोग व अधिकारीगण धन कमाने में लगे हुए हैं, उस पर अंकुश लगाएंगे। मैं सुर्जेवाला जी से उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले तो उनको सरकार को अपनी पार्टी से ऊपर उठकर मुबारिकबाद देनी चाहिए। हम हरियाणा में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जनता के सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर जा रहे हैं जिन लोगों ने हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, जिन लोगों ने गलत तरीके से हरियाणा के अंदर धन कमाया है, चाहे वे अधिकारी हों या राजनेता हों, आने वाले दिनों में हम हरियाणा की जनता को इन लोगों पर भ्रष्टाचार का अंकुश लगाने के लिए हक प्रदान करने जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार में लिप्त उन व्यक्तियों के मन में डर बैठ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाएंट ऑफ ऑर्डर यह था कि सुर्जेवाला जी को पार्टी के निजी हितों से ऊपर उठकर इस सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। इसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसके लिए सिलैक्ट कमेटी बनी थी जिसमें सभी पार्टियों के सदस्य थे। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं हमने इनके उन सभी सुझावों को माना है लेकिन फिर भी मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कटाक्ष की बजाय यदि कोई अच्छे सुझाव और हों तो वह दें ताकि हम इनकी पार्टी के नेताओं की काली करतूतों को हरियाणा प्रान्त की जनता के सामने ला सकें।

Mr. Speaker : I think you have taken enough time. मि० सुर्जेवाला आपने 12 बज कर 7 मिनट पर बोलना शुरू किया था और इस समय 12 बज कर 50 मिनट हो चुके हैं अगर आप इनट्रप्शन के पांच मिनट निकाल भी दें तो आप 40 मिनट बोल चुके हैं। There fore, I request you to please conclude within two minutes.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर साहब, ऐसा है कि आप मुझे पांच मिनट का समय और दे दें। अध्यक्ष महोदय, एक और बात कंटैप्ट पावर की है। वह सारी पावर हाई कोर्ट के सिटिंग जज के पास है और आप रिटायर्ड जज लगा देंगे तो क्या यह संविधान की अवमानना नहीं होगी ? क्योंकि जो रिटायर्ड जज है वह वही पावर ऐक्सरसाईज करेगा जो सिटिंग जज करेगा। मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि इस सरकार का किसी मीनिंगफुल सजेशन को मानने का विचार नहीं है। जो ऑल इंडिया लोकपाल बिल है उसमें इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लोकपाल की अवमानना करेगा तो वह अपनी सुरक्षा कर सकेगा परन्तु The Constitutional provisions have not been violated. Even the Parliament could have enacted what they have enacted but they delibrately did not enact. They do not want to enact and that is why they have kept different provisions. मैं आपकी जानकारी के लिए यह पढ़ देता हूं। (विघ्न) अगर मंत्री महोदय, ने यह फैसला कर लिया है कि मुझे नहीं बोलने देना है तो वह अलग बात है, मैं बैठ जाता हूं। ऑल इंडिया लोकपाल बिल की धारा-21 में इस प्रकार का प्रावधान है। यह इस बिल में भी किया जाना चाहिए।

> "Whoever intentionally offers any insult or causes any interruptions, to the Lokpal while the Lokpal or any of its Members is making any verification or conducting any inquiry under this Act, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine or with both."

स्पीकर साहब, ऐसी अवमानना हो तो इस प्रकार का प्रावधान इस बिल में रखें। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। इसी प्रकार से मैं इस बिल की क्लाज़ 18 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस क्लाज़

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला

18 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सर्विसिज को लोकपाल यूटीलाइज कर सकता है। इसकी दो लाईनें मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं इसमें लिखा है-

"Without prejudice to the provisions of sub-section (1) of Section 17, the Lokpal may, in consultation with the State Government,....."

इसका मतलब यह हुआ कि सरकार से पूछे बगैर लोकपाल किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाएं नहीं ले सकता। यह एक ऐसा ड्रैकोनियन प्रोविजन है जो यह साबित करता है कि सरकार लोकपाल को एक जेबी लोकपाल बनाना चाहती है। सरकार लोकपाल को जिस सरकारी कर्मचारी की सर्विस देना चाहे, वह दे और नहीं देना चाहे तो न दे। Why should there be the words "in consultation with the State Government". Mr. Speaker Sir, you are an educationist. You are a person who has considerable experience of public life. क्योंकि सरकार की जो बात यहां पर पसंद नहीं आएगी तो वहां सरकारी कर्मचारी की सर्विस लोकपाल को नहीं देगी। यदि इस प्रकार से लोकपाल लगेगा तो वह किसी बात की तपतीश ही नहीं कर पाएगा। वह सिर्फ उन बातों की तपतीश कर पाएगा जो सरकार चाहेगी तो ऐसे लोकपाल को लगाने का क्या औचित्य है। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि अगर सरकार निर्भीक, निडर और स्वतंत्र लोकपाल लगाना चाहती है तो ये वर्डज यहां से काट दिए जाएं और लोकपाल को इस बात के पूरे अख्तियार दिए जाएं कि उसे जिस किसी कर्मचारी की सर्विसिज चाहिए उसी कर्मचारी की सर्विसिज वह ले सके। इसके साथ-साथ मेरा एक और सुझाव है कि आल इंडिया लोकपाल बिल की सैक्शन-8 की सब सैक्शन 3 और सब-सैक्शन 4 में जो गाईडैंस दी गई हैं आप वह गाईडैंस लें। राम बिलास शर्मा जी बैठे नहीं हैं अगर वे सदन में बैठे होते तो कहते कि हमने सारे लोकपाल बिल स्टडी किए हैं। आल इंडिया लोकपाल बिल भी स्टडी किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष उसमें से दो लाइनें पढ़ कर सुनाता हूं। इस प्रकार की अमैंडमैंट इस बिल में भी करनी चाहिए। आल इंडिया लोकपाल बिल में एक बहुत ही बढ़िया बात लोकपाल को निर्भीक, निडर और स्वतंत्र बनाने को कही गई है वह इस प्रकार से है।

"8(3) The terms and conditions of service of the officers and employees referred to in sub-section (1) and of the officers, employees, agencies and persons referred to in sub-section (2) (including such special conditions as may be considered necessary for enabling them to act without fear in the discharge of their functions) shall be such as the President may determine, from time to time, in consultation with the Lokpal.

8(4) In the discharge of their functions under this Act, the officers and employees referred to in sub-section (1) and the officers, employees, agencies and persons referred to in sub-section (2) shall be subject to the exclusive administrative control and direction of the Lokpal."

सर, इस प्रकार का प्रावधान जब तक नहीं होगा, तब तक क्या वह लोकपाल इन्डीपैंडेंट हो सकेगा ? ऐसे लोकपाल बिल को लाने का क्या औचित्य होगा। आप लोकपाल बिल सिर्फ 1977 से 1997 के लिए लाना चाहते हैं। 1972 से 1977 तक के लिए नहीं लाना चाहते उससे पहले के लिए नहीं लाना चाहते। मैंने इस सारे लोकपाल बिल को पढ़ कर देखा है। इसकी अलग-अलग धाराओं को

पढ़ा है। जिनकी मैंने चर्चा की है। इनको पढ़कर तो मेरा यह विचार है कि एक स्वतंत्र, निर्भीक, और निडर लोकपाल को लाने के लिए इस बिल द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है। यह तो एक जेबी लोकपाल लाने के लिए व्यवस्था की गई है ताकि जो अपने राजनीतिक विरोधी हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जा सके। इसलिए जहां मैं लोकपाल बिल की तारीफ करता हूं उसके साथ ही मैं सरकार से आपके माध्यम से यह प्रार्थना करूंगा कि इसको आप री-कन्सीडर कीजिए इस शक्ल में अगर यह बिल पास किया तो आप एक ऐसा हथियार एक्सीसिव गवर्नमैंट को दे जायेंगे जिससे वह अपने राजनीतिक विरोधियों को मारा करेगी और लोकपाल की इन्डीपैंडेंस खत्म हो जायेगी। धन्यवाद।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, एक आध बात को छोड़कर बाकी सभी अमैंडमैंटस पर सब सहमत हो गए हैं। मेरा अनुरोध है कि जब तक इस बिल की अमैंडमैंट तैयार हो, तब तक दूसरे बिलों को ले लिया जाये। (विघ्न) अगर इसी पर बोलना है तो हमें कोई ऐतराज नहीं।

श्री मनीराम, डबवाली (अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जो बात कहूंगा क्या वह हमारी बात मानी जायेगी, जो हम सुझाव देंगे उसके बारे में आप हमें यकीन दिलायें कि हमारी बात मानी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : मनीराम जी, पहले तो आप लोकपाल बिल पर सुझाव दें।

श्री मनीराम : स्पीकर साहब, मैं लोकपाल बिल पर सुझाव ही दे रहा हूं और क्या मैं यहां पर बंब चला रहा हूं। (हंसी) जब शराब बंदी की जिक्र आया था तो हमने कहा था कि ठीक है कि यहां पर शराब बंदी होनी चाहिए। उस बारे हमने समर्थन दिया है। इसको अगर सही ढंग से लागू ही नहीं किया जायेगा तो फिर हमारा समर्थन देने का या सुझाव देने का फायदा ही क्या है ? मैं इस विधेयक के बारे में कहना चाहता हूं कि इस समय यहां पर लीडर ऑफ दी अपोजीशन सदन में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मनीराम जी, जो लोकपाल बिल के लिए सिलैक्ट कमेटी बनी थी उस कमेटी के माननीय सदस्यों में से एक आप भी तो थे।

श्री मनीराम : सदस्य तो थे लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उस दिन सांगवान साहब हमें लास्ट में लेकर गए तब तक हमें दूसरी जगह पर बैठाए रखा। इन्होंने इस कमेटी में क्या किया हमें तो पता ही नहीं कि लोकपाल बिल होता ही क्या है ? हमें तो सांगवान जी ने इस बारे में अंधेरे में रखा।

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब आप यह बताएं कि जब डिस्कशन चल रही थी तो आप इनको अंधेरे में कहां ले गए। (हंसी)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मेरी और इनकी सीट के बीच में चार मैम्बर और बैठे थे। पता नहीं इनको कैसे डाउट हो गया।

श्री मनीराम : स्पीकर साहब, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। हमें तो पता ही नहीं लगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं समता पार्टी के सभी मैम्बरों की इज्जत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने इसको बोलने के लिए तो कह दिया लेकिन जो ये सामने बैठे हैं इन सब की पढ़ाई-लिखाई की डिग्री भी शामिल करें तो इन सब की मिलाकर एक अकेली एल०एल०बी० डिग्री भी नहीं मिलेगी। आप इनसे पूछिये की लोकपाल के माथने क्या होते हैं। इस में कौन कौन सी धाराएं हैं, इनको कुछ पता ही नहीं।

श्री मनीराम : लोकपाल बिल के मायने तो श्री बंसीलाल जी अच्छी तरह से जानते हैं अगर इनकी हिम्मत है तो जब से हरियाणा बना है तब से यानी 1966 से लागू करवा दो, क्या दिक्कत है। अगर वाकई आप दूध के धूले हुए हो तो क्या तकलीफ है ? (विघ्न) आप इसे पीछे से लागू करें इसमें क्या 13.00 बजे दिक्कत है ? लोकपाल बिल ये ले कर आए हैं और इस पर चर्चा हुई है और इस में कई सुझाव भी आए हैं। हमारी पार्टी के श्री रामपाल माजरा जी ने बहुत अच्छे सुझाव इस बिल के बारे में दिये हैं मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन सुझावों को मान लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर हमारे सुझाव माने ही नहीं जाते तो हमारे बोलने का फायदा ही क्या है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि लीडर ऑफ दि ओपोजीशन हाउस में न हों और दूसरी पार्टी के लीडर भी न हों तो इस डिस्कशन के कोई मायने नहीं रह जायेंगे। 1966 से जब से हरियाणा प्रदेश बना है तभी से इस बिल को लागू मान कर चलें तो इसमें लीडर ऑफ दि हाउस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोक पाल की नियुक्ति के बारे में हाई कोर्ट के जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति 5 साल या 10 साल के लिए चाहे कर लें लेकिन एज फैक्टर को भी ध्यान में रखें। स्पीकर साहब, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा अपना स्थान ग्रहण करता हूं। (विघ्न एवं शोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : अध्यक्ष महोदय, इस समय लोकपाल विधेयक पर जनरल डिस्कशन चल रही है हम इसे फर्स्ट स्टेज पर कंसिडेशन भी कह सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि बिल की सैकेण्ड स्टेज पर जब क्लॉज़ बाई क्लाज़ आप रीडिंग लें तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखने की कृपा करें। हमने कोशिश की है कि इस बिल को एकमत से पारित किया जाए लेकिन बहुत से मुद्दों पर समता पार्टी के लोगों की रिज़र्वेशन और हमारी भी पार्टी की रिज़र्वेशन है। मैं यह भी चाहूंगा कि जब आप क्लॉज बाई क्लाज़ इस बिल को लें उस वक्त भी अगर कोई सुझाव हो तो उस पर विचार करें। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से इसे लागू कर सकते हैं। दूसरी बात मैं लोकपाल विधेयक के बारे यह कहना चाहूंगा कि पिछले सैशन में यह बिल सदन के अन्दर प्रस्तुत किया गया था। इस बिल पर उस वक्त यह सहमति हुई थी कि इस विधेयक पर ज्यादा गहराई से अध्ययन करने के लिए और दूसरे प्रान्तों में जिनमें लोकपाल है उनमें किस किस्म के विधेयक लोक पाल के बारे में हैं, उनका अध्ययन करने के लिए यह जरूरी है कि कुछ समय मिले। इसी बात के तहत इस सदन के आदरणीय सदस्यों की एक सिलैक्ट कमेटी का गठन किया गया था। सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट मैंने देखी है। पिछले दो अढ़ाई महीने के अर्से में इस सिलैक्ट कमेटी की चार मीटिंगें हुई। इन चार मीटिंगों में से दो मीटिंगों में तो कमेटी का कोरम ही पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद मैं यह कह सकता हूं कि केवल दो मीटिंगों में ही इस विधेयक के बारे फैसला किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सिलैक्ट कमेटी का एक तरीका होता है और कमेटी को यह अख्तियार दिया जाता है, बाकायदा उसको एडवर्टाईज़ किया जाता है। अखबारों और समाचार पत्रों के माध्यम से तथा टैलिविज़न और रेडियो के माध्यम से जनरल पब्लिक की भी इसमें ओपीनियन ली जाती है। अध्यक्ष महोदय, जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, वॉलेन्टरी संस्थाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट बार ऐसासिएशन, हाई कोर्ट बार ऐसीसिएशन, हाई-कोर्ट बार कौंसिल है और जो रिटायर्ड जजिज़ हैं तथा हिन्दुस्तान के ज्यूरिस्ट हैं उनसे इस बारे में विचार लिए जाते लेकिन जिस तरह से सिलैक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है मुझे नहीं लगता है कि इस बारे में ठीक तरह से ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रान्त के अन्दर पिछले दिनों जिस तरह से भ्रष्टाचार ने अपने हाथ-पैर फैलाये, आज जो राजनैतिक प्रणाली चल रही है, प्रजातान्त्रिक प्रणाली चल रही है उसको देख कर लोगों में विचार आने लगा है उनको शक होने लगा है कि उन्होंने कैसे लोगों को वोट देकर भेजा है ? वे अपनी तरफ से एक अच्छे आदमी को एम०एल०ए० बना कर भेजें और वह 6 महीने में ही अपना रंग दिखाने लग जाता है। वे

सोचते हैं कि हमने कैसे आदमी को बिठाया है सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जिसको भी चुनकर भेजते हैं उसकी कारगुजारियां 6 महीने में ही सामने आने लग जाती है। ऐसी बात सुनकर हमें शर्म आती है। हम विधायक लोग प्रजातन्त्र को अपना रोजगार का माध्यम बना लें, हम मुख्यमंत्री या मंत्री बन जाएं तो हम सबसे पहले अपने रिशतेदारों का अपने घर वालों का पेट भरने की सोचते हैं लेकिन जिन एक लाख लोगों की वोट लेकर आते हैं उस बारे में भूल जाते हैं। ऐसी प्रथा से हम जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं, हरियाणा का नाम बदनाम कर रहे हैं। आज इस प्रथा के कारण लोगों के मन में यह बात आ रही है कि अब यहां पर राजनीतिज्ञों की खरीदफरोख्त की जाती है। कितने ही यहां पर आया राम गया राम हैं हर मुख्यमंत्री की कोशिश रहती है कि वह किसी तरह से अपनी सरकार बनाए।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल कहते थे कि मुझे अकेले ही मुख्यमंत्री बना दो मैं अकेला ही सरकार चला लूंगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आया राम गया राम की प्रवृति बढ़ती जा रही है। इसको जन्म किस ने दिया। इसको जन्म उन शासन कर्ताओं ने दिया जो अपने शासन काल में अपने काम करवा गए और उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो कुछ कम सीटें मिलीं। उन्होंने दोबारा से अपनी सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त की। मैं इस बारे में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उन्होंने प्रजातान्त्रिक ढांचे के साथ बड़ा भारी अन्याय किया है। लोगों के मन में तो अब यहां तक बात आई हुई है कि एक ऐसा समय भी आ सकता है जब लोग वोटिंग से एक दिन पहले अपने गांव के बाहर जत्था बना करके खड़े हो जाएंगे और वे उन वोटिंग करवाने आए गवर्नमैंट ऑफिशियल्ज से यह कहेंगे कि भाई माफ करो हम तो किसी को भी वोट डालना नहीं चाहते। इसका मतलब यह होगा कि उस दिन हरियाणा के लोगों के सब्र का प्याला लबरेज हो चुका होगा और लोगों का जो आज विश्वास प्रजातंत्र के अंदर है, वह हिल जाएगा। स्पीकर सर, अगर ऐसा हो गया तो यह उन नेताओं के साथ हम सबसे बड़ा धोखा करेंगे, गुनाह करेंगे जिन्होंने 90 साल के संघर्ष के बाद 1857 से लेकर 1947 तक देश को आजाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ी तथा उस देश के अंदर प्रजातंत्र को बहाल करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया और अंग्रेजों की काल कोठरी में अपनी सारी जवानी बिता दी। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा ? हरियाणा की पौने दो करोड़ जनता तो इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होगी बल्कि इसके लिए हरियाणा का वह नेतृत्व जिम्मेदार होगा जिन्होंने हरियाणा में प्रजातंत्र के नाम पर भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। भ्रष्टाचार यही तक सीमित नहीं है। मैं नहीं मानता कि अगर नौकरी बिक गयी तो भ्रष्टाचार हो गया। किसी छोटे-मोटे गरीब आदमी से पैसे लेने से उसको नौकरी देने से ही भ्रष्टाचार नहीं है बल्कि मैं तो राजनैतिक भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं जिसको कर्ब करने के लिए इस लोक पाल बिल का लाना निहायत ही जरूरी है। लेकिन यह बिल भी अगर शराबबंदी की नीति के अनुसार हरियाणा में ऐक्सपैरीमैंट ही बना रहा तो रामविलास जी यह आपकी पार्टी और हविपा के लिए बहुत ही अनफोरचुनेट रहेगा। हरियाणा में आज लोग और हरियाणा हर एक राजनैतिक दल इस बात का समर्थक है कि पूर्णतः शराबबंदी हो।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के नेता श्री भजनलाल जी ने तो यह कहा था कि अगर हमारी सरकार आयी तो हम प्रोहिबिशन को हटा देंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : वह नेता ही हट गया।

श्री बंसीलाल : कहां हट गया। भजन लाल जी ने एक पब्लिक मीटिंग में यह बयान दिया था कि अगर हमारा राज आ गया तो हम प्रोहिबिशन को हटा देंगे। अब आप क्या उसकी भी चर्चा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : उस समय शायद बीरेन्द्र सिंह जी कांग्रेस में नहीं होंगे जब यह बयान दिया गया होगा।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जो बीरेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरह से नहीं हुई। हमने झज्जर का उपचुनाव शराबबंदी के बाद ही जीता है और कान्ता शराबबंदी की सबसे बड़ी सफलता है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं अपने भाई राम विलास जी से कहूंगा कि कई चीजों के बारे में आप भ्रम पैदा न करें। भजन लाल जी भी जब मुख्य मंत्री थे तो किसी एम०एल०ए० ने उस समय कहा था कि कांग्रेस जीते या न जीते लेकिन मैं जरूर जीतूंगा। मैंने कहा जब कांग्रेस हारेगी तो आप कैसे जीतोगे। आज 60 एम०एल०एज० में से केवल 9 ही आये हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि उस उपचुनाव को अब 6 महीने हो गए हैं और अब सारी दुनिया बदल गयी है। अब आप किसी और उपचुनाव करवाने की गलती मत कर लेना वरना नतीजे उल्टे ही निकलेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, अगर चौधरी बीरेन्द्र सिंह का यह मानना है कि अब झज्जर उपचुनाव हुए 6 महीने हो गए हैं और अब दुनिया बदल गयी है तो मैं इनसे कहूंगा कि ये अपनी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी से इस्तीफा दिलवाकर दोबारा चुनाव लड़ने को कहें तो पता चल जाएगा कि दुनिया बदल गयी है या नहीं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मनीराम जी, जब आपको बोलने के लिए समय दिया जाता है तब आप बोलते नहीं, अब आप बीच-बीच में बोलते रहते हो। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं कह रहा था कि इस बिल को लाने की बहुत आवश्यकता है और इसका पास होना भी बड़ा जरूरी है लेकिन यह शराब बंदी की तरह आपकी बदनामी का बायस न बन जाए इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं क्योंकि अगर राजनीतिक व्यवस्था जो प्रजातंत्र की है। प्रजातंत्र की व्यवस्था में अगर लोगों का विश्वास पुनः बहाल करना है और जनता में यह विश्वास पैदा करना है कि एम०एल०ए० केवल हमारे लिए है वह अपने बेटे-बेटियों या अपने परिवार के लिए नहीं है यह विश्वास बहाल करना है तो लोकपाल बिल अहम भूमिका अदा कर सकता है। उस विश्वास की प्राप्ति अगर हरियाणा के लोगों को नहीं होगी तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को बड़ा भारी धोखा फिर मिलेगा। आज हरियाणा के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवानी है इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई गरीब आदमी भ्रष्टाचार को जन्म नहीं देता। कोई दफ्तर में बैठा चपरासी या क्लर्क भ्रष्टाचार को जन्म नहीं देता। जो सबसे ऊपर बैठता है चाहे वह नौकरशाह हो, चाहे प्रजातांत्रिक व्यवस्था मे पौलिटिकल पार्टी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वह सबसे बड़ा उच्चाधिकारी हो, चाहे पुलिस का अधिकारी हो। अगर हम सिपाही पर यह इल्जाम लगाते हैं कि वह ट्रक को रोक कर 20 रुपये लेता है तो वह सिपाही भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्ट व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ हमें डंडा उठाना है। मैंने इस सदन में एक बात कही थी कि इस दुनियां में ऐसे भी देश हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया है। एक देश है जिसमे 1962 के बाद अपने कर्मचारियों के ग्रेड रिवाइज नहीं किए हैं आज 35 साल हो गए हैं आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे चल रहा है ? सरकार ने खुली छूट दी हुई है कि किसी को बगैर तंग करे कुछ देता है तो ले लो। आज होता यह है कि राजनेताओं के पास कोई गरीब आदमी चलकर आता है और कहता है कि साहब पटवारी इस काम के 300 रुपये मांगता है या यह कहता है कि उसने 300 रुपये ले लिए तो वह राजनेता कहता है कि यहां आने में तेरे भाड़े में 300 रुपये खर्च हो गए होंगे वहीं से काम चला लेना था। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : ऑन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर, स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि बात उन्होंने बिल्कुल सही कही लेकिन कृपा करके उस नेता का नाम बताएं कि वह नेता कौन था जिसने यह बात कही ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी नेता का नाम लेने की नीयत से यह बात नहीं कही। आप सोचने और समझने की कृपा करें कि आपको इस व्यवस्था से लड़ना है। हरियाणा का हर वह व्यक्ति जो अपने को लोगों का प्रतिनिधि कहता है, उसको लड़ना है। यह एक आदमी की बात नहीं है यह बात उन सभी लोगों की है जो वोट लेकर उनको भूल जाते हैं और उनको ऊपर वाले की मेहरबानी पर छोड़ देते हैं कि चाहे मरते रहो, चाहे जिंदा रहो। इस व्यवस्था को बदलने की बात है। भ्रष्टाचार हमारी जड़ों में घुस गया है। हमें हरियाणा की जनता को इंसाफ देना है और अगर जनता इंसाफ से दूर रही तो उनका विश्वास प्रजातंत्र से खत्म हो जाएगा और उनका विश्वास खत्म हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हम उन बड़े-बड़े नेताओं की होगी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय, आपकी होगी। प्रजातंत्र में विश्वास तब बढ़ता है जब चौटाला जी जैसे व्यक्ति बार-बार बोलने पर भी सदन में रहें। मैं पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर से भी कहूंगा कि वे सुनने का धैर्य रखें। इसी प्रकार भजन लाल जी ने भी कुछ नहीं किया वे बोले और तुरंत उनके खिलाफ रैजोल्यूशन आया। प्रजातंत्र में जो मान्यताएं हैं, जो परम्पराएं हैं उनको ज्यादा मजबूती से लागू किया जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। आदरणीय चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की हम सभी इज्जत करते हैं। उनका सदन में बैठने का बड़ा अनुभव है लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि उन्होंने अभी अपनी बात दोहराते हुए बार-बार भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही है (विघ्न) स्पीकर सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा तो चौधरी बीरेन्द्र सिंह कौन सी पार्टी में थे और इनके नेता कौन थे। मुझे आज भी दुख है कि आज भी चौधरी बीरेन्द्र सिंह, भजन लाल जी को डिफैंड कर रहे हैं कि चौधरी भजन लाल जी क्या गलत कह रहे थे। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने अपनी आंखों से देखा कि चौधरी भजन लाल जी इस माननीय सदन में हमारे दो माननीय सदस्यों को खरीदने की बात कह रहे थे और अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हमारे सदस्यों को धमका रहे थे। He always casts aspertion on the Chair, Sir. चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी बताईये कि इन सदस्यों का क्या कसूर था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी तो एक व्यवस्था की बात कह रहे थे उनका किसी से मोह नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : मेरी व्याख्या मेरी तकलीफ यह है कि मेरे ये साथी कहते हैं कि you are soft towards Shri Bansi Lal and on the other hand, I am defending Ch. Bhajan Lal and Sh. Om Parkash Chautala both. कोई सही बात कहे तो ठीक है। ये पार्टी के हिसाब से सोचते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि किस तरीके से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को और चौधरी भजन लाल जी को निकालने का रेजोल्यूशन दिया गया। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था की बात तो यह हो गई है कि पिछले 5-6 साल से इस देश के अन्दर घोटालों का जो बाजार लगा है उस बाजार ने तो दुनिया के इतिहास में हिन्दुस्तान की छवि को धूमिल किया है उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता का हाथ हो चाहे * * * * * जी का हो जो आज भी हवाला कांड में फंसे हुए हैं (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, चौधरी बीरेन्द्र सिंह एक पार्लियामेंटेरियन हैं। पार्लियामेंटेरियन के हिसाब से ये लोक सभा और विधान सभा की कई कमेटियों में रह चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ट नेता हैं। श्री * * * * * हवाला कांड में नहीं हैं उनको तो श्री नरसिम्हा राव जी ने जानबूझकर फंसाया था। सी०बी०आई० की रिपोर्ट है जिसमें श्री * * * * * जी का नाम नहीं है (विघ्न) आप सुनिये तो सही। स्पीकर सर, श्री * * * * *जी उस समय लोक सभा के सदस्य थे और श्री मदन लाल खुराना उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे जब यह बात आई There and then they resigned from their posts. (Interruptions.) उन्होंने यह एलान किया था कि जब तक इस जांच की रिपोर्ट नहीं आयेगी, हम निर्दोष साबित नहीं होंगे तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। श्री * * * * * जी ने पार्टी के आग्रह करने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ा और सी०बी०आई० की जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह पाया गया है कि श्री * * * * * और वी०सी० शुक्ल के खिलाफ चार्ज शीट देने के लिए या चालान करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें और एड करता हूं कि इनके सारे नेता हवाला कांड में फंसे हुए हैं। इनके एक नेता श्री कमल नाथ ने जो हवाला कांड में फंसे हुए हैं, अपनी घर वाली से लोक सभा की सीट से त्याग पत्र दिला कर खुद चुनाव लड़ा था, खुद टिकट लेकर चुनाव लड़ा और हार गया।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी किसी की व्यक्तिगत रूप से चर्चा न करें। इनका जीवन पाक-साफ है, यह हम भी कहते हैं। लेकिन जिस पार्टी की ये बात कर रहे हैं, वह पार्टी राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। पिछले दिनों दिल्ली में 'एच०के०एल० भगत की चारपाई कल्पनाथ के साथ' एक रुपए में, यह बात कहते हुए अखबार बिक रहे थे। अध्यक्ष महोदय वहां तो अखबार इसी नाम से बिकते हैं यानि की कांग्रेस का चुनाव निशान तिहाड़ जेल का दरवाजा बनने जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री रहा हुआ आदमी, अखिल भारतीय पार्टी का अध्यक्ष रहा हुआ आदमी, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे कि मेरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के बंद कमरे में नहीं बल्कि पटियाला हाउस में की जाए, तथा विज्ञान भवन में वे पैरवी मांगे, अच्छी बात नहीं है। उस पार्टी की बीरेन्द्र सिंह जी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन ये बेचारे तो ऊपर-ऊपर से ही बोल रहे हैं, परन्तु फिर भी बात जम नहीं रही है। (हंसी)

श्री बंसी लाल : भीतरले में इनके भी नहीं जम रही है। (हंसी)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बैठक का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : अगर इस सदन की सहमति हो तो बैठक का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

---

*चेयर के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुरारम्भ)

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए (शोर)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री जगन नाथ : स्पीकर सर, हम तो बोलते हैं 'जय शिया राम' लेकिन ये बोलते हैं 'जय मुख राम' (हंसी)

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस भी 'सी' से शुरु होती है और 'क्रशन' भी 'सी' से शुरू होती है। कांग्रेस और क्रशन एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। (हंसी)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि दोनों पार्टियों की गठबंधन की सरकार एक दूसरी पार्टी की मदद करती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ बी०जे०पी० और हरियाणा विकास पार्टी के ही मुख्य मंत्री नहीं हैं, बल्कि हमारे, इस सदन के तथा हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री भी हैं। खुराना जी पता नहीं इनके बारे में क्या बोल गए, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। (हंसी)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा बोलने की तो बीरेन्द्र सिंह जी की कला है। खुराना जी हमारे मुख्य मंत्री जी के बारे में कुछ नहीं बोल गए। वे तो इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पीछे मिलिटरी के जितने भी जनरल रिटायर हुए हैं, वे सभी बी०जे०पी०ज्वाईन कर चुके हैं। कुछ दिन पहले अभी जब श्री खुराना जी यहां आए तो मिलिटरी के जनरल्ज का नाम लेकर वे कहते थे कि-चौधरी बंसी लाल जी का डिफैंस मिनिस्टर के रूप में एक बहुत ही अच्छा नजरिया था तथा उनके काम से डिफैंस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से वे इनकी प्रशंसा ही कर रहे थे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि जब-जब देश में बी०जे०पी० कांग्रेस पर करारी मार मारती है, तब-तब चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी इसका बदला निकालने की कोशिश करते हैं। कल रात ही यह फैसला हुआ कि यू०पी० में बी०जे०पी० और बी०एस०पी० की सरकार बनने जा रही है और मायावती जी मुख्य मंत्री बनेंगी तथा 6 महीने के बाद कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए कांग्रेसियों की नींद हराम हो रही है। (हंसी)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी कल मायावती की ओथ के अवसर पर लखनऊ जाने वाले हैं। (हंसी)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी लोकपाल विधेयक के परिप्रेक्ष्य में प्रजातंत्र पर, बहुत ही मौलिक मुद्दे पर बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मित्र प्रजातंत्र की बात करें तो बात जमती नहीं है। क्योंकि पिछले 50 सालों के राजनीतिक इतिहास में प्रजातंत्र को जिस तरह से फाड़कर चीर-चीर किया गया है, उसके लिए कोई जज 4 शब्द भी नहीं लिख सकता। एक अयोध्या की बात को लेकर 4 प्रांतों की चुनी हुई सरकारें जिनका किसी का 4 साल, किसी का 5 साल तथा किसी का 3-1/2 साल पीरियड बाकी था, को किस तरह से तहस-नहस कर दिया गया। लोगों के जज़बात को किस तरह से बेरहमी से कुचला गया और किस तरह से गंगा यमुना के किनारे ब्रह्म दत्त द्विवेदी की हत्या की गई, आपकी पार्टी के नेता जोगिन्द्र सिंह की हत्या की गई ? किस प्रकार का गदर मचा हुआ था ?

[श्री राम बिलास शर्मा]

वहां पर क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दल है, इसलिए हमने एक प्रजातांत्रिक रास्ता निकाला है। अब इनको तकलीफ यह हो रही है कि हमने मायावती के पींघी कैसे बांधी। ये मेरे भाई दलितों के नाम पर राज करते रहे हैं। हरिजनों के नाम पर राज करते हैं। (विघ्न) करतार देवी जी ये आपको तरकारी बनाकर खा जाएंगे आप इनके पक्ष में मत बोलें। हरिजनों का कल्याण तो हमने किया है। दलितों को तो हमने गले मे लगाया है। जिस पार्टी के 60 एम०एल०एज० हों और हमारी पार्टी के 200 एम०एल०एज० हों उसका नेतृत्व स्वीकार करना एक बहुत बड़ी बात है। यह कलेजे की बात है। जिस तरह से दलितों को हमने गले से लगाया, उसी तरह से हमने उनकी बात मानी है। (शोर)

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि हविपा और भाजपा की सरकार में हम सारे चीफ मिनिस्टर हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी है। बीरेन्द्र सिंह जी आपको यह बात कहने की जरूरत नहीं है वहां भाजपा के किसी सदस्य को भी 6 महीने के बाद चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा हमारी सांझा सरकार में सारे चीफ मिनिस्टर हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं लोकपाल विधेयक पर बोल रहा हूं। लोकपाल विधेयक इसलिए लाने की जरूरत पड़ी क्योंकि सारी व्यवस्था खराब होती जा रही है। आज ये मायावती को राखी बांधने की बात करते हैं। जब ये उनको चार महीने राखी बांध कर फिर तोड़ कर चले गए थे, तब कहां गई थी बी०जे०पी०।

श्री राम बिलास शर्मा : भाण्डे कई बार खड़कते हैं, परन्तु आपकी तरह टूटते नहीं हैं वह तो हमारी आपस की बात है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : पहले आप कांग्रेस पार्टी छोड़ कर कांग्रेस तिवाड़ी में चले गए और फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए।

श्री बीरेन्द्र सिंह : हमने राखी-वाखी किसी को नहीं बांधी।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने राखी नहीं बांधी ये तो सूत का गठड़ उठा कर ले गए थे। (हंसी)

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि राखी तोड़ कर ले गए, इस बात पर मुझे पंडित लखमी चन्द की दो लाईनें कहनी हैं कि देवर भाभी लड़े यश ओसी लड़ाई ना सै। (हंसी)

Mr. Speaker : Mr. Birender Singh Ji, please conclude.

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, लोक पाल विधेयक से प्रजातंत्र के अन्दर एक स्वस्थ वातावरण बनेगा। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार को ही राजनीति मानते हैं उनसे लड़ने का मौका मिलेगा। जिस गरीब आदमी से दो लाख रुपए रिश्वत के लिए गए, उस गरीब आदमी को रिश्वत लेने वाले के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिलेगा। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक ढांचे में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अन्दर जगह नहीं है, इस नौटंकीबाजी से इस देश में एक सबसे अच्छे नेता को सरकार बनाने का मौका मिला, श्री अटल बिहारी वाजपेई जी को लेकिन गलती से उनकी पार्टी गलत थी। राष्ट्रपति महोदय ने अटल बिहारी वाजपेई जी को सरकार बनाने का मौका दिया और कहा कि आप बड़े भले आदमी हैं। देश के दूसरे राजनीतिक दल भी आपको भला मानते हैं, आप सरकार बनाएं।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगी कि श्री वाजपेई जी ने राजनीति का व्यापारीकरण नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि लोकसभा में सांसदों को खरीद कर प्रधान मंत्री बने, उन्होंने व्यापारीकरण नहीं किया, उन्होंने कहा कि अगली बार आएंगे तो पूरे बहुमत के साथ आएंगे। यह काम तो आपके नेता चौधरी भजन लाल ही कर सकते हैं जो 1980 में 36 विधायकों को लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों की खरीदो-फरोख्त कर सी०बी०आई० का मुकद्दमा झेल रहे हैं। क्या वाजपेई जी भी इसी तरह से करते?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पार्लियामैंट की बात करूंगा। वह सदन प्रशंसा का पात्र है क्योंकि साम्प्रदायिक ताकतों का साथ देने के लिए सिर्फ 3 एम०पीज० चौधरी बंसी लाल जी की पार्टी के छोड़ कर, हरियाणा प्रान्त का कोई एम०पी० उनके साथ नहीं गया। और इस बात का सबूत है कि इस देश की जनता जात-पात और साम्प्रदायिकता से दूर रहना चाहती है। इसीलिए बेशक आज का प्रधान मंत्री 46 आदमियों की पार्टी का प्रधान मंत्री हो लेकिन एक सबसे बड़ी पार्टी जो है, वह उस राज को चलाये हुए है क्योंकि इस देश के लोगों ने प्रजातंत्र में इस देश की साम्प्रदायिक ताकतों और जातिवाद से लड़ना है। (विघ्न) उसी लड़ाई का कारण है (विघ्न) आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। (विघ्न)

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इनकी पीड़ा सच्ची है। यह इतने धर्म निरपेक्ष हैं कि लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ये दिल्ली में हारे, महाराष्ट्र में हारे और पंजाब में हारे। इसके अलावा जितने भी बाई-इलैक्शन हुए, वहां पर हारे। आपकी पार्टी की क्या हालत हो रही है, स्वयं सोचो।

श्री अध्यक्ष : ये कब कह रहे हैं कि ये जीते हैं। ये खुद मानते हैं। आपको वैसे ही वहम हो गया है। बीरेन्द्र जी, आप जल्दी करिये।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही खत्म कर देता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के लोगों को जब भी मौका मिला, राजनीतिक फैसले करने का उन्होंने सही फैसले दिये। लोगों के फैसले कभी गड़बड़ाया नहीं करते। फैसले तब गड़बड़ाया करते हैं जब लोगों द्वारा राजनेताओं को सत्ता सौंपने के बाद उन राजनीतिज्ञों द्वारा गलत फैसले होते हैं। लोगों के फैसले कभी गलत नहीं होते। अब की बार हरियाणा में भी लोग कोई फैसला नहीं कर सके कि किस पार्टी को बहुमत दें। (विघ्न) वह किसी एक दल के पक्ष में फैसला नहीं दे सके। उसकी वजह यह है कि लोग नए सिरे से विश्वास पैदा करना चाहते हैं। लोग जिसको चुनकर भेजेंगे स्वार्थ से ऊपर उठकर भेजेंगे। (विघ्न) मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री जी लोकपाल बिल तो ले आये हैं। मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आपने जो 28 मंत्री बनाए हुए हैं, इनकी जायदाद की सूची आप सभी से ले लें। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : सब ने दे रखी है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : यदि दे रखी है तो वह सब की सब अखबारों में प्रकाशित करवा दें ताकि हरियाणा के लोगों को पता चल सके कि किसी मंत्री के पास मंत्री बनने से पहले कितनी संपत्ति है, कितने हाथी-घोड़े हैं। उसके बाद जब दो तीन साल बीत जायें तो लोगों की पैनी निगाह देख सके कि किसी मंत्री के पास अब मंत्री बनने के बाद कितनी सम्पत्ति है और वे यह देख सकें कि किसी का विश्वास डगमगा तो नहीं गया। (विघ्न) ठीक है, सभी सदस्यों की सम्पत्ति की सूची ले ली जाये और उनकी भी प्रकाशित की जाये, ऐसी व्यवस्था भी आप करें। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहता हूं कि नौकरशाही के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। नौकरशाह, आई०ए०एस०, आई०पी०एस० व एच०सी०एस० को समाज में बड़ा मान मिलता है। उसकी दौलत यही है कि वह देश के 3,4,5 हजार आदमियों में से

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

आता है। उसका सबसे बड़ा सम्मान यही है कि उसने देश की 25,30,35 सालों तक सेवा करनी होती है। अगर किसी आई०ए०एस० आफिसर ने या किसी बड़े अधिकारी ने पैसा कमाना है तो बिजनैस मैनेजमैंट की ट्रेनिंग करके वे किसी बड़ी कम्पनी में नौकरी कर सकते हैं। यदि किसी अधिकारी को अपनी आर्थिक अवस्था ठीक करनी है, तो वह भी किसी बड़ी कम्पनी में जा सकता है लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हैं, जिनके फैसले से ट्रैजरीज़ से पैसे निकलते हैं उनके काम की ट्रांसपेरैंसी होनी चाहिए और उनसे सम्पत्ति का ब्यौरा लिया जाना चाहिए।

श्री बंसी लाल : ऐसे लोग हर साल अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : मुख्य मंत्री जी यह बात मैं जानता हूं कि वे ब्यौरे किस प्रकार के होते हैं जो कि सरकारी दफ्तरों में दिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारियों की हरियाणा की जनता के प्रति सब से बड़ी सेवा यही है कि वे ईमानदारी से और सेवा भाव से अपने कार्य को करें और निजी स्वार्थ से ऊपर उठ कर उनको काम करना चाहिए। अगर कोई क्रप्शन होती है तो उसको रोकने के लिए प्रिवैंटिव मैयर लेने जरूरी हैं, वह बतौर लोक पाल की नियुक्ति भी हो सकता है। जो भी लोक पाल लगाया जाए वह हाई कोर्ट का जज हो सकता है। अगर किसी के खिलाफ चार्जिज़ लगते हैं तो उनका फैसला करने में ज्यादा देरी न हो, इसके लिए एक सब-कमीशन की जरूरत पड़ेगी या मल्टी मैम्बर कमीशन के बारे में विचार करना पड़ेगा क्योंकि केवल एक व्यक्ति सभी केसों का निपटारा नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूं एक मैम्बरी लोक पाल की नियुक्ति की स्थापना के लिए यह विधेयक लाया गया है। हरियाणा के राजनीतिक सिस्टम का जिस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा है उसमें एक मैम्बरी लोक पाल सफिशैंट नहीं होगा क्योंकि जो भी कार्यवाही हो उसमें ट्रांसपेरैंसी की जरूरत है इसलिए मल्टी मैम्बर लोक पाल की स्थापना करनी चाहिए। अगर तीन मैम्बरी लोक पाल की स्थापना की जाएगी तो उससे सही, जल्दी और ठीक न्याय कम्पलेनैंट को मिल सकेगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जो कि सोचने और विचारने की बात है कि लोक पाल क्या करेंगे। कोई आदमी उनको शिकायत करेगा तो उस शिकायत की जांच कौन करेगा, लोक पाल का दायरा क्या होगा ? एक तो एक्ट के तहत वह कांफिडैंशियल शिकायत की जांच खुद करे या फिर किसी दूसरी या तीसरी एजैंसी से उसकी जांच करवाए। यह सारा टाईम कन्जयूमिंग वर्क होगा, उसके बाद वह अपनी रिकमैंडेशन्ज़ करेगा। उन रिकमैंडेशन्ज़ को सरकार के पास भेजा जाएगा और फिर सरकार उस पर केस दर्ज करेगी। यह बड़ा लम्बा प्रोसैस है। साल, दो साल या अढ़ाई-तीन साल तो चार्जिज़ एस्टेब्लिश होने में ही लग जाएंगे फिर उसके बाद विस्तार से जांच शुरू होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि यह जो इतनी लम्बी डिले है इसको हम किस प्रकार से मैरो डाउन कर सकते हैं। फर्ज करो एक रिकमैंडिंग अधिकारी या डिफरैंट सर्वैन्ट के खिलाफ लोकपाल ने इन्क्वायरी की है, उसका प्रोविज़न क्या है क्या उसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मानेंगे या कि प्राईमाफेसिया मानेंगे। प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी उसके बाद होगी। If there is sufficient evidence against the person concerned then a regular enquiry would take place and after completing the regular enquiry, the recommendation would be sent to the Government and the Government would direct the Police Station or the authorities concerned to register a case against the person. यह कैसे एक्सपिडाईट कर सकते हैं या करवा सकते हैं यह बात भी बैठ कर सोचने की बात होगी। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर प्रोविज़न किया गया है कि मुख्य मंत्री, स्पीकर ऑफ दि हाउस और कंसर्ड चीफ जस्टिस से कंसलटेशन करेंगे और गवर्नमैंट उसे

अप्वायंटमैंट करेगी। हमें यह खदशा है कि जिस वक्त भी यह अप्वायंटमैंट होगी तो उस वक्त के मुख्य मंत्री द्वारा ही होगी। हम यह चाहते हैं कि इस में लीडर ऑफ दि अपोजिशन को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा हम यह भी चाहते हैं कि हाउस में जिनकी पार्टी की मैजयोरिटी 1/10 हो, उनको भी इसमें शामिल किया जाए ताकि सिलैक्शन के वक्त ठीक आदमी का चयन हो सके और लोगों का विश्वास उसमें बना रहे। अध्यक्ष महोदय, कल मैं एक सम्मेलन में बोल रहा था तो किसी ने कहा कि फलां-फलां आदमी भ्रष्ट है और वह लूट कर खा गया। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारे अन्दर इतनी मौरेलटी होनी चाहिए कि उस आदमी का नाम लेकर कहें कि फलां आदमी पैसा खा गया है। अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो लोकपाल बिल से इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त इन्वायरमैंट मिलेगा।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment to various clauses of the Bill from the Hon'ble Chief Minister. Now the Hon'ble Chief Minister will move the amendment.

मुख्य मंत्री (बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए एक बात सदन में रखना चाहता हूं। जब हमने पहले यह बिल बनाया था उसमें मेयर, सिनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर थे। इसी तरह से प्रैजिडैंट या वाइस प्रैजिडैंट या मैम्बर ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी प्रैजिडैंट या वाईस प्रैजिडैंट या मैम्बर ऑफ जिला परिषद तथा चेयरमैन या बाईस चेयरमैन या मैम्बर ऑफ पंचायत समिति, प्रैजिडैंट, या बाइस प्रैजिडैंट या मैम्बर्ज ऑफ अपैक्स बॉडी, प्रेजिडैंट, वाइस प्रैजिडैंट, मैनेजिंग डायरैक्टर ऑफ को-आप्रेटिव सोसाइटी थे। इसमें जो मैम्बर्ज बाद में लगाए हैं वे सिलैक्ट कमेटी ने लगाए हैं हमने नहीं लगाए हैं। बहन करतार देवी जी ने जो कहा कि इस क्लाज को हटा दो तो उस बात पर हम एग्री कर गए हैं। हम आफिस बेयरर में मेयर, सिनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को रखेंगे, बाकी जो मैम्बर्ज हैं उनको हटा देंगे। क्लाज 2 (vi) में प्रैजिडैंट, वाईस प्रैजिडैंट म्यूनिस्पैलिटी रखेंगे उनके मैम्बर्ज को नहीं रखेंगे। क्लाज 2 (vii) में प्रैजिडैंट, वाईस प्रैजिडैंट ऑफ जिला परिषद तथा चेयरमैन, वाईस चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति रखेंगे। इन्होंने जो सुझाव दिया है उसको हम मानते हैं। प्रैजिडैंट, वाईस प्रैजिडैंट, अपैक्स बौडी और इसके मैम्बर्ज को भी हम छोड़ते हैं। को-आप्रेटिव सोसाइटी के मैम्बर्ज को भी हम छोड़ते हैं। इसमें से हम प्रैजिडैंट, वाईस प्रैजिडैंट और मैनेजिंग डायरैक्टर को रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, समता पार्टी की तरफ से एक सुझाव आया कि इसमें कंसलटेशन के लिए लीडर ऑफ दि अपोजिशन भी हो। तो जहां हम हरियाणा असैम्बली के स्पीकर महोदय को रख रहे हैं वहीं पर मैं यह अमैंडमैंट भी मंजूर करता हूं कि हम लीडर ऑफ दि अपोजिशन को भी इसमें रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो 20 साल वाली बात आई है उसको हम 10 साल करने जा रहे हैं। (विघ्न) जब वोटिंग होगी तब आप वोट डाल लेना। मैं इससे इंकार तो नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, समता पार्टी की तरफ से एक बात और आयी। अध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्लाज 10(2) में लिखा हुआ था -

"Every complaint involving an allegation or grievance shall be made in such form, and in such manner and shall be accompained by such affidavit as may be prescribed. However, the Lokpal may dispense with such affidavit in any appropriate case."

अब हम एप्रोप्रिएट केस की जगह कर रहे हैं appropriate case for reasons to be recorded in writing. तो अध्यक्ष महोदय, इन अमैंडमैंट्स के साथ अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब तो हमें शायद एल०आर० से भी पूछना पड़ेगा कि क्या अब यह बिल 1997 बन जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि बिल तो वही रहेगा लेकिन ऐक्ट 1997 का बन जाएगा।

Question is -

That the Haryana Lokpal Bill, 1996 as reported by the Select Committee be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Speaker Sir, with your premission, I move the following amendments :-

Clause-2

In the proposed Sub-clause (J) of clause 2, substitute the following, namely :-

"(1) in item (v), for the words "Deputy Mayor or a member of a Municipal Corporation", the words "Deputy Mayor of a Municipal Corporation" shall be substituted;

(2) in item (vi), for the words "Vice-President or a Member", the words "Vice-Presedent" shall be substituted;

(3) in item (vii), for the words and sign "Vice-President or a member of a Zila Parishad and a Chairman, Vice-Chairman or Member", the words and sign "Vice-President of a Zila Parishad and a Chairman, Vice-Chairman" shall be substituted;

(4) in item (viii), for the words "Vice-President or member", the words "Vice-President" shall be substituted;

(5) in item (ix), for the words "Managing Director or a member", the words "Managing Director" shall be substituted."

Clause 3

In the proposed proviso to Sub-clause (1) of clause 3, for the word and sign "Assembly", the words and sign "Assembly, Leader of the Opposition" shall be substituted.

Clause 9

In sub-clause (c) of clause 9, for the words "twenty years", the words "ten years" shall be substituted.

Clause 10

In the proposed sub-clause (2) of clause 10, for the words "appropriate case", the words "appropriate case for reasons to be recorded in writing" shall be substituted.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub clause (2) and (3) of clause

Mr. Speaker : Question is-

That Sub clause (2) and (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Motion moved-

That in the proposed Sub-clause (J) of clause 2, substitute the following, namely :-

"(1) in item (v), for the words "Deputy Mayor or a member of a Municipal Corporation", the words "Deputy Mayor of a Municipal Corporation" shall be substituted ;

(2) in item (vi), for the words "Vice-President or a Member", the words "Vice-President" shall be substituted;

(3) in item (vii), for the words and sign "Vice-President or a member of a Zila Parishad and a Chairman, Vice-Chairman or Member", the words and sign " Vice President of a Zila Parishad and a Chairman, Vice-Chairman shall be substituted;

(4) in item (viii), for the words "Vice-President or Member", the words "Vice-President" shall be substituted.

(5) in item (ix), for the words "Managing Director or a member", the words "Managing Director" shall be substituted."

Mr. Speaker : Question is-

That in the proposed Sub-clause (J) of clause 2, substitute the following, namely :-

"(1) in item (v), for the words "Deputy Mayor or a member of a Municipal Corporation", the words "Deputy Mayor of a Municipal Corporation" shall be substituted;

(2) in item (vi), for the words "Vice-President or a member", the words "Vice-President" shall be substituted;

(3) in item (vii), for the words and sign "Vice-President or a member of a Zila Parishad and a Chairman, Vice-Chairman, or Member", the words and sign "Vice-President of a Zila Parishad and a Chairman, Vice-Chairman" shall be substituted;

(4) in item (viii), for the words "Vice-President or Member", the words "Vice President" shall be substituted;

(5) in item (ix), for the words "Managing Director or a member", the words "Managing Director" shall be substituted."

The motion was carried.

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : यह क्लाज-2 में जो डैफीनेशंज है इन डैफीनेशंज के बारे में मुख्यमंत्री जी ने आल पार्टी मैम्बर्ज को बुलाया था। कुछ सदस्यों ने इंडियन पीनल कोड के हवाले से गवर्नमैंट सर्वेन्ट की डैफिनेशन के बारे में कहा लेकिन हिमाचल प्रदेश ने उनके लिए एक क्लाज अलग से बनाई है। जो इस प्रकार है -

> Officer means the Chief Secretary, Principal Secretary, Secretary, Additional Secretary, Special Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary and Under Secretary to the Government of Himachal Pradesh of whatever name he may be called."
>
> Clause 2 says-
>
> "Head of the Department of State Government and any other Government Servant to be notified by the State Government."

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारियों को सिंगल आउट करना ठीक नहीं रहेगा। इसमें सब कवर्ड हैं अगर हमने लिख दिया तो बाकी कह देंगे कि हम तो इसमें आते नहीं हैं। इसमें जो आई०पी०सी० का है वह इतना कंपलीट है, इतना वाइड है कि उसमें सब कुछ कवर हो जाता है और कोई चीज बाकी नहीं बचती। अभी तो बीरेन्द्र सिंह जी ऐग्री कर रहे थे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैं अब भी ऐग्री कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि उन्होंने डैफीनेशन में अलग से क्लाज डाली हुई है। They have not referred to it.

Mr. Speaker : Question is-

> That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Motion moved-

> That the proposed proviso to sub-clause (1) of clause 3 for the words and sign "Assembly", the word and sign "Assembly", Leader of the Opposition" shall be substituted.

Mr. Speaker : Question is-

> That in the proposed proviso to sub-clause (1) of clause 3, for the word and sign "Assembly", the words and sign "Assembly, Leader of the Opposition" shall be substituted.

The motion was carried.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का मौका दीजिए। इसमें लीडर ऑफ दि रिकागनाइजड पार्टी होना चाहिए।

श्री बंसी लाल : हम तो सिर्फ लीडर ऑफ दि अपोजिशन को कन्कलूड करेंगे। ग्रुप तो पता नहीं कितने हो जाएं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, क्लाज-3 के बारे में आपने जो किया है उस पर हमने अमैंडमैंट दे रखी है।

श्री अध्यक्ष : आपकी अमैंडमैंट 1 बजकर 32 मिनट पर आई है। वह डिस-अलाऊ हो गई है।

Question is-

That clause 3, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : सर, हमने अपनी अमेंडमैंट भेज रखी है। उसको कंसीडर करिये।

14.00 बजे **कैप्टन अजय सिंह :** अध्यक्ष महोदय, हमने अमेंडमैंट भेज रखी है कि दस हजार से 25 हजार का फाईन बढ़ाया जाये और (विघ्न) (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब आप बहुत पुराने सदस्य हैं और मंत्री भी रहे हैं। Captain Sahab, please take your seat, that has been dis-allowed.

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हम ने इनकी सारी बातों पर तो एग्री कर लिया है। एक बात दस साल से पांच साल ये करवाना चाहते हैं वह हमने नहीं मानी है। यह जरूरी नहीं कि इनकी हर बात को एग्री करें (विघ्न) मैं गलत काम नहीं करता। जो जायज बात मानने की थी वह मान ली है। यह आपकी बात जायज नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सुर्जेवाला जी आई वार्न यू। कप्तान साहब आप भी बीच में वैसे ही खड़े हो जाते हैं। सब पार्टीयों के लीडर्ज की मीटिंग हुई थी और जो बात जायज थी, वह मान ली है।

श्री बंसी लाल : मैं मानता हूं कि समता पार्टी के साथियों ने दस साल वाली बात को नहीं माना है वे चाहते थे कि या तो पांच साल की अवधि की जाये या जब से हरियाणा बना है तब से इस लोकपाल बिल को लागू करें। हम बीस साल की बात भी करना चाहते थे लेकिन एल०आर० ने कहा कि इससे कई कम्पलीकेशंज हो जाएंगी इसलिए 20 साल न करें। क्योंकि पंजाब में 11 साल किया गया है और हिमाचल में 10 साल किया है इसलिए हम भी दस साल कर रहे हैं, हम किसी के साथ रियायत नहीं कर रहे हैं। (विघ्न) आप इसके खिलाफ वोट दे देना। मैं कह रहा हूं कि हमने आपकी बात पर एग्री नहीं किया है। मैं कोई बात छिपा नहीं रहा हूं।

वाक आउट

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो हम इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य वाक आउट कर गए)

दि हरियाणा लोक पाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मीटिंग में सभी पार्टियों के नुमांइदे थे, हम भी थे। Sarvshri Birender Singh, Ashok Kumar, Balwant Singh Maina and Ajay Singh were there. वैसे तो यह कभी नहीं होता है लेकिन मुख्य मंत्री जी ने सभी दलों के प्रतिनिधि बुलाए। In the meeting, they were agreed. इसलिए इस बिल को हम सर्वसम्मति से लेकर के आए हैं। इसका तो यह मतलब हुआ कि ये इस लोकपाल बिल का विरोध कर रहे हैं।

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 9

Mr. Speaker : Motion moved-

That in sub-clause (c) of clause 9 for the words "twenty years" the words "ten years" shall be substituted.

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि यह लोकपाल बिल 1966 से लागू होना चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) अध्यक्ष महोदय, मैंने तो हाऊस में यह बात मान ली थी कि जब से हरियाणा बना है तब से इस बिल को लागू करेंगे लेकिन एल०आर० और एडवोकेट जनरल ने हमें राय दी है कि अगर हम इसको पिछले 20 साल से लागू करते हैं तो हम कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकेंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय,पंजाब ने यह बिल 11 साल के लिए पास किया है, हिमाचल प्रदेश ने 10 साल के लिए

पास किया तथा हम भी 10 साल के समय के लिए इसको पास करवा रहे हैं। इससे ज्यादा समय का अगर हम करते हैं तो हम कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकेंगे क्योंकि ऐसी एल०आर० और एडवोकेट जनरल की राय है। (शोर) इन सभी के रूबरू एल०आर० की और हमारी बात भी हुई है। (शोर) अगर फिर भी ये इसके खिलाफ वोट देते हैं तो कोई बात नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि या तो यह बिल जब हरियाणा बना है यानि 1 नवम्बर, 1966 से लागू किया जाए या आज से लागू किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि या तो इसको जब से हरियाणा बना है तब से लागू करो या आज से लागू करो। हम इस बारे में लीगल एक्सपर्टस की राय लेकर इसको 10 साल पीछे से लागू कर रहे हैं। यदि हम इसको बहुत पीछे से लागू करेंगे तो यह कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक असैंट के लिए राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा। अगर इसमें कोई कमी होगी तो वह गवर्नमैंट ऑफ इंडिया हमें बता देगी।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के बारे में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका दर्शन सुन लिया है आप बैठ जाएं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रामपाल माजरा वहां कह रहे थे जहां हम बैठ कर इस बिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मुख्य मंत्री जी इसमें आप बच जाओगे। मैं इनको बता दूं कि मैं तो बचता नहीं। क्यों नहीं बचता क्योंकि मैं तो चाहे आप इसको आज से लागू कर लो तब भी नहीं बचता और 10 साल पीछे से लागू कर लो फिर नहीं बचता। मैं 1985-86 में भी मुख्य मंत्री था इसलिए मैं फिर भी नहीं बचता। मेरा खाता तो खुला है।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, कहीं इन्होंने उस जवानी के दिनों में कोई गलती कर दी होगी। फिर भी हमारी यह इच्छा नहीं है कि चौधरी बंसी लाल जी कहीं फंसें। मुख्य मंत्री जी ने पिछले सैशन में ऑन दि फलौर ऑफ दि हाउस यह कहा था कि इस बिल को जब हरियाणा बना है तब से लागू कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आज ये इस बिल को उस दिन से लागू नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें शंकाएं हो रही हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्वायंट को क्लीयर कर देता हूं। इन्सान से जवानी में गलती हो जाती है। क्योंकि इन्सान गलतियों का पुतला है इसलिए गलती कर भी देता है। अध्यक्ष महोदय, जब 1977 में इनकी पार्टी की सरकार थी उस समय मेरे ऊपर, मेरे लड़के पर, मेरी लड़कियों पर झूठे मुकदमे बनाए गए यहां तक कि मेरी अनमैरिड लड़की तक को चौधरी देवी लाल ने मुलजिम बनाया। हमने हाई कोर्ट से जमानत कराई। मेरे घरों की, मेरे रिश्तेदारों के घरों की 6-6 और 7-7 बार तलाशियां ली गई। चौधरी देवी लाल की सरकार ने मेरे खिलाफ 4 कमिशन बिठाए। तीन कमिशन्ज की रिपोर्ट तो पार्लियामैंट की टेबल पर रखी गई। और एक कमिशन की रिपोर्ट इस सदन की टेबल पर रखी गई। इसलिए इन मेरे भाईयों को मेरे बारे में कोई गलतफहमी न रहे। इस बिल को जितना पीछे से लागू करेंगे उससे इन्हीं को नुक्सान है मेरे को नहीं।

श्री निर्मल सिंह : स्पीकर साहब, इस लोकपाल बिल का हमें बहुत दिनों से इन्तजार था। आज हमारे मुख्य मंत्री जी बड़ी अच्छी भावनाओं के साथ इस बिल को सदन में ले कर आए हैं। सारे माननीय सदस्यों ने इस बिल की तारीफ की है। स्पीकर साहब, इस बिल को बहुत पीछे से लागू करने से और आज से लागू करने से इसका औचित्य खत्म हो जाता है। अगर इस बिल को आज से लागू करेंगे तो इसका क्या औचित्य है। चौधरी साहब ने अभी कहा था कि हमने इस बिल के बारे में एल०आर० से राय ली है और उन्होंने यह राय दी है कि अगर इस बिल को बहुत पीछे से लागू करोगे तो यह कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा इसलिए इसको 10 साल पीछे से लागू कर रहे हैं। स्पीकर साहब, हरियाणा डिफैक्शन के कारण सबसे ज्यादा बदनाम हुआ है। 1980 से इस बुरी बात की शुरूआत हुई, तो यह बिल 1980 की डिफैक्शन से लागू किया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप सभी माननीय सदस्यों के दर्शन सुन लिए गए हैं। उस मीटिंग में भाजरा साहब, भी थे, कैप्टन साहब भी थे और लीडर ऑफ दि हाउस भी थे। Even then I shall put it to the division.

Mr. Speaker : Question is-

That in sub-clause (c) of clause 9, for the words "twenty years", the words "ten years" shall be substituted.

After ascertaining the votes of the Members by voices, Mr. Speaker announced that 'Ayes' have it, whereupon division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who were for 'Aye' and those who were for 'No', respectively, to rise in their places and on a count having been taken declared that the motion was carried.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is -

That Clause 9, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

आवाजें : इस क्लाज की प्रोवीजन्ज के विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित समता पार्टी के सभी सदस्य वाक आउट कर गए।)

वाक आउट

दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

Clause 10

Mr. Speaker : Motion moved-

That in the proposed sub-clause (2) of clause 10, for the words "appropriate case", the words "appropriate" case for reasons to be recorded in writing" shall be substituted.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, यह क्लाज तो ठीक है लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने विधायकों के भत्ते बढ़ाने संबंधी कहा था।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठिये।

Mr. Speaker : Question is-

That in the proposed sub-clause (2) of clause 10, for the words "appropriate case", the words "appropriate case for reasons to be recorded in writing" shall be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is-

That clause 10, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 11 to 23

Mr. Speaker : Question is-

That Close 11 to 23 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Sub-Clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Hon'ble Chief Minister will move that the Bill be passed.

Chief Minister (Ch. Bansi Lal) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट एक बात कहना चाहूंगा। मैं सदन की भावना को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस माननीय सदन के बहुत कम साथी हैं जिनकी शादियां होनी हैं। हम में से अधिकतर लोग उस उम्र में आ गए हैं जहां हमारे बच्चों की शादियां होनी हैं। आजकल जो फैशन है उसमें लड़के से पूछते हैं कि उसकी तनख्वाह कितनी है या वह क्या कारोबार करता है। अगर खुद कारोबार नहीं करता है तो बाप की कितनी आमदनी है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पिछले सैशन में एम०एल०एज० के एमोलुमैंट्स बढ़ाने की बात की थी लेकिन उस बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, यह समय इस बात के लिए नहीं है अभी बिल की बात है।

Mr. Speaker : Question is-

That the bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now the Development Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

Development Minister (Shri Kanwal Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 1997.

Sir, I also beg to move that-

The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

बैठक का समय बढ़ाना

कृषि मन्त्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यह है कि बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा लिया जाए।

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by 15 minutes ?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The time is extended by 15 minutes.

दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 1997 (पुनरारम्भ)

Mr Speaker : Question is-

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 1

Mr Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Development Minister will move that the Bill be passed.

Development Minister (Shri Kanwal Singh) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि इंडियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now the Revenue Minister will introduce the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 1997 and he will also move the motion for its consideration.

Revenue Minister (Shri Suraj Pal Singh) : Sir, I introduce the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 1997.

I also beg to move-

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री कृष्ण लाल (असंध, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, रैवेन्यू मिनिस्टर यह जो अमैन्डमैंट बिल लाए हैं मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री करवाने जाता है तो तहसीलदार उस पर आब्जैक्शन लगा देता है कि यह रजिस्ट्री कम पैसे की करवा रहा है। जब उस पर आब्जैक्शन लगता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट रैवेन्यू आफिसर के पास जाना पड़ता है, उसके बाद एस०डी०एम०, फिर डिप्टी कमिश्नर के पास जाता है। अगर वहां भी बात न बने तो वह सैशन जज के पास जा सकता है। यह सरकार ज्यूडिशरी से बचने के लिए यह पावर कमिशनर को दे रही है। अगर ऐसा होगा तो आम आदमी सरकार के हाथों में कठपुतली बनकर रह जाएगा। यह सरकार ज्यूडिशरी से बचने के लिए ऐसा कर रही है मैं इस अमैंडमैंट बिल का विरोध करता हूं।

Mr. Speaker : Question is-

That the Indian Stamp (Haryana Amendmant) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Revenue Minister will move that the Bill be passed.

Revenue Minister (Shri Suraj Pal Singh) : Sir. I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now the Education Minister will introduce the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1997. He will also move the motion for its consideration.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं-

कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr Speaker : Motion moved-

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री जी इस बिल के माध्यम से जो ये अमैंडमैंट्स लेकर आए हैं इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी संस्था और विशेषकर विश्वविद्यालय जैसी संस्था जहां पर ज्ञान वितरित किया जाता हो, जहां पर नागरिकों का चरित्र निर्माण करके इस देश का उज्ज्वल भविष्य बनाने की बात की जाती हो तथा जहां पर सभी मनुष्यों का शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करके उनको अपने पैरों पर खड़े करने लायक बनाया जाता हो तो ऐसी शिक्षा संस्थाओं की कार्य प्रणाली के अंदर वहां की मौजूदा परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए अमैंडमैंट्स लाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम किसी संस्था के अंदर सुधार के लिए अमैंडमैंटस नहीं लाएंगे तब तक उसकी प्रगति रुक जाती है तथा वहां विपरीत स्ट्रैगनेशन आ जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नोटिस में यह बात लाना चाहूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी जो कि स्वंय एक शिक्षाविद हैं, इस बिल के द्वारा जो ये अमैंडमैंट्स लेकर आए हैं, इनसे शिक्षा का स्तर सुधरने के बजाए और ज्यादा निम्न स्तर तक ही जाएगा। क्योंकि अगर आप इस बिल पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की जो मीयत है, सरकार का जो विश्वास है, वह रूल ऑफ लॉ में न होकर व्यक्ति विशेष के अंदर ज्यादा है। 1986 के एक्ट की सैक्शन 11-बी में यह स्पष्ट है कि रजिस्ट्रार की अप्वायंटमैंट गवर्नमैंट द्वारा निश्चित की गयी टर्म्ज एंड कंडीशंज को समाप्त करके सरकार की ऐडवाइस पर जो कि किसी टर्म एंड कंडीशंज पर आधारित न हो, की जाए और रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों को इस्तेमाल करने की डियूटीज परफॉर्म करे जिनका स्टेचूट्स के अंदर वर्णन न हो तो उनके अनुसार ही वह डियूटीज परफॉर्म करे। हमारे इन अमैंडमैंट्स बिल के अंदर इस बारे में जो सुझाव किया गया है उसके अनुसार वाईस चांसलर का सीधा रजिस्ट्रार की अप्वायंटमैंट पर नियंत्रण होगा और वह उसको डायरैक्ट निर्देश देगा। स्पीकर सर, यह बहुत ही हास्यास्पद है क्योंकि जहां यूनिवर्सिटी की स्टैचूट, ऐक्ट एंड रूल्ज उसको गाईड करते हैं तो उसके बजाए अगर कोई व्यक्ति विशेष उसको गाईड करें तब मैं नहीं समझता कि यह किस ढंग से इस यूनिवर्सिटी के अंदर वहां के शिक्षा के वातावरण को सुधारने में सहायक होगा। यह मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि इस बात को कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस एक्ट की सैक्शन 21 की सब सैक्शन 2 में किसी भी नये या अतिरिक्त स्टैचूट को अमैंड या रिपील करने के लिए ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल यूनिवर्सिटी की किसी भी अथोरिटी को, उसकी पावर को या स्टैचूट को परिवर्तित करने के प्रस्ताव को प्रभावित करने वाली जब तक नहीं बनेगी या संशोधित नहीं करेगी जब तक अथोरिटी को लिखित राय व्यक्त करने का समय न दिया जाए और उसके द्वारा व्यक्त की गयी ओपिनियन ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा कंसिडर न की जाए। अध्यक्ष महोदय, तब तक ये अमैंडमैंट्स नहीं होनी चाहिएं जब तक ये सारी बातें इनमें न आ जाएं। इसी तरह से हमारे प्रस्तावित जो संशोधन हैं उसमें इसके बजाय कि चांसलर सरकार की ऐडवाइस या अपने आप इलैक्शन कमिशनर को यह अमैंडमैंट

बनाने के लिए, संशोधित करने के लिए निर्देश देने का प्रावधान रखा गया है। अगर ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल उनको 60 दिन में इम्प्लीमैंट न कर पाए तो उसके कारण बताए।

श्री अध्यक्ष : वीरेन्द्र पाल जी, इसमें इलैक्शन कमिश्नर कहां से आ गया।

श्री वीरेन्द्र पाल अहलावत : सौरी सर, ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल है। अगर मैंने गलती से इलैक्शन कमिश्नर कह दिया है तो उसे ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल समझा जाए। स्पीकर सर, तो मैं कह रहा था कि उसे रिकंसीडेशन के लिए चांसलर के पास भेजा जाए। इस प्रकार किसी पद पर आसीन व्यक्ति को अपनी पोजीशन क्लीयर करने का अवसर न दिया जाए या उसके अंदर आने वाली अड़चनों को सीधे चांसलर या किसी व्यक्ति के द्वारा इन चीजों का संशोधन लाया जाए जिससे इनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा। मैं तो यह कहूंगा कि यह एक बात आपने सुनी होगी It is better to visit a place rather than to read 10 books. जो आदमी इन चीजों के साथ डील करते हैं इस बारे उनकी राय को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए न कि सरकार के क्लर्कों, सरकार के अधिकारियों या खुद सरकार की राय को क्योंकि वे इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे सुधार करके सरकार प्रस्ताव लाकर यह स्पष्ट कर रही है कि शिक्षा के सुधार के लिए नहीं बल्कि सरकार प्रभुत्व और अधिकारियों की सीमाएं बढ़ाने के प्रयास कर रही है जो किसी भी कीमत पर यूनिवर्सिटी में सुधार लाने में मदद नहीं करेगी। एक जो हमारे मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है कि स्टेट उनकी एक मेजर फंडिंग एजेन्सी है इसलिए हम उसे नियंत्रण में लेना चाहते हैं। यह ठीक है कि स्टेट एक मेजर फण्डिंग एजेन्सी होगी।

श्री अध्यक्ष : इसमें भी कोई शक है कि आप कह रहे हैं कि स्टेट एक मेजर फंडिंग एजेन्सी होगी।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : मैं कह रहा था कि स्टेट एक मेजर फंडिंग एजेन्सी है इसका मतलब यह नहीं कि यूनीवर्सिटी के उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया जाए। यूनीवर्सिटी तो ऑटोनौमस बौडी है जो अपने आप में शिक्षा का वातावरण आजादी के माहौल में सबको देने के लिए कृत-संकल्प है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर अपना नियंत्रण बढ़ाकर अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास न करे। जहां तक मौड ऑफ अपाइन्टमैंट की बात है, रजिस्ट्रार की मोड ऑफ अपाइन्टमैंट के बारे में शिक्षा मंत्री ने सुझाव दिया है कि स्टेट और सैन्ट्रल गवर्नमैंट की एजूकेशनल पौलिसी को अक्षरशः लागू करने के लिए ऐसा किया गया है। मोड ऑफ अपाइन्टमैंट का नीतियों को लागू करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं जो बात कहना चाहता हूं वह इस प्रदेश के और इस देश के हित और मानवता के हित के लिए की जा रही है, इसलिए अगर आप बातों को सुने बिना इसको पास करने पर उतारू हैं तो अलग बात है। (विघ्न)

Mr. Speaker : I am keenly listening to you.

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : मोड ऑफ अपाइन्टमैंट का किसी आदमी की कार्यशैली के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ सकता है। स्टेट और सैन्ट्रल गवर्नमैंट ऐसी कौन सी पौलिसी है जिसके मौड ऑफ एप्वांटमैंट एक्ट के तहत नियुक्त किए गये रजिस्ट्रार पर लागू नहीं कर सकते। ऐसी क्या अड़चन है जो इस सरकार के पास आई हुई है। इस बारे कोई विवरण इसमें नहीं दिया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। यह तो खाली गवर्नमैंट का इंटरफियरैंस बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके अलावा इस में शिक्षा और यूनिवर्सिटी को ध्यान में नहीं रखा गया है। यूनिवर्सिटी और शिक्षा के हितों को ताक पर रखकर अपने चहेतों को महत्वपूर्ण पद देने का रास्ता प्रशस्त किया गया है। यही कारण है कि यह स्टेच्यूट के ऊपर और कानून को ध्यान में न रखकर ऐसी बातों का प्रावधान किया गया है। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए और बढ़ा दी जाये।

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time be extended by one hour ?

Voices : Yes

Mr. Speaker : The time of the House is extended by one hour.

दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997 (पुनरारम्भ)

डॉ० वीरेन्द्रपाल अहलावत : अपने चहेतो को यह पद देने का रास्ता सरकार ने प्रशस्त किया है। अगर वास्तव में शिक्षा मंत्री महोदय और यह सरकार शिक्षा के माहौल को सुधारना चाहते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप कंक्लूड करिये।

डॉ० वीरेन्द्रपाल अहलावत : तो इसे मोड ऑफ अपॉइंटमैंट के अन्दर न लाकर ऐसे अमैंडमैंट के अन्दर लेकर आते ताकि गवर्नमैंट और सैंट्रल गवर्नमैंट की पोलिसी को लागू करने के लिए कानून के दायरे में रखकर किये जाते। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय,आपने इतनी उदारता दिखाते हुए माननीय सदस्य को बोलने का समय दिया हो और अभी माननीय सदस्य चेयर पर ऐसपर्शन कर रहे हैं। इन्होंने यह कैसी गलत आदत बना रखी है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब और हम तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी कौन सी एसपर्शन की है? अगर मैंने कोई गलत बात कही हो तो मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं, मुझे इस बारे बताया जाये। मैं दलाल साहब जैसी अनपार्लियामेंटरी भाषा तो इस्तेमाल नहीं करता जो इन्होंने की थी और सस्पैंड हमारे को होना पड़ा। सारे सदन को पता है और ये ज्यादा अहमियत पाने की कोशिश न करें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट में कंक्लूड करें।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस प्रकार का संशोधन लाकर इस प्रदेश को अनपढ़ता और अनैतिकता की ओर धकेलने का काम न करे। वैसे भी सरकार के पास इस अमैंडमैंट के लिए कोई भी कारण नहीं है। तो मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि सरकार का शिक्षा के मामले में इस तरह के कदम उठाना न केवल इस प्रदेश के लिए बल्कि समुचित मानवता के लिए अभिशाप का कदम है। इस काले बिल को किसी भी कीमत पर पास न किया जाये। मैं इसका विरोध करता हूं।

वाक-आउट

आवाजें : हम इस बिल में की गई प्रोवीजन्ज के विरोध में वाक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित समता पार्टी के सभी सदस्य वाक-आउट कर गए।)

दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997 (पुनरारम्भ)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी (संशोधन) में 13-1-1997 को एक अमैंडमैंट की गई थी, तब इन सभी ने यह कह कर इसका विरोध किया था कि the appointment of the Registrar of the University should not be made by the Government. उस समय हमारा यह कहना था कि वह गवर्नमैंट के द्वारा नहीं होनी चाहिए। ये इस अमैंडमैंट को आज अनडन कर रहे हैं। Now the Registrar will be appointed by the Chancellor. जो इनके सुझाव थे, उनका भी ये विरोध कर रहे हैं।

Mr. Speaker : Question is-

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

(v) दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now the Education Minister will introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1997. He will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, I introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1997. Sir, I also beg to move-

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi) दि पंजाब एक्साइज़ (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now, the Prohibition and Excise Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

Food and Supplies Minister (Shri Ganeshi Lal) : Sir, I beg to introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1997.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

क्लाज 2

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, इस बिल में धारा 68 ए का प्रावधान किया गया है। जिसके द्वारा जो शराब के औफैंसिज हैं उनको और स्ट्रिक्ट किस प्रकार बनाया जाए। यह इस बिल की स्प्रिट है। हम इस बात की ताईद करते हैं कि जो व्यक्ति शराबबंदी का उल्लघंन करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता के समक्ष यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे कि जिस प्रकार से 1985 के एन०डी०पी०एस० एक्ट में हिन्दुस्तान की संसद ने प्रावधान किया है कि जो व्यक्ति इस तरह के औफैंस में पकड़ा जाएगा, उसमें बड़ी एग्जम्पलरी पनिशमैंट है यहां तक सजाए मौत भी है। मैं यह तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि शराबबंदी का उल्लघंन करने वाले को आप सजाए मौत दीजिए। इस बिल की स्प्रिट से मैं समझा हूं कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए परन्तु इसके अन्दर एक बात ऐसी है जो मेरे मन को खटकती है वह मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। इसमें इस बात का प्रावधान किया

गया है कि अगर कोई व्यक्ति पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 के उल्लंघन में दूसरे औफैंस में पकड़ा जाएगा उसको डबल सजा मिलेगी। यह प्रावधान सैक्शन 68 ए की सब क्लाज ए में किया है। वह इस प्रकार है।

> "For a second offence be punished with not loss than twice the punishment awarted to him on his first conviction."

यह जो प्रावधान किया है शायद इस लैंगवेज को बदल कर लाने की जरूरत है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। संविधान के आर्टीकल 20 के अन्दर डबल सजा के लिए ज्योपर्डी का एक कंसेप्ट है कि हर आदमी को एक औफैंस की एक बार सजा मिल सकती है और जो दूसरा औफैंस है उसकी सजाइडिपैंडैंट होगी। पहले औफैंस की वजह से उसको सजा नहीं दे सकते। ऐसा प्रावधान संविधान के आर्टीकल 20 के अन्दर किया गया है। आप इस में सजा को कड़ी से कड़ी करें, आप इसको और स्ट्रिक्ट बनाएं। जितनी ज्यादा सजा रख सकते हैं वह रखें लेकिन अगर आप औफैंस के वेस पर दूसरे औफैंस के लिए डबल सजा देने का प्रावधान रखेंगे तो यह एक तरह से लिटिगेशन के द्वार खोल देगा। बहुत सारी लिटिगेशंज होंगी उनका नतीजा कुछ निकलना नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के आर्टीकल 20 को पढ़ कर अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा अगर सदन के नेता उसको ठीक समझें तो इस सूटेबल अमैंडमैंट को असैप्ट कर लें। संविधान के आर्टीकल 20 में साफ-साफ लिखा है कि-

> "No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of commission of the Act charged as offence nor be subjected to a penalty greater than that much might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offence.
>
> No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once."

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सुरजेवाला जी कान्स्टीच्यूशन्ज से पढ़ रहे हैं उस कान्स्टीच्यूशंज में यह है कि एक औफैंस के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। एक बार शराब लाता पकड़ा जायेगा तो एक औफैंस होगा और दुबारा लाता पकड़ा जायेगा दूसरा औफैंस होगा। It is not for the same offence. It means the offence is the second time.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, वह सैकिण्ड टाईम की पहले वाले ओफैंस के विनाह पर डबल सजा देगा। अगर आप ठीक समझते हैं कि ऐसा ठीक है, फिर कोई बात नहीं। मेरी मंशा सिर्फ यह थी कि शराबबंदी को कड़े से कड़ा करने का कानून भी बनायें और फिर वह कानून अगर चल न पाये तो उस पर अजीब सी समस्या हो जाती है। अगर सदन के नेता यह समझते हैं कि यह वैध होगी, इससे कोई लिटिगेशंज नहीं बढ़ेंगी, लिटिगेशन के नए द्वार नहीं खोलेगी तो ठीक है। हम इस बात का जहां समर्थन करते हैं, वहां अगर इसे ठीक समझते हैं तो ठीक है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, परन्तु इस बात का ख्याल रखा जाये। धन्यबाद।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई नई बात नहीं है। पहले भी इसमें इस किस्म का प्रोवीजन था। अब तो हम सिर्फ सजा को बढ़ा रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : स्पीकर साहब, वैसे तो मेरे कुछ प्वायंटस सुरजेवाला जी ने कवर कर दिए हैं लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस बिल को जल्दी में लेकर आयी है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसे आप सोच-विचार करके तसल्ली से लेकर आयें। इस शराब बंदी के पीछे एक ब्रेन काम कर रहा है वह लिकर माफिया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके खिलाफ गलत काम करने के लिए फायर आर्म्ज का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी इसमें सजा मिले तो बात ठीक है। ऐसा प्रावधान होने के बाद ही यह बिल लाया जाये तो ठीक रहेगा। इस कानून को आप बारीकी से बनायें जो शराब बिकवाने वाला व्यक्ति है उसको सजा अवश्य मिले। (विघ्न) इस काम को वह करेगा जो अन-एम्पलायड है लेकिन जो लोग इस काम को करवा रहे हैं उन को सजा मिले, ऐसा इस बिल में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ अवश्य ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, यह तो सभी चाहते हैं कि शराब बंद हो, लेकिन एक्साईज मिनिस्टर बारीकी से इसे देखें यह मेरी उनको सलाह है। इस बारे में मेरी एक सलाह है कि इस बिल को जल्दबाजी में लाने की बजाये सिलैक्ट कमेटी को दे दिया जाये। उस कमेटी में बाकायदा हर पार्टी के मैम्बर हों जो इसकी बारीकियों पर जा कर अंतिम निर्णय लें। यह तरीके से बंद हो और सही बंद हो और अच्छा बिल बने। हम यही चाहते हैं कि बार-बार इसमें अमैंडमैंट लाने की आवश्यकता न पड़े। यही मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्री गणेशी लाल) : अध्यक्ष महोदय, शराबबंदी का विषय बड़ा गम्भीर विषय है। यह सबके मस्तिष्क में है कि यह बंद होनी चाहिए और इस के लिए सब सहयोग करने को तैयार हैं। यह सदन में बार-बार कहा जा रहा है। इसलिए प्रथम चरण के अन्दर हमने जो व्यक्ति बार-बार ओफैंस करता है, दो बार या तीन बार करता है उसकी सजा का प्रावधान बढ़ाया है जो बाकी बातें इन्होंने कही हैं उसके लिए prior permission of the President of India is required and that is being sought. सब के सहयोग से ही यह काम ठीक होगा। यह ठीक है कि हम इसके लिए कोई सिलैक्ट कमेटी नहीं बना सके लेकिन जो इसकी संचालन समिति है, जो कमेटी स्टेट लैवल पर बनी है उसमें विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही इसका प्रावधान किया गया है।

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Excise & Prohibition Minister will move that the Bill be passed.

Food & Supplies Minister (Shri Ganeshi Lal) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

*15.00 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9:30 a.m. on Friday, the 21st March, 1997.).

28786–HVS–H.G.P., Chd.